जुलाई 1989

मूल्य दो रुपये

# कुरुक्षेत्र

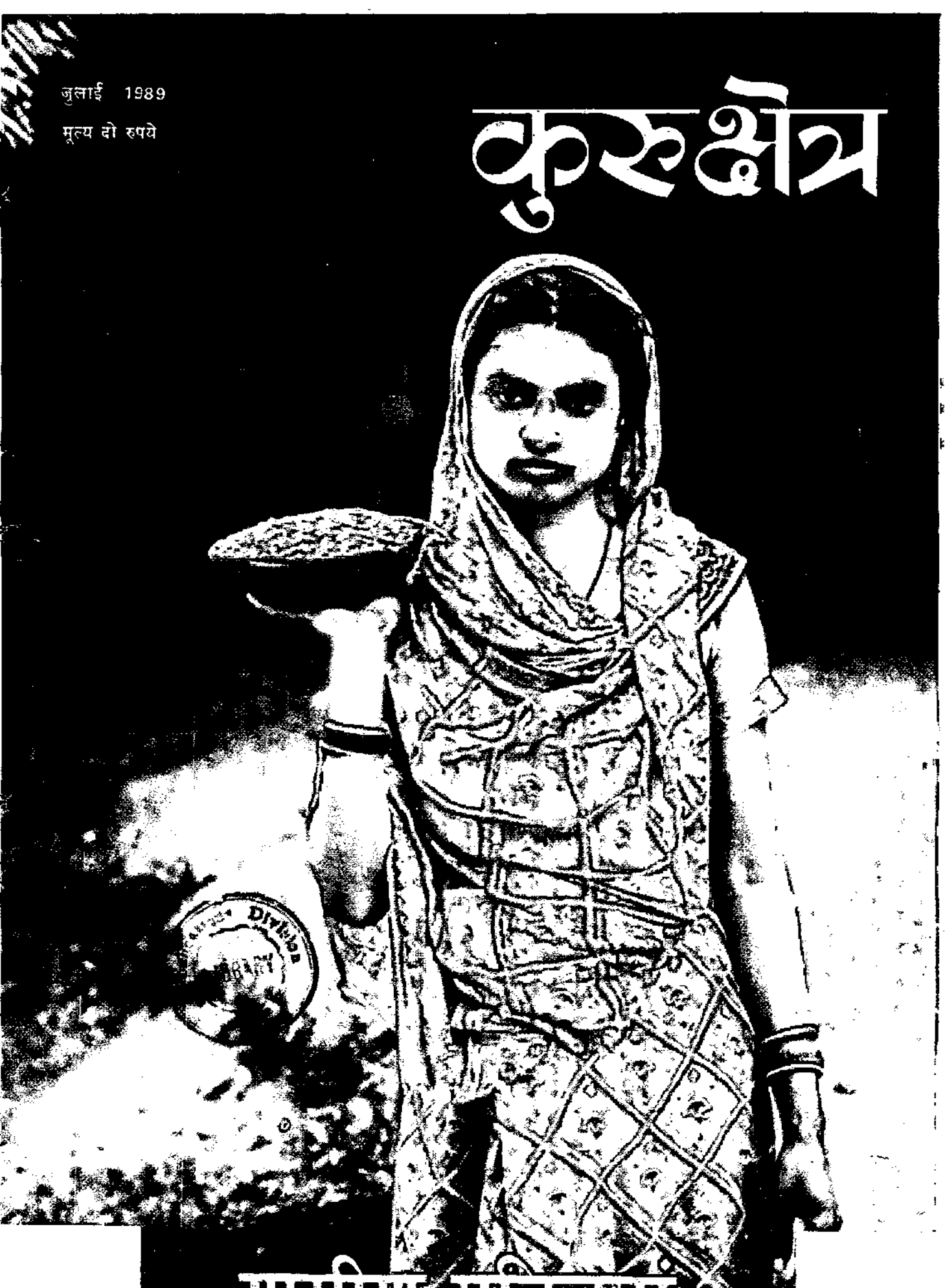

## ग्रामीण महिलाएं

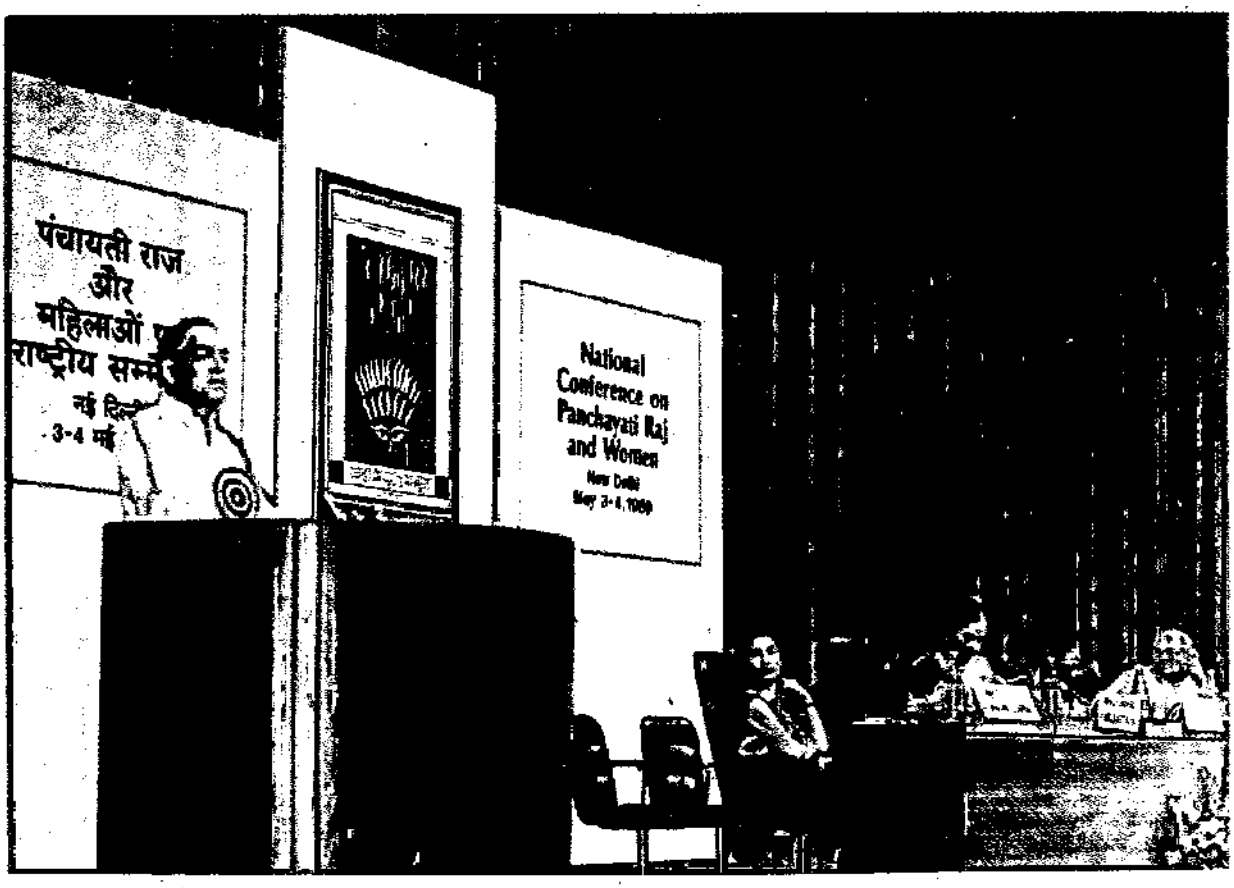


सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी

नई दिल्ली के विज्ञान भवन में गत 3-4 मई को पंचायती राज और महिलाओं पर आयोजित

वर्ष-34, अंक 9, आषाढ़-श्रावण, शक-1911

कार्यवाहक सम्पादक: गुरचरण लाल लूथरा
उप सम्पादक : राकेश शर्मा

उत्पादन अधिकारी : राम स्वरूप मुंजाल

आवरण पृष्ठों की
साज सज्जा : एम.एम. मलिक
चित्र : फोटो प्रभाग से साभार

# कुरुक्षेत्र

## ग्रामीण विकास विभाग का प्रमुख मासिक

'कुरुक्षेत्र' के लिए मौलिक लेख, कहानी, एकांकी, कविता, संस्मरण, हास्य-व्यंग्य चित्र आदि भेजिए । अस्वीकृत रचनाओं की वापसी के लिए टिकट लगा व पता लिखा लिफाफा साथ आना आवश्यक है ।

'कुरुक्षेत्र' की एजेन्सी लेने, ग्राहक बनने, पता बदलने या अंक न मिलने की शिकायतें, व्यापार व्यवस्थापक, प्रकाशन विभाग, पटियाला हाउस, नई दिल्ली-110001 से कीजिए ।

एक प्रति : 2.00 रु.
वार्षिक चंदा : 20 रु.

## विषय-सूची

श्री एस.के.डे और कुरुक्षेत्र 2
**एस.एन. भट्टाचार्य**
पंचायती राज और महिलायें 5
**डा. एस.एम. शाह**
ग्रामीण विकास एवं महिलायें 8
**डा. एस.जी. गुप्ता एवं विवेक अग्रवाल**
ग्रामीण महिलायें-नयी राह पर 10
**अमरजीत कौर**
मध्य प्रदेश में महिला कल्याण के नये आयाम 13
**मालती गुप्ता**
ग्रामीण महिला और विकास की प्रचलित अवधारणा 16
**कृष्णस्वरूप आनन्दी**
क्या सुधरेगी दशा भारतीय महिलाओं की ? 18
**डा. पद्मावती (पद्मा राय)**
पर्वतीय क्षेत्र की 'भोटिया' महिलायें 20
**एस. अलमेलू**
ग्रामीण महिलाओं की पीड़ा कुछ तो कम हो 22
**श्रीमती अशोक गुप्ता**
कृषि में महिलाओं का योगदान 27
**डा. राम शरण गौड़**
भाभी के कंगन (कहानी) 30
**संजय कुमार पंजियार**
ग्राम-महिला (कविता) 36
**मोहन चन्द्र मन्टन**
विशाल जवाहर रोजगार योजना की घोषणा 37
**प्रस्तुति : शशि बाला**
गांव की बहनों (कविता) 40
**आशा शुक्ला**
मेरठ के गांव में उद्योगों की धूम 41
**अभिलाषा कुलश्रेष्ठ**
अदरक 44
**सुनीता**

प्रकाशित लेखों में अभिव्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं तथा यह आवश्यक नहीं कि सरकारी दृष्टिकोण भी यही हो।

सम्पादकीय पत्र व्यवहार: सम्पादक, कुरुक्षेत्र (हिन्दी), कृषि मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग, 467, कृषि भवन, नई दिल्ली के पते पर करें। दूरभाष: 384888

# श्री एस.के. डे और कुरुक्षेत्र

एस.एन. भट्टाचार्य

कुरुक्षेत्र के अधिकांश पाठक शायद इस पत्रिका की जन्म कहानी से परिचित नहीं होंगे। इसका प्रारम्भ तब हुआ जब श्री एस.के.डे पुनर्वास मंत्रालय में अवैतनिक तकनीकी सलाहकार थे। वे उस समय दिल्ली से 85 मील दूर जी.टी.रोड पर स्थित नीलोखेड़ी में पुनर्वास बस्ती के निर्माण में व्यस्त थे। यहां से कोई 15 मील दूर कुरुक्षेत्र में एक शरणार्थी शिविर था। इस शिविर के कोई 200 शरणार्थियों और कुछ निष्ठावान कार्यकर्ताओं को लेकर श्री डे ने नीलोखेड़ी बस्ती बसाने का काम शुरू किया। नीलोखेड़ी में एक पोलीटेकनिक की स्थापना का काम 1949 में लगभग पूरा हो चला था। यहां छपाई की एक पुरानी मशीन थी और श्री डे ने एक छोटी सी साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित करने की सोची। और इस प्रकार कुरुक्षेत्र पत्रिका का जन्म हुआ। तब इसके कुल 4 पृष्ठ थे। इसका नामकरण तत्कालीन गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचार्य ने किया। उनका कहना था कि कुरुक्षेत्र में तो महाभारत का युद्ध हुआ था। यह युद्ध बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। अतः पत्रिका का नाम कुरुक्षेत्र ही होना चाहिये। इस साप्ताहिक पत्रिका के समय-समय पर विशेषांक भी प्रकाशित होने लगे। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी तमाम व्यस्तताओं के बावजूद नीलोखेड़ी के विकास में विशेष रुचि रखते थे और वे वहां तीन बार गये। इन अवसरों पर कुरुक्षेत्र के विशेष अंक प्रकाशित किए गए। देश भर में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरूआत यहीं नीलोखेड़ी से ही हुई थी और नेहरू जी विस्थापित परिवारों की नई बस्ती को उनकी नई मंजिल कहते थे। वे मानते थे कि बाहुबल से यह संभव है कि पुनर्निर्माण किया जा सके और इसके लिए लोगों के प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिये।

नेहरू जी के इस स्वप्न को साकार करने के लिए श्री डे मार्च 1952 में सामुदायिक विकास परियोजनाओं के अवैतनिक प्रशासक के रूप में नियुक्त होकर दिल्ली आ गये और वे अपने साथ कुरुक्षेत्र को भी दिल्ली ले आये। अब यह

मासिक पत्रिका बन गयी और इसमें नये सामुदायिक विकास कार्यक्रम से संबन्धित समाचार और विचार छपने लगे। यह काम बहुत बड़ा था और यह फैसला किया गया कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग को यह काम सौंप दिया जाये ताकि पत्रिका का सुचारु रूप से प्रकाशन हो सके। सरकार ने इस संबंध में श्री डे का सुझाव स्वीकार कर लिया और अक्तूबर 1952 से पत्रिका के प्रकाशन की जिम्मेदारी प्रकाशन विभाग को सौंप दी गई।

उसी समय गांधी जयन्ती के अवसर पर प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रव्यापी सामुदायिक विकास कार्यक्रम का शुभारंभ किया। दिल्ली के निकट अलीपुर गांव में इस कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए नेहरू जी ने अपने जीवन का एक बहुत छोटा भाषण दिया। उनका आह्वान था: "काम ज्यादा बातें कम" अपनी उक्ति को चरितार्थ करने के लिए नेहरू जी स्वयं अपनी आस्तीनें चढ़ा और फावड़ा ले एक कच्ची सड़क के निर्माण कार्य में शामिल हो गये। यह सड़क अलीपुर गांव को जी.टी. रोड से जोड़ने के लिए बनाई जानी थी। नेहरू जी को देखकर और भी हजारों लोग मील भर लम्बी इस सड़क के निर्माण कार्य में जुट गये। इसके बाद साल भर तक नेहरू जी को जब भी मौका मिलता वे सामुदायिक विकास की ही बात करते और अपने विदेशी

मेहमानों को भी ऐसे गांवों में भेजते जहां यह कार्यक्रम चलाया जा रहा था। कुरुक्षेत्र पत्रिका में इस समारोह के बारे में विस्तार से चर्चा की गई और अनेक चित्र भी छापे गये। इस पत्रिका के प्रथम संपादक के रूप में स्वर्गीय शीला कौल की नियुक्ति हुई।

सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारम्भ श्री डे के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन था। कच्चे-पक्के रास्ते से होते हुए वे उस दिन कुरुक्षेत्र से नीलोखेड़ी पहुंचे और फिर दिल्ली। नेहरू जी के सानिध्य में उनका कायापलट हो गया। मिशीगन विश्वविद्यालय से एम.एस.सी. करने के बाद वह 16 साल तक एक बड़ी अमरीकी कम्पनी की भारत में सहायक कम्पनी के मुख्य कार्यकारी थे। नेहरू जी के सानिध्य ने उन्हें सेवा दल का कार्यकर्ता बना दिया। कुरुक्षेत्र में वे पहले 'कृषक पुत्र' के उपनाम से लिखते रहे। नेहरू जी को वे प्यार से मास्टर कहा करते थे। स्वामी विवेकानन्द के बाद नेहरू जी से ही वे अत्यधिक प्रभावित थे। सामुदायिक विकास के बारे में नेहरू जी के जो विचार थे उन्हें समझने-समझाने और स्वयं अपने विचार व्यक्त करने के लिए श्री डे ने हिंदी और अंग्रेजी के कुरुक्षेत्र को अपना माध्यम बनाया। वे बहुत लिखते थे। उन्हें जो कुछ लिखना होता वे स्वयं ही लिखते और इसके लिए वे अपने किसी अधिकारी को कोई मसौदा तैयार करने को नहीं कहते। हां, यह जरूर था कि वे अपने ही लिखे हुए को बार बार सुधार करने का प्रयत्न करते और हर शब्द का बहुत सोच-समझ कर प्रयोग करते थे। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर यदि उन्हें कोई लेख लिखना होता या कुरुक्षेत्र का कोई विशेषांक निकालना होता तो वे स्वयं ही अपने हाथ से लेख लिखने बैठ जाते और जब लेख पूरा हो जाता तो उसे अपने निजी सहायक श्री कपूर को टाइप करने के लिए दे देते थे। उनकी हस्तलिपि पढ़ने में श्री कपूर माहिर हो गये थे। श्री डे ने कुरुक्षेत्र के लिए सैकड़ों लेख लिखे। बहुत सारे पम्फलेट भी तैयार किए और सात प्रकाशित पुस्तकों की रचना की। गत 24 मई को श्री डे का निधन हुआ। उसी दिन सुबह उन्होंने अपने बड़े बेटे को बुला कर कहा कि वह उनकी सभी पुस्तकों और लेखों को उनके पास ले आये। एक सामग्री में से छांट-छांट कर उन्होंने कुछ पैरा पढ़े और प्रसन्न मन से कहा कि ये रचनाएं जीवित रहेंगी।

1956 में श्री डे केन्द्रीय मंत्रिमण्डल में शामिल हो गये और कुछ ही समय बाद उनके मंत्रालय का विस्तार कर पंचायती राज तथा सहकारिता जैसे विभाग भी उनके मंत्रालय के साथ जोड़ दिये गये। इस अवसर पर कुरुक्षेत्र में सामूहिक विकास, पंचायती राज और सहकारी समाज की नई विचारधारा और नये कार्यक्रम का बहुत व्यापक प्रचार किया। कुरुक्षेत्र पत्रिका का कार्यालय उन दिनों जिसने देखा होगा वही जान सकता है कि वहां के कर्मचारी कितने व्यस्त रहते थे। श्री डे का इस पत्रिका से बहुत लगाव था और उस नई विचारधारा से बहुत गहरा लगाव था जिसकी अभिव्यक्ति का माध्यम कुरुक्षेत्र था। उनके निधन पर राष्ट्रपति श्री आर. वैंकटरामन ने जो शोक संदेश दिया उसमें 'नेहरूवादी आयोजना' में श्री डे के इसी लगाव को स्मरण किया गया।

1966 के प्रारम्भ तक श्री डे कृषि भवन में थे। कुरुक्षेत्र के प्रति उनका लगाव इसी से स्पष्ट हो जाता है कि वे पत्रिका के हर अंक की प्रथम प्रति सबसे पहले देखने का बराबर आग्रह करते थे। वे उसे ध्यान से पढ़ते और संबन्धित अधिकारियों को अपने विचारों से अवगत कराते थे। चाहे कोई भी दिन हो पत्रिका के लिए वे हमेशा समय निकाल लेते और उसके संपादक के लिए उनके द्वार हमेशा खुले थे। पत्रिका के वार्षिक अंक में लिखने के लिए वे स्वयं लेखकों से अनुरोध करते थे। विकास आयुक्तों के सम्मेलनों के अवसर पर वे प्रधानमंत्री से विशेष संदेश देने को कहते और उसे कुरुक्षेत्र में प्रकाशित करते। इन सम्मेलनों का उद्घाटन भी नेहरू जी ही करते थे। मुझे याद है कि ऐसे दो सम्मेलन दिल्ली में हुए थे और एक मसूरी में। मसूरी में हुए सम्मेलन की याद तो बहुत ताजा है। पश्चिम बंगाल के अतिरिक्त विकास आयुक्त श्री एस.बी.राय की अध्यक्षता में सामाजिक शिक्षा पर एक सामूहिक विचारगोष्ठी का आयोजन था। श्री डे भी शामिल हुए और उन्होंने इस विचार विमर्श को बहुत बुलन्दी पर पहुंचा दिया। मैं इस गोष्ठी में शामिल था और कुरुक्षेत्र में मैंने एक लेख प्रकाशित किया।

श्री डे का सख्त आदेश था कि जब तक वे मंत्री हैं तब तक कुरुक्षेत्र में उनका कोई फोटो न छापा जाये। यही नहीं अगर किसी सामूहिक चित्र में भी यदि श्री डे हों तो वह चित्र पत्रिका में प्रकाशित नहीं होना चाहिये। उनके इस आदेश का सदा पालन हुआ। हां, एक अपवाद जरूर है, श्री डी. राघवन जब इस पत्रिका के संपादक थे तो उन्होंने श्री डे का चित्र प्रकाशित कर दिया। चित्र देखकर श्री डे आगबबूला हो गये। उनका गुस्सा जब कुछ ठण्डा हुआ तो श्री राघवन ने अपना तर्क प्रस्तुत किया। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के

हजारों कार्यकर्ता हैं, क्या उन्हें यह अधिकार नहीं है कि वे यह जान सकें कि उनके मंत्री देखने में कैसे हैं। श्री डे निरुत्तर हो गये और फिर उन्होंने अनमनी मुस्कान के साथ कहा कि ठीक है एक बार हो गया अब और नहीं।

नीलोखेड़ी के प्रत्येक अंक की प्रतियों के वितरण की जो सिरदर्दी थी वह हम लोग ही जानते थे। जो थोड़ी-बहुत प्रेस प्रतियां आती थीं, उनमें से पहली प्रति श्री डे को मिलनी ही चाहिये, इसका जिक्र मैं पहले ही कर चुका हूं। श्री डे अगले दिन शायद बम्बई में होते या मद्रास में, वहां पहुंचते ही वे वहां के विकास आयुक्त से पूछते कि क्या कुरुक्षेत्र का नया अंक मिला। आपकी क्या प्रतिक्रिया है। स्वाभाविक है कि पत्रिका तब तक उस विकास आयुक्त के पास नहीं पहुचती थी। श्री डे फौरन दिल्ली फोन करते और अपनी हैरानी जाहिर करते कि पत्रिका सही ठिकानों पर अभी तक नहीं पहुची है। मगर श्री डे को समझाये कौन। हम उन्हें यह नहीं समझा सकते थे कि प्रेस से इतनी सारी प्रतियां उठाने और उनके वितरण में महीने भर का समय चाहिये। एक दिन हमारे प्रशासनिक उपसचिव स्वर्गीय श्री एन.कौल को एक तरकीब सूझी। वे श्री डे के प्रस्तावित टूर प्रोग्राम का पहले ही पता लगा लेते और जहां श्री डे जाने वाले होते उस राज्य के विकास आयुक्त को पत्रिका की एक प्रति पहले ही भेज देते। मगर अफसोस यह तरकीब ज्यादा दिन चली नहीं और श्री डे ने हमें पकड़ लिया। उसके बाद हमें पत्रिका के समुचित वितरण पर एक लम्बा भाषण सुनना पड़ा। श्री डे ने कहा कि जो भी कोई बात हो तो उन्हें स्पष्ट रूप से बताई जाये और अगर कहीं काम में कोई रूकावट हो तो वे जरूरत पड़ने पर विभाग के मंत्री से भी बात कर लेंगे। श्री डे ने अपनी इसी भावना से प्रेरित होकर कुरुक्षेत्र के लिए एक सलाहकार समिति बनाने का काम स्वर्गीय सत्येन्द्र सन्याल को सौंपा। इस सलाहकार समिति में चलपतिराव जैसे प्रतिष्ठित पत्रकारों को शामिल किया गया। श्री डे ने प्रो. हीरेन मुखर्जी जैसे विपक्षी नेता से लेख लिखवाने के लिए भी प्रेरित किया।

हर छोटी-बड़ी बात पर श्री डे बहुत लगन से काम करते थे। उनकी सहायता के लिए बहुत कम लोग थे। और उनके कार्यालय के प्रमुख थे श्री जे.सी. वर्मा जो नीलोखेड़ी के दिनों से ही उनके साथ थे और जिन्हें वे 'फेटी' कह कर बुलाते थे। दफ्तरी के रूप में एक अशिक्षित विस्थापित व्यक्ति था, आशुराम, जो कुरुक्षेत्र से संबन्धित उनके सभी कागजात संभाल कर रखता था। पर अब उस सामग्री को देखने के लिए श्री डे नहीं हैं।

श्री डे नेहरू जी के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त करते हुए अक्सर कहा करते थे कि प्रधानमंत्री के प्रति मेरा दायित्व है। प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने श्री डे के निधन पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम और पंचायती राज व्यवस्था में उनके योगदान का उल्लेख करते हुए ठीक ही कहा है कि राष्ट्र ने एक ऐसा नेता खो दिया जो देशवासियों की प्रगति और उनके कल्याण कार्यों के प्रति पूरी तरह समर्पित था।

**अनुवाद : सरोज कश्यप**

# पंचायती राज और महिलाएं

डॉ. एस.एम. शाह

मई माह की 4 तारीख को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में "पंचायती राज और महिलाएं" विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन सम्पन्न हुआ। इसका आयोजन भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत महिला और बाल विकास विभाग ने किया। इसमें देश के 23 राज्यों और केन्द्र शासित क्षेत्रों के 800 से अधिक महिला प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने महिलाओं को समाज में उचित स्थान दिलाने के जो प्रयास शुरू किये हैं, ये प्रतिनिधि उन्हीं प्रयासों को अपना हार्दिक समर्थन देने के लिए अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह, नगालैण्ड, उड़ीसा, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार और असम जैसे देश के सुदूर राज्यों से यहां एकत्र हुए थे।

पिछले दो वर्षों से प्रधानमंत्री पंचायती राज के बारे में विभिन्न वर्गों के लोगों के साथ विचार-विमर्श करते आ रहे हैं। उन्होंने जिला अधिकारियों, कलेक्टरों, मुख्य सचिवों, संसदीय सलाहकार समिति और अनुसूचित जनजातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के संघों के साथ बातचीत की। यही नहीं देश के हर कोने में इस विषय पर चर्चा के लिए सम्मेलनों का आयोजन किया जा चुका है। 2 मई को प्रधानमंत्री ने गुजरात में गांधीनगर में पंचायती राज के बारे में एक सभा को संबोधित किया।

5 मई को श्री राजीव गांधी ने नई दिल्ली में इसी विषय पर मुख्यमंत्रियों की बैठक को संबोधित किया। दरअसल मई के पहले सप्ताह को पंचायती राज सप्ताह कहना उचित होगा क्योंकि 15 मई 1989 को संसद में पंचायती राज संशोधन विधेयक को पेश करने से पहले इस विषय पर अंतिम विचार-विमर्श इसी सप्ताह में पूरा हुआ।

4 मई 1989 को पंचायती राज और महिलाओं के बारे में जो सम्मेलन सम्पन्न हुआ वह भी इसी सिलसिले में था। प्रधानमंत्री को शाम सवा पांच बजे समापन भाषण देना था लेकिन वे शाम चार बजे विज्ञान भवन पहुंच गए तथा सम्मेलन की कार्रवाई में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री इस सम्मेलन तथा इसमें भाग लेने आईं पंचायती राज संस्थाओं की महिला सदस्यों को कितना सम्मान देते हैं, उसका पता इस बात से लग जाता है।

प्रधानमंत्री का कार्य करने का तरीका एक मूल्यांकनकर्ता के समान रहा है। वे लोगों के पास जाते हैं तथा उनसे सीधे पूछताछ करते हैं कि सरकारी कार्यक्रमों का फायदा उन्हें मिल रहा है या नहीं। वे उनकी समस्याओं की जानकारी हासिल करने के अलावा इस बात का भी पता लगाते हैं कि प्रशासनिक तंत्र मुस्तैदी से लोगों को सहयोग कर रहा है या नहीं। सफेद रंग के सादे लिबास में आम लोगों से सम्पर्क के लिए वे धूलभरी पगडंडियों में पैदल यात्रा करते हैं और उनका दिल जीत लेते हैं। उनके इन सब प्रयासों का उद्देश्य केवल जानकारी इकट्ठा करना नहीं है बल्कि तुरंत आवश्यक कार्रवाई करना है। इसीलिए पंचायती राज के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी एकत्र करने के बाद 15 मई 1989 को उन्होंने संसद में संविधान संशोधन विधेयक पेश किया।

"पंचायती राज और महिलाएं" विषय पर आयोजित सम्मेलन का उद्देश्य इस बात का पता लगाना था कि पंचायतों की महिला सदस्य विकास की प्रक्रिया में कारगर ढंग से किस तरह हिस्सेदार बन सकती हैं। सम्मेलन में जारी विषय सूची में निम्नलिखित मुद्दे शामिल किये गये थे। (1) पंचायती राज संस्थाओं का ढांचा दो स्तरों वाला हो या तीन स्तर वाला, (2) जिला स्तर पर जिला परिषद और विकास संबंधी अन्य संस्थाओं का आपसी संबंध, (3) चुनावों का स्वरूप अध्यक्ष/उपाध्यक्ष तथा सदस्यों के चुनाव प्रत्यक्ष रूप से हों या अप्रत्यक्ष रूप से, (4) चुनावों की अवधि, (5) क्या पंचायती चुनाव पार्टी आधार पर होने चाहिए, (6) महिलाओं के लिए

आरक्षण, (7) समाज के कमज़ोर वर्गों का प्रतिनिधित्व, (8) जिला परिषद और नगरपालिकाएं, (9) जिला और राज्य योजनाओं में समन्वय, (10) कराधान, वित्त आयोग और संयुक्त संसाधन, (11) पंचायती राज और जिला प्रशासन।

इन सभी में से महिलाओं के लिए आरक्षण के मुद्दे पर विशेष चर्चा हुई। इसके अलावा पंचायती राज संस्थाओं के कार्यसंचालन में प्रशासनिक सहायता, पंचायतों को ज़िला प्रशासन के बजाय सीधा धन देने तथा गरीबी उन्मूलन और रोज़गार उपलब्ध कराने के कार्यक्रमों में निचले स्तर की संस्थाओं को कारगर ढंग से शामिल करने के बारे में भी विचार किया गया।

सम्मेलन में लगभग सभी वक्ताओं ने स्थानीय संस्थाओं में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण की मांग की। 1988 की महिलाओं की राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना में भी महिलाओं के लिए आरक्षण के बारे में यही विचार व्यक्त किया गया है। कुछ वक्ताओं ने भारत के जनसंख्या आंकड़ों का उल्लेख करते हुए महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण की मांग की। उनका तर्क था कि भारत की जनसंख्या का 52 प्रतिशत महिलाएं हैं। इसके अलावा वक्ताओं ने महिलाओं को सामान्य सीटों से चुनाव लड़ने की अनुमति देने की भी मांग की। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण की ज़बरदस्त मांग को देखते हुए प्रधानमंत्री ने 30 प्रतिशत आरक्षण से शुरूआत करने की सलाह दी। वास्तव में यह सलाह काफी तर्कसंगत है। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, हरिजनों और आदिवासियों के लिए आरक्षण की मांग की गयी।

सम्मेलन के पहले दिन विभिन्न राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं से जुड़े 65 प्रतिनिधियों ने अपने विचार प्रकट किये। दूसरे दिन समापन समारोह में 10 वक्ताओं ने भाषण दिये। प्रधानमंत्री ने दूसरे दिन की कार्यवाही में हिस्सा लिया और वक्ताओं के विचार सुने।

समापन सत्र में विज्ञान भवन के ऊंचे मंच से पचायतों की महिला सदस्यों ने प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक हज़ार से अधिक लोगों की सभा को संबोधित किया और अपने विचार रखे। सभा में कई मंत्री भी शामिल थे। सम्मेलन में वक्ताओं के भाषण के साथ-साथ उसके अनुवाद की व्यवस्था की गयी थी। उनके भाषण दो टूक आत्मविश्वास से भरपूर और बड़े प्रभावोत्पादक थे।

जिन लोगों को पंचायती राज संस्थाओं को चलाने के बारे में महिलाओं की क्षमता पर संदेह है उनके संदेह इस सम्मेलन में हिस्सा लेने से पूरी तरह दूर हो गए। दरअसल पंचायती राज संस्थाएं महिलाओं के प्रशिक्षण की वे संस्थाएं हैं जो विधानसभा और संसद जैसी शीर्ष प्रतिनिधि संस्थाओं के लिए उन्हें प्रशिक्षित करती हैं।

केन्द्रीय मंत्री श्रीमती मारग्रेट अल्वा ने अपने भाषण में सत्ता के निचले स्तर पर विकेन्द्रीकरण और लोकतंत्र को चलाने में महिलाओं से अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने को कहा।

अपने मुख्य भाषण में ग्रामीण विकास मंत्री ने बताया कि महिलाएं सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानवीय संसाधन हैं। उनका विचार था कि आज पंचायती राज संस्थाओं को योजना-निर्माण और निर्णय लेने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल नहीं किया जा रहा है। उनके पास धन का अभाव रहता है और उनके स्थानीय अधिकार भी काफी सीमित हैं। उन्होंने इस आशंका को बेबुनियाद बताया कि भारत सरकार के पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत बनाने के हाल के प्रयासों से राज्य के अधिकार कम होंगे और सत्ता के केन्द्रीकरण को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने राज्य सरकारों की इस बात के लिए आलोचना की कि वे पंचायती राज संस्थाओं को धन नहीं दे रही हैं और इन संस्थाओं के धन का दुरुपयोग कर रही हैं। यही नहीं, राज्य सरकारों ने नियमित रूप से चुनावों का आयोजन न कर पंचायतों के अधिकारों को कम कर दिया है। महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए सरकार ने नये ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार कार्यक्रम के लिए निर्धारित राशि को दुगना कर दिया है। अब ये दोनों योजनाएं जवाहर रोजगार योजना में शामिल कर ली गयी हैं।

योजना मंत्री श्री माधव सिंह सोलंकी ने अपने भाषण में याद दिलाया कि महात्मा गांधी के सुझाव पर भारत के संविधान में पंचायती राज संस्थाओं के बारे में 40 वाँ अनुच्छेद जोड़ा गया था। योजना आयोग द्वारा नियुक्त बलवन्त राय मेहता कमेटी का विचार था कि पंचायती राज संस्थाओं को पर्याप्त अधिकार और धन नहीं दिये गये हैं। कमेटी ने इन संस्थाओं को फिर से सक्रिय बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सिफारिशें कीं।

सातवीं पंचवर्षीय योजना में विकास संबंधी कार्यक्रमों में

महिलाओं पर लगातर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। महिलाओं के लिए पोषाहर की व्यवस्था का और विस्तार किया गया है असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों के संबंध में कानूनी व्यवस्थाएं की गयी हैं। देश के अधिकांश विकास खंडों में समन्वित बाल विकास सेवाओं का विस्तार कर दिया गया है। श्री सोलंकी ने आशा व्यक्त की कि पंचायती राज संस्थाओं को फिर से सक्रिय कर देने से देश के ग्रामीण इलाकों तथा हमारे योजना संबंधी प्रयासों में क्रांतिकारी परिवर्तन आएंगे।

प्रधानमंत्री ने सम्मेलन में महिला प्रतिनिधियों के विचार बड़े ध्यानपूर्वक सुने। महिला प्रतिनिधियों ने उन्हें बताया कि उन्हें पंचायत संस्थाओं की बैठकों में नहीं बुलाया जाता है और बैठक की कार्रवाई संबंधी कागजात दस्तखत के लिए उनके पास भेज दिये जाते हैं। इस पर प्रधानमंत्री ने उनसे कहा, "आप क्यों ये होने देती हैं? आप दस्तखत मत कीजिये। अपने हक के लिये लड़िये।" श्री गांधी ने इन सदस्याओं को सलाह दी कि वे कठपुतली न बनें बल्कि पंचायत संस्थाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं।

उन्होंने याद दिलाया कि महात्मा गांधी भारत के लोकतंत्र की बुनियाद पंचायती राज की आधारशिला पर रखना चाहते थे, जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत आधार प्रदान करने का प्रयास किया। इन्दिराजी ने महिलाओं को और अधिक अधिकार दिलाने के लिए कार्य किया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने के पीछे हमारा उद्देश्य राज्यों के अधिकारों को कम करना नहीं है, बल्कि समाज के सबसे निचले स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करना है। हमारा मकसद पंचायतों को सुचारू रूप से काम करने के लिए आवश्यक साधन उपलब्ध कराना, वित्तीय अधिकारों का विकेन्द्रीकरण, तथा इन संस्थाओं को गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को लागू करने का कारगर साधन बनाना है। पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत बनाने से इन कार्यक्रमों को लागू करने में होने वाले धन के अपव्यय और भ्रष्टाचार को समाप्त करने में सहायता मिलेगी।

प्रधानमंत्री का विचार था कि महिलाएं समाज को अविच्छिन्न बनाती हैं। इस समय देश में बहुत कम महिलाएं सरपंच या जिला परिषद प्रमुख हैं। वे आम महिलाओं, अनुसूचित जातियों और जनजातियों की महिलाओं के लिए पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण के पक्ष में थे, उन्होंने महिलाओं को संगठित करने और उनकी ओर से सरकार को सुझाव देने के लिए उनसे संघ बनाने को कहा।

प्रधानमंत्री ने बताया कि वे इस समय तीन तरह की कार्रवाई करना चाह रहे हैं। (1) विधायी – यानि संविधान में संशोधन के जरिए हरिजन तथा जनजातीय महिलाओं सहित महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत सीटों का आरक्षण करना और पंचायती राज संस्थाओं को संविधान में स्थान दिलाना, (2) प्रशासनिक – पंचायतों की जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर है और केन्द्र इस कार्य में राज्य सरकारों को मदद देगा, (3) वित्तीय-अनुशासन और जिम्मेदारियां।

समन्वित बाल विकास कार्यक्रम, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्रौढ़ शिक्षा, प्रौढ़ विधवाओं की पेंशन योजना के अंतर्गत कार्यसाधक साक्षरता कार्यक्रम, और महिला मंडल जैसे महिलाओं से संबंधित कार्यक्रम का अध्यक्ष किसी महिला को बनाया जाना चाहिए। महिला मंडलों का पंजीकरण कराया जाना चाहिए। जिन क्षेत्रों में सहकर्मी आंदोलन काफी मजबूत है वहां पंचायतों ने बेहतर कार्य किया।

गरीबी उन्मूलन संबंधी सभी कार्यक्रम जैसे समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम, समन्वित बाल विकास कार्यक्रम, हरिजनों को आवासीय भूखंड देने की योजना को पंचायती राज संस्थाओं द्वारा लागू किया जाना चाहिए। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए इन योजनाओं का लाभ प्राप्त करने वालों को धन चैक के जरिए दिया जाना चाहिए। विकास कार्यक्रमों में छोटे मोटे काम धंधों को शामिल किया जाना चाहिए।

संसद द्वारा 64 वें संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी मिल जाने के बाद महिला और बाल विभाग के लिए यह उचित होगा कि वह विशेषज्ञों के छोटे-छोटे दलों से विभिन्न मसलों पर अधिक गम्भीरता से जांच करवाए।

**अनुवाद: राजेन्द्र उपाध्याय**
**डी–1/65, लोधी कालोनी**
**नई दिल्ली-110003**

# ग्रामीण विकास एवं महिलायें

डा.एस.जी गुप्ता,
विवेक अग्रवाल

वर्तमान समय में सरकार ग्रामीण विकास पर अत्यधिक बल दे रही है। आज किसी क्षेत्र में महिलाओं के योगदान को नकारा नहीं जा सकता है। इसी तथ्य को दृष्टि में रखते हुये यह विचार किया गया कि ग्रामीण महिलाओं की स्थिति में सुधार लाये बिना ग्रामीण विकास सम्भव नहीं है। अतः ग्रामीण विकास के लिए महिलाओं की स्थिति में सुधार अत्यधिक महत्वपूर्ण है।

महिलायें अपनी आय आमतौर से परिवार के खान-पान, दवा और बच्चों की देखरेख पर खर्च करती हैं। उनकी आय का एक बड़ा भाग बच्चों को पोषक आहार, कपड़ा व शिक्षा दिलाने पर खर्च हो जाता है। अतः उनके स्वास्थ्य और रहन-सहन में सुधार हेतु महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना आवश्यक है। यदि वे कुछ आय अर्जित करेंगी तो उनके परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

आई.आर.डी.पी. के अन्तर्गत गांव के गरीब परिवारों को मदद दी जाती है। परन्तु यह देखने में आया है कि इस योजना का लाभ महिलाओं को कम हो रहा है। इसीलिए महिलाओं के विकास के लिए एक अलग योजना बनायी गई ताकि इस योजना का लाभ उठाकर वे अपने परिवारों की आर्थिक स्थिति सुधार सकें। इस कार्यक्रम को 'ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं तथा शिशुओं का विकास' कहा जाता है।

उपरोक्त वर्णित कार्यक्रमों के अन्तर्गत महिलाओं की स्थिति में सुधार की अनेक सम्भावनायें हैं। यह कार्यक्रम विशेष रूप से महिलाओं के लिए तैयार किया गया है। इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन से महिलाओं की वर्तमान स्थिति में एक महत्वपूर्ण बदलाव आ रहा है, जोकि ग्रामीण विकास में बहुत सहायक सिद्ध होगा। इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन से महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हैं, ताकि वे अपने ऊपर विश्वास कर सकें। वे भी परिवार की आय बढ़ाने में योगदान दे सकती हैं जिससे वे परिवार का जीवन स्तर सुधारने में पुरुषों के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर चल सकें। इस आय का उपयोग परिवार के लिए करके वे बेहतर मां एवं बेहतर गृहणी हो सकती हैं।

**योजना की कार्यविधि**

योजना के अन्तर्गत महिलाओं के समूह को सहायता दी जाती है। समूह बनाने का दायित्व ग्राम सेविका का होता है। 15-20 महिलाओं को जमा करके समूह बनाये जाते हैं। इस कार्य में काफी समय लग सकता है। निम्नलिखित तरीकों से समूह बनाने में सहायता मिलती है :—

1. महिलाओं से ऐसे बात की जाये कि वे अपनी बात खुलकर कह सकें तथा ग्राम सेविका को उनकी समस्याओं की सही जानकारी हो।

2. महिलाओं को अलग-अलग तथा फिर इन्हें इकट्ठा करके कार्यक्रम के लाभ समझाये जा सकते हैं। इस योजना के अतिरिक्त अन्य योजनाओं की जानकारी दी जानी भी आवश्यक है।

3. प्रारम्भ में कुछ महिलायें समूह की मीटिंग में आने में कठिनाई महसूस करती हैं। कुछ महिलायें सरकारी कार्यों में शामिल होने में खतरा महसूस करती हैं। अतः उनसे बात इस प्रकार की जानी चाहिये जिससे उन्हें यह अनुभव हो कि यह कार्यक्रम उनकी भलाई के लिए तैयार किया गया है। उनको बात इस प्रकार समझायी जा सकती है कि उनके मन में कोई गतलफहमी न बने एवं वे इस योजना में शामिल होकर अपने परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकें।

4. इसके पश्चात शीघ्र ही समूह को अपना उद्देश्य, मीटिंग का समय एवं स्थान तय कर लेना चाहिये। हर महिला का दायित्व निर्धारण भी आवश्यक है। कुछ समय पश्चात उन महिलाओं की रुचियों एवं योग्यता का पता चल जाता है तथा उनकी रुचि के अनुसार ही उनको कार्य सौंपा जाना चाहिये।

यह आवश्यक नहीं है कि सभी महिलायें एक सा कार्य करें या एक ही कार्यक्रम से लाभ उठायें। प्रत्येक महिला अपनी रुचि, कुशलता, योग्यता, अनुभव व आवश्यकता के अनुरूप अलग-अलग कार्य कर सकती है।

**योजना में प्रस्तावित कार्य**

महिलाओं के लिए चलाई गई इस कल्याणकारी योजना से महिलाओं को अत्यधिक लाभ हैं। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत महिलायें अपनी-अपनी रुचि के कार्य कर सकती हैं तथा इन कार्यों से आय अर्जित कर सकती हैं। महिलाओं द्वारा कार्य करके अर्जित की गई धनराशि से परिवार में अतिरिक्त आय हो जाती है, जिससे परिवार के जीवन स्तर में सुधार आ जाता है। महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए :—

1. उन्हें आय बढ़ाने वाले ऐसे कार्यों का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए जिनमें उनकी रुचि हो तथा जिसे वे आसानी से कर सकें। केवल प्रशिक्षण देना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि यह भी ध्यान रखना होगा कि उनके द्वारा निर्मित माल का विक्रय भी हो।

2. इस योजना में महिलाओं की आय बढ़ाने वाले साधनों के लिए कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराना चाहिए।

3. उनके छोटे-छोटे बच्चों की देखभाल की सुविधा भी दी जानी चाहिए जिससे वे अपना कार्य सुचारू रूप से कर सकें।

4. कभी-कभी कुछ महत्वपूर्ण कार्य के लिए उन्हें अधिक स्थान की आवश्यकता होती है। अतः आवश्यकता पड़ने पर उन्हें अतिरिक्त स्थान भी उपलब्ध कराना चाहिए।

5. उन्हें पानी-बिजली की सुविधा दी जानी चाहिए तथा धुंआ रहित चूल्हे व स्टोव-कुकिंग बॉक्स का भी प्रयोग सिखाना चाहिए।

यदि महिलाओं को ये सुविधायें उपलब्ध हों तो उनको रोज़ के ऊब पैदा करने वाले कामों से छुटकारा मिलेगा और वे घर व बाहर के काम को आसानी से कर सकेंगी।

**कार्यक्रम के अन्तर्गत रोजगार का चुनाव**

इस योजना के अन्तर्गत महिलाओं को धनोपार्जन के लिए कुछ न कुछ कार्य करना होता है। ये कार्य महिलाओं की रुचि के अनुरूप होते हैं तथा इन कार्यों की प्रवृत्ति भी इस प्रकार की होती है कि महिलायें उन्हें सुगमता के साथ कर सकती हैं। इन महिलाओं की आय, उन्हें प्रशिक्षण देकर या नये काम सिखाकर बढ़ाई जा सकती है। इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित उपायों से भी उनकी आय के साधनों को बढ़ाया जा सकता है :—

1. परम्परागत रोजगार का छुटपुट कार्य करने वाली महिलाओं के मध्य से मध्यस्थों को हटाने का प्रयास किया जाये। सामान सीधे दुकानदार को दिया जाये।

2. दैनिक मजदूरी पर कार्य करने वाली और बेरोजगार महिलाओं के लिए आय के नये साधन निकालने आवश्यक हैं। इसके लिए सर्वे किया जा सकता है।

3. महिलाओं की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए उन्हें 'ट्राइसेम' कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षण दिया जा सकता है। इस प्रशिक्षण को देने से पूर्व सोच विचार की उपयुक्त योजना बनाई जानी चाहिए।

4. विभिन्न रोजगारों के लिए बैंक उधार देते हैं। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत महिलाओं को 10 प्रतिशत ब्याज पर धन उधार दिया जा सकता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं तथा शिशुओं की विकास योजना एक अत्यन्त लाभकारी व कल्याणकारी योजना है। यदि इस योजना का क्रियान्वयन सही प्रकार से किया जाता रहे तो यह देश की निर्धन महिलाओं के लिए अत्यधिक उपयोगी सिद्ध हो सकती है। इस समय सर्वाधिक आवश्यकता इस बात की है कि ग्रामीण महिलायें इस योजना व अन्य योजनायें जो उनके कल्याण हेतु चलायी जा रही है, से अवगत हों तथा उनसे लाभ उठायें। ये योजनायें ग्रामीण विकास के लिए उपयोगी हैं ही, साथ ही साथ ग्रामीणों के जीवन स्तर में सुधार के लिए भी अत्यधिक उपयोगी हैं।

द्वारा डा.एस.जी. गुप्ता
अध्यक्ष 'वाणिज्य विभाग'
एस.एस.वी. (पो.ग्रे.) कॉलिज
हापुड़

# ग्रामीण महिलाएं - नयी राह पर

**अमरजीत कौर**

**अध्यक्ष, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड**

हमारे गांवों की महिलाएं सदियों से गरीबी, अज्ञानता, अंधविश्वास व घुटन भरी परम्पराओं, रीति रिवाजों के वातावरण में मजबूरी भरा जीवन जीती आयी हैं। सामाजिक बंधनों, आर्थिक विपन्नता, शोषण व उत्पीड़न भरी उपेक्षा के बावजूद महिलाएं त्याग की अप्रतिम मूर्ति रही हैं, और इस प्रकार बाल-बच्चों, घर-परिवार दरअसल एक प्रकार से समस्त समाज-समुदाय के हित, कल्याण के लिये चुपचाप बलिदान देती रही हैं। बहुत कम लोगों ने गंभीरता से कभी यह जानने का प्रयास किया है कि ग्रामीण भारत को गतिमान रखने में स्त्रियों का कितना व्यापक योगदान रहा है।

हमारे देश की कुल महिला आबादी में 80 प्रतिशत ग्रामीण महिलाएं हैं। लेकिन इनकी ओर हमारा ध्यान हाल में तब गया जब अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष मनाया गया और उसके पश्चात महिला दशक मनाया गया। अब इस वर्ग को राष्ट्रीय आयोजन व प्रगति में सक्रिय भागीदारी दिलाने के प्रयास किये जा रहे हैं। सब जानते हैं कि कृषि, पशुपालन व गांवों में अन्य काम-धंधों में स्त्रियों का योगदान पुरुषों से कहीं अधिक है। लेकिन सामाजिक पूर्वाग्रहों, निरक्षरता और उनके संगठित न होने के कारण उनकी निरंतर उपेक्षा की जाती रही है। यह सोचा जाता था कि विज्ञान और टैक्नोलॉजी के लाभ गांवों में पहुंचने से वहां स्त्रियों के जीवन स्तर में सुधार आयेगा लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है क्योंकि ये लाभ उन्हें नहीं मिल पा रहे हैं। उन्हें कामकाज के नये संशोधित तौर-तरीकों की जानकारी देने पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कृषि के क्षेत्र को ही लें। बीज बोने, खेत से खरपतवार हटाने, पौध लगाने, फसल काटने, दाने की छटाई, कटाई आदि हाथ के काम स्त्रियां ही करती हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था, कृषि व कुटीर उद्योग व अन्य श्रमसाध्य कार्यों में स्त्रियों के महत्वपूर्ण योगदान का आकलन आज तक नहीं हुआ है।

### पीने के पानी की समस्या

घर-गृहस्थी चलाना ही स्वयं एक कठिन काम है और इसके साथ ग्रामीण स्त्रियों को खेत-खलिहान में भी काम करना पड़ता है, पशुओं की भी देखभाल करनी पड़ती है। ग्रामीण स्त्रियों को कमरतोड़ दो काम और भी करने पड़ते हैं। घर के लिये पानी लाने उन्हें कोसों दूर जाना पड़ता है और खाना बनाने के लिये लकड़ी की तलाश में इधर-उधर भटकना पड़ता है। इन कामों की जिम्मेवारी को हल्का करने में स्वैच्छिक व सरकारी एजेंसियां महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। हर गांव में पीने के पानी का एक सुविधाजनक स्रोत उपलब्ध होना चाहिये ताकि स्त्रियों को पानी लाने की कठिनाई से मुक्ति मिले। सरकार की योजना है कि वर्ष 1990 तक देश में पानी की समस्या वाले प्रत्येक गांव में पीने के पानी की आपूर्ति सुनिश्चित कर दी जायेगी। पीने के पानी व स्वच्छता के अंतर्राष्ट्रीय दशक का यह अंतिम वर्ष भी होगा। पीने के पानी की उपलब्धता सुनिश्चित होने से जहां इन स्त्रियों का समय और मेहनत बचेगी, वहीं उनका व उनके परिवार का, इस प्रकार पूरे समुदाय का स्वास्थ्य सुरक्षित रह सकेगा। पेचिश, पेट की बीमारियों, हैजा, पीलिया और अन्य तकलीफों से बचाव हो सकेगा। घर में जब कोई बीमार होता है तो स्त्रियों पर उसकी देखभाल की अतिरिक्त जिम्मेदारी आ पड़ती है।

सरकारी व स्वैच्छिक संस्थाओं को धुआंरहित चूल्हे, सौर चूल्हे जैसे आसान उपयोगी साधनों को प्रचारित करने व लोकप्रिय बनाने के लिये भी अधिक प्रयत्न करने चाहिये ताकि ग्रामीण स्त्रियों का काम आसान व हल्का हो सके। गोबर गैस संयंत्रों को भी बढ़ावा देना होगा। सामुदायिक गोबर गैस संयंत्र स्थापित किये जा सकते हैं और इसके लिये आवश्यक तकनीकी व वित्तीय सहायता दी जा सकती है।

सामाजिक समस्याओं से निपटने में भी ग्रामीण स्त्रियों की सहायता की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। गांवों में विशेषकर स्त्रियों में निरक्षरता की दर अधिक है। अज्ञानता व अशिक्षा के कारण स्त्रियां उत्पीड़न, प्रताड़ना, शोषण, अत्याचार का शिकार होती हैं। अज्ञानता के कारण वे अपने हितों की रक्षा के लिये, अधिकारों की मांग के लिये संगठित नहीं हो पातीं। वे कई परेशानियों के कारण जीवन स्तर में सुधार ला पाने में असमर्थ रहती हैं। स्वास्थ्य देखभाल, खानपान व परिवार कल्याण व नियोजन की जानकारी नहीं ले पातीं। कई स्वैच्छिक संस्थायें अब लड़कियों की स्कूल-पूर्व शिक्षा, उसके बाद शिक्षा व प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम चला रही हैं। घर में स्त्री का शिक्षित होना सारे परिवार के लिये लाभप्रद है क्योंकि शिक्षित मां सब सदस्यों की बेहतर देखभाल कर सकती है।

**परिवार नियोजन**

गांवों में परिवार नियोजन को अधिक प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। इस कार्यक्रम को ऐसे बनाना व चलाना होगा कि हर स्त्री-पुरुष इसकी ग्राह्यता, उपयोगिता को समझें व स्वीकार करे। स्त्रियों को समझना होगा कि सीमित परिवार से उनकी आर्थिक हालत नहीं बिगड़ेगी, मां, बच्चों, दरअसल पूरे परिवार की ठीक देखभाल से ही खानपान संतोषजनक हो सकेगा, बच्चों की शिक्षा का प्रबन्ध हो सकेगा और परिवार ठीक से जीवन बसर कर सकेगा। परिवार नियोजन के महत्व का संदेश स्त्रियों तक पहुंचाने के लिए महिला मंडलों, पंचायतों के अलावा रेडियो, टेलीविजन, फिल्मों जैसे सशक्त प्रचार माध्यमों का भरपूर उपयोग किया जा सकता है।

गांवों में चिकित्सा सुविधाओं का बहुत अभाव रहता है। केवल शहरों में बड़े अस्पताल खोल देने से यह समस्या दूर नहीं हो सकती। हमें गांवों में और उनके आसपास चिकित्सालयों, डाक्टरों, स्वास्थ्य केंद्रों, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की सुविधा दिलानी होगी ताकि ग्रामीण लोग जिला अस्पतालों या शहरों के अस्पतालों में केवल आपात स्थिति या विशेष परिस्थिति में ही आयें और मामूली या आम चिकित्सा सहायता उन्हें स्थानीय स्तर पर सुलभ हो। इस संदर्भ में परिवहन सुविधा पर भी ध्यान देना आवश्यक है।

**बाल विवाह**

देश के कई अंचलों में बाल विवाह की प्रथा अभी तक कायम है और सैकड़ों हजारों बालिकायें मानसिक, शारीरिक दृष्टि से परिपक्व होने से पहले ही मां बनने पर मजबूर हो जाती हैं। जल्दी शादी से लड़की शिक्षा व समुचित शारीरिक व मानसिक विकास क्रम से वंचित रह जाती है जो उसके सामान्य जीवन के लिये अभिन्न अनिवार्यतायें हैं। इस कारण प्रसव के दौरान मां की असामयिक मृत्यु, बच्चों की मृत्यु दर अधिक रहती है। उचित शिक्षा और जानकारी के अभाव में बच्चे अधिक होते हैं, जो परिवार व समाज पर बोझ बनते हैं।

बाल विवाह पर रोक लगाने के कानून तो मौजूद हैं परन्तु यह प्रथा अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। कानून बन जाने से ही कोई प्रथा समाप्त नहीं हो जाती। इसके लिये सामाजिक परिवर्तन लाने हेतु जन चेतना जागृत करना अनिवार्य है। यह काम जन प्रसार माध्यमों व जन अभियानों के जरिये व्यापक तौर पर किया जाना चाहिये।

केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड ग्रामीण महिलाओं के कल्याण के लिये अनेक योजनायें व कार्यक्रम चला रहा है। अनेक सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रम, प्रौढ़ स्त्रियों के लिये संक्षिप्त शिक्षा कार्यक्रम व कामकाज प्रशिक्षण कार्यक्रम, कामकाजी व रुग्ण स्त्रियों के बच्चों की देखभाल के लिये बाल गृह आदि इनमें शामिल हैं। इनके अंतर्गत बेसहारा स्त्रियों के लिये 'काम व आय' कार्यक्रम चलाये जाते हैं। ग्रामीण स्त्रियों को काम उनके घर पर अथवा उनके घर के पास ही उपलब्ध कराया जाता है। यह कार्यक्रम स्वैच्छिक एजेंसियों के माध्यम से चलाया जाता है। ये एजेंसियां दस्तकारी, छोटे काम धंधे व कृषि पर आधारित इकाइयां जैसे डेयरी, मुर्गी पालन, भेड़-बकरी पालन इकाइयों को स्थापित व संचालित कराती हैं।

संक्षिप्त शिक्षा कार्यक्रम के तहत स्त्रियों को कामकाज योग्य बनाने के लिये शिक्षा व अन्य जानकारी दी जाती है। व्यावसायिक प्रशिक्षण के अंतर्गत 15 वर्ष से अधिक आयु की लड़कियों को चुने हुए कामों का प्रशिक्षण दिया जाता है।

कामकाजी स्त्रियों के लिये नगरों में उनके बच्चों की देखभाल के लिये अनेक बालगृह (क्रेच) खुले हैं लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने सरकार के सहयोग से 1977-78 में यह काम अपने हाथ में लिया। बोर्ड के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में कामकाजी स्त्रियों व कम आय वर्ग की रुग्ण स्त्रियों के बच्चों की देखभाल के लिये सुविधायें उपलब्ध करायी जा रही हैं।

बोर्ड ने 1986-87 में चेतना जागरण कार्यक्रम आरंभ

किया। उसके अंतर्गत ग्रामीण, निर्धन स्त्रियों की बैठकें बुलायी जाती हैं, जिनमें वे अपने अनुभव व समस्यायें एक दूसरे को सुनाती हैं और कठिनाइयां दूर करने के सुझाव दिये जाते हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत स्थानीय सामाजिक–आर्थिक परिस्थितियों के संदर्भ में स्त्रियों की स्थिति पर ध्यान दिया जाता है और उन्हें स्वास्थ्य, सफाई आदि विषयों की जानकारी दी जाती है, विकास कार्यों के लिये उन्हें संगठित किया जाता है और उनके प्रति अन्याय से निपटने के उपाय किये जाते हैं।

केन्द्र का महिला व बाल विकास विभाग भी ग्रामीण स्त्रियों के कल्याण व प्रगति के लिये अनेक कार्यक्रम चला रहा है। इनके अंतर्गत कामकाजी स्त्रियों के लिये होस्टल, प्रशिक्षण व रोजगार कार्यक्रम, पौष्टिक आहार व स्वास्थ्य कार्यक्रम शामिल हैं।

**राष्ट्रीय कार्य योजना**

ग्रामीण स्त्रियों की समस्याओं को दूर करने के लिये महिला व बाल विकास विभाग ने 1988-2000 के दौरान स्त्रियों के लिये राष्ट्रीय योजना पर राष्ट्रव्यापी बहस करायी अब इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है और इसे जल्दी ही लागू कर दिया जायेगा। इसमें ग्रामीण स्त्रियों की भूमिका पर विशेष ध्यान दिया गया है। कृषि व उससे सम्बद्ध क्षेत्रों में सबसे अधिक काम स्त्रियां करती हैं। इससे स्त्रियों की सामाजिक-आर्थिक ढांचे में भूमिका का पता चलता है। लेकिन इतना भारी व महत्वपूर्ण काम करने के बावजूद इनके इस उत्पादक योगदान को नजर-अंदाज किया जाता है और गैर-कामकाजी माना जाता है। कृषि व पशुपालन क्षेत्र में विकास नीतियां बनाते समय स्त्रियों की भूमिका की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। गरीबी निवारण कार्यक्रमों में अब ग्रामीण स्त्रियों का भी नाम लिया जाता है लेकिन कृषि विकास, भूमि सुधार अथवा ग्रामीण औद्योगीकरण में उनके योगदान, भूमिका को मान्यता नहीं दी गयी है। सघन कृषि व हरित क्रांति से खेत में तो स्त्रियों का काम घटा है लेकिन खलिहान में, घर पर खेत-फसल संबंधी मेहनत का काम कई गुना बढ़ गया है। लेकिन उसे 'कामकाजी' से 'गैर-कामकाजी' का दर्जा दे दिया गया है।

राष्ट्रीय योजना में स्त्रियों के दर्जे के बारे में कई महत्वपूर्ण सिफारिशें की गयी हैं। इसमें कहा गया है कि भविष्य में जनगणना के दौरान घर में और बाहर स्त्रियों के काम तथा परिवार को बनाये रखने के लिये उनके अन्य कामों का भी मूल्यांकन होना चाहिये। 'काम' और 'गैर-काम' के बारे में अवधारणा स्पष्ट होनी चाहिये, आर्थिक मूल्य की दृष्टि से उत्पादन वाले काम तथा उपभोग वाले काम के बीच स्पष्ट भेद होना चाहिये। यह भी कहा गया है कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण व केंद्रीय सांख्यिकी संगठन में स्त्रियों के बारे में आंकड़े, विशेषकर असंगठित क्षेत्र में स्थिति का पूरा परिचय शामिल होना चाहिये।

देश में स्त्रियों की विशाल जनसंख्या होते हुए भी इनकी क्षमताओं, भूमिका, योगदान, स्तर, दर्जे की ओर कभी पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है और जनसंख्या का यह अंश कमजोर बना रहा है। इस विशाल महिला शक्ति की हम अब उपेक्षा नहीं कर सकते। वरना प्रगति व विकास की दर, गति धीमी ही रहेगी और सर्वांगीण, समुचित, यथेष्ट नहीं हो पायेगी। उन्हें ग्राम स्तर से ही निर्णय, नीति निर्धारण, कार्यान्वयन प्रक्रिया में पूरी तरह भागीदार बनाना होगा। यह प्रसन्नता का विषय है कि प्रधानमंत्री की पहल पर अब पंचायती राज में महिलाओं के लिये 30 प्रतिशत आरक्षण का निर्णय हुआ है। इससे महिलाओं की भूमिका व दर्जे में निश्चय ही गुणात्मक परिवर्तन आयेगा।

**अनुवाद : विनोद बाली**

# मध्यप्रदेश में महिला कल्याण के नये आयाम

मालती गुप्ता

मध्यप्रदेश प्रशासन ने महिला कल्याण को नया आयाम देने हेतु स्वतन्त्रता दिवस, 1986 को महिला एवं बाल कल्याण संचालनालय स्थापित किया। इस संचालनालय से अपेक्षित है कि यह महिला एवं बाल कल्याण के प्रमुख कार्यक्रमों का उत्प्रेरक सिद्ध होगा। महिलाओं के आर्थिक विकास एवं उन्नयन की दिशा में महिलाओं द्वारा संचालित गृह-उद्योगों में सहायता करने तथा उनके आर्थिक उत्थान की योजनायें बनाने में प्रशिक्षण-सह-उत्पादन केन्द्रों के संचालन करने तथा समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम एवं ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत महिलाओं के आर्थिक विकास करने और केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में महिलाओं की उचित भागीदारी सुनिश्चित करने में यह संचालनालय महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

समेकित बाल विकास कार्यक्रम तथा विशेष पौषण आहार कार्यक्रम मध्यप्रदेश के सभी क्षेत्रों में संचालन का दायित्व इस संचालनालय को सौंपा गया हैं। यह संचालनालय केन्द्र एवं राज्य प्रशासन के सभी विभागों के विकास कार्यों में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रमों के लिए नोडल एजेन्सी एवं मानिटरिंग का कार्य भी कर रहा है। यह संचालनालय महिलाओं के बीच स्वास्थ्य, रक्षा, परिवार कल्याण एवं शिशु कल्याण के प्रचार-प्रसार, महिलाओं के लिए प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों के संचालन, किशोरियों एवं युवतियों के लिए अनौपचारिक शिक्षा प्रशिक्षण की व्यवस्था, आंगनबाड़ी तथा ग्राम सेविका प्रशिक्षण केन्द्रों के नियन्त्रण करने का उत्तरदायित्व संभाल रहा है। दहेज विहीन सामूहिक विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम को भी गति दी जा रही है।

### नवीन कार्य कार्यक्रम को मंजूरी

मध्यप्रदेश प्रशासन ने महिलाओं के विकास एवं कल्याण हेतु कई क्रांतिकारी कदम उठाने का निर्णय विगत 20 जुलाई 1988 को सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया। अप्रैल 88 में विधान सभा में कार्य कार्यक्रम संबंधी प्रस्ताव पेश किया गया था जिसमें राज्य महिला एवं बाल कल्याण समिति द्वारा प्रस्तुत मसौदे को शामिल किया गया। अब मंत्रिपरिषद द्वारा उसे अनुमोदित कर दिया गया हैं।

### महिला आर्थिक विकास निगम

राज्य में एक महिला आर्थिक विकास निगम, तीन रोजगार एवं व्यवसायिक मार्गदर्शन कार्यालय एवं महिला विकास अध्ययन केन्द्र स्थापित किये जायेंगे। केन्द्र सरकार इस निगम में 49 प्रतिशत शेयर के रूप में योगदान करेगी।

### विशेष महिला कक्ष

सभी विकास विभागों एवं पुलिस मुख्यालयों में महिलाओं के लिये विशेष कक्ष कायम किये जा रहे हैं। सात पुलिस महानिरीक्षक मुख्यालयों वाले संभागीय मुख्यालयों पर महिला कक्ष स्थापित किये जा रहे हैं।

### पृथक पंजीयन व्यवस्था

महिलाओं की समितियों, सहकारी समितियों एवं महिला मण्डलों के पंजीयन आदि का कार्य भी महिला एवं बाल विकास आयुक्त करेंगे ताकि महिलाओं को अपनी संस्थायें स्थापित करने में कठिनाई न हो। महिला कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का लेखा-जोखा तथा समीक्षा भी महिला विकास आयुक्त करेंगे।

**प्रशिक्षण व्यवस्था**

प्रत्येक संभाग में महिला पोलिटेकनिक स्थापित किये जायेंगे। महिलाओं को तकनीकी, प्रबन्धकीय एवं वित्तीय लेखा प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जायेगी। अभी केवल चार महिला पोलिटेकनिक संचालित हैं। सागर, रायपुर एवं बुरहानपुर में इस वर्ष महिला पोलिटेकनिक स्थापित किये जा रहे हैं। फलस्वरूप, अधिक महिलाओं को तकनीकी प्रशिक्षण दिया जा सकेगा। एक आदिवासी महिला औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र खरगोन में स्थापित किया जा रहा है। वर्तमान में 24 महिला शासकीय सिलाई केन्द्र, 459 महिला मण्डल नर्सरी, 918 महिला कर्मशालायें, 9 शासकीय तथा 19 अशासकीय महिला एवं बाल विकास प्रशिक्षण केन्द्र संचालित हैं। वर्ष 1988-89 में प्रत्येक विकास खण्ड में कम से कम 100 महिलाओं को ट्राइसेम के अन्तर्गत प्रशिक्षण दिया जायेगा।

**छात्राओं के लिये नवीन छात्रवृतियां**

महिलाओं के स्वास्थ्य एवं शिक्षा तथा परिवार कल्याण को आगे बढ़ाने के लिये चौदह वर्ष की आयु के बाद शिक्षा जारी रखने और साथ ही अविवाहित रहने वाली लड़कियों को अठारह वर्ष की आयु तक विशेष छात्रवृति 50 रुपये प्रतिमाह दी जायेगी तथा उन छात्राओं को मिलेगी जिनके परिवार की वार्षिक आय बीस हजार रुपये तक है। इस छात्रवृति का लाभ मुख्य रूप से छोटे एवं सीमान्त किसानों, भूमिहीन श्रमिकों, छोटे व्यवसायियों एवं सेवारत कर्मचारियों के परिवारों की छात्राओं को मिलेगा।

**पिछड़े क्षेत्रों में 80 बालिका सदन**

प्रदेश के विभिन्न ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों में 24 लाख की लागत से 80 इन्दिरा बालिका सदन स्थापित किये जा रहे हैं। सभी तेरह शैक्षणिक संभागों में 6-6 एवं दो अन्य पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में ये सदन बनेंगे। प्रति सदन की लागत लगभग तीस हजार रुपये होगी।

**परिवार न्यायालयों की स्थापना**

राज्य में नौ परिवार न्यायालयों की स्थापना की जायेगी ताकि महिलाओं के पारिवारिक मामलों में सुलभ न्याय एवं समझौते की व्यवस्था हो सके। दहेज एवं बाल विवाह के विरुद्ध सामाजिक चेतना बढ़ाने एवं अधिनियम के क्रियान्वयन की व्यवस्था की जायेगी। पीड़ित शोषित महिलाओं के लिये आश्रम, सहायता एवं कानूनी सलाह के इंतजाम के साथ ही पुलिस एवं दूसरे सरकारी कर्मचारियों को ऐसी महिलाओं के साथ संवेदनशीलता एवं पुनर्वास के तरीकों के बारे में प्रशिक्षण दिया जायेगा।

**महिला संरक्षण प्रकोष्ठ**

दहेज के कारण सताई हुई, परित्यक्ता या अन्य किन्हीं कारणों से सताई गई महिलाओं को सलाह एवं सहायता देने के लिये महिला एवं बाल विकास संचालनालय में एक "महिला संरक्षण प्रकोष्ठ" गठित किया गया है जिसकी प्रभारी संयुक्त संचालक स्तर की एक महिला अधिकारी को बनाया गया है।

**विकास कार्यों में भागीदारी**

महिलाओं को विकास कार्यक्रमों का एक निश्चित प्रतिशत तक लाभ दिलाने एवं विकास विभागों के कर्मचारियों के रूप में उनकी भागीदारी बढ़ाने की व्यवस्था की गई है। वर्तमान पुरुष विस्तार कर्मचारियों को भी इस ढंग से प्रशिक्षित किया जायेगा कि वे महिलाओं को विस्तार कार्यक्रमों का लाभ पहुंचा सकें। नर्सों एवं दाइयों के प्रशिक्षण का विस्तार किया जायेगा ताकि अधिक से अधिक महिलायें प्रशिक्षण लेकर इन कामों को कर सकें।

**राज्य महिला एवं बाल विकास मण्डल**

महिला एवं बाल विकास कार्यक्रमों की समय-समय पर मानिटरिंग की जायेगी एवं उसका प्रतिवेदन राज्य महिला एवं बाल विकास मण्डल को नियमित रूप से भेजा जायेगा। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित इस मण्डल से सम्बन्धित विभागों के मन्त्री, प्रतिपक्ष के नेता, मान्यता प्राप्त दलों के प्रतिनिधि एवं महिला संगठनों के अनुभवी प्रतिनिधि शामिल होंगे। महिलाओं के लिये वार्षिक कार्यक्रम नीति निर्धारण एवं प्रगति की समीक्षा के साथ-साथ महिला एवं बाल विकास कल्याण कोष की व्यवस्था के बारे में भी यह मण्डल निर्णय लेगा।

**महिला एवं बाल विकास कोष**

महिला एवं बाल विकास कोष की स्थापना की गई है। एतदर्थ, विद्युत की दर पर प्रति यूनिट एक पैसे की दर से उपकर लगाया गया है जिससे नौ करोड़ रुपये की वार्षिक आय होगी। आवश्कयता पड़ने पर इस कोष के लिये इसी तरह के अन्य स्रोत ढूंढे जा सकेंगे।

### स्थानीय संस्थाओं में भागीदारी में वृद्धि

सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी एवं नेतृत्व विकास के लिये उन्हें प्रशिक्षण देने एवं पंचायती राज्य स्तर की चुनी हुई सार्वजनिक संस्थाओं में नामांकन या सहयोजन के बजाय चुनाव में निर्धारित प्रतिशत में उन्हें प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था का निर्णय लिया गया है। पंचायत राज अधिनियम में संशोधन करके 20 प्रतिशत वार्डों एवं दस प्रतिशत सरपंचों के पद अब महिलाओं के लिये सुरक्षित कर दिये गये हैं। इसी तरह जनपद पंचायतों के दस प्रतिशत पद महिलाओं के लिये आरक्षित होंगे एवं 45 जिला पंचायतों में से 5 की अध्यक्ष महिलायें होंगी। अब सरपंचों का चुनाव सीधे गांव के मतदाता करेंगे जो महिला एकता को बढ़ावा देगा। ग्राम पंचायतों की बैठक भी हर माह होगी।

### संयुक्त परिसम्पत्तियां

सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं दूरगामी प्रभाव वाला निर्णय सरकार की पूर्ण अथवा आंशिक सहायता से दी जाने वाली परिसम्पत्तियां पति-पत्नी के संयुक्त नाम से दिया जाना है। प्रशासन द्वारा दी जाने वाली सुविधायें महिलाओं को आसानी से प्राप्त हो सकें इसके लिये पंचायत स्तर पर विवाहों के पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी जहां विवाह का पंजीकरण ऐच्छिक होगा।

### महिला साक्षरता

महिलाओं की साक्षरता को बढ़ावा देने हेतु समन्वित बाल विकास की आंगनबाड़ियों के साथ-साथ महिला साक्षरता की व्यवस्था की जायेगी। वर्तमान में 130 कार्यक्रमों के अन्तर्गत 16045 आंगनबाडियां संचालित हैं अतः महिला साक्षरता की व्यापक व्यवस्था हो जायेगी

### बिक्रीकर रियायत

महिला उद्यमियों एवं महिला श्रमिकों को प्रोत्साहन देने के लिये ऐसी इकाइयों को जो महिला श्रमिकों द्वारा लगाई जायें एवं जिनमें महिला श्रमिकों का बाहुल्य हो, बिक्रीकर की रियायती दर की व्यवस्था की गई है। इन्हें अन्य सुविधायें भी प्रदान की जायेंगी। 1988-89 के बजट में समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रमाणित संस्थाओं के कार्य संचालन में संस्था द्वारा वास्तविक उपयोग के लिये विक्रय किये जाने वाले विनिर्दिष्ट माल को विक्रय कर से छूट प्रदान की गई है।

पापड़ पहले ही कर मुक्त है। वड़ी, सिवइयां, कुरड़ई, मीठा एवं रंगीन दूध और शिशु आहार पर 12% के स्थान पर 3% तथा अगरबत्ती एवं धूप पर 10% के स्थान पर 6% बिक्री कर लगेगा। कुमकुम, सिन्दूर, कांच एवं लाख या प्लास्टिक की बिंदिया, चांदी एवं अन्य धातुओं की बिछिया एवं 250 रुपये मूल्य तक के मंगलसूत्र पहले से ही करमुक्त हैं। अब काजल पर भी बिक्री कर मुक्त कर दिया गया है।

### नवीन महिला औद्योगिक इकाइयों को छूट

प्रमाणित महिला उद्यमियों की ऐसी नई औद्योगिक इकाइयों को जिनमें 50 प्रतिशत से अधिक महिलायें कामगार के रूप में कार्यरत होंगी, उद्योग विभाग द्वारा तथा औद्योगिक केन्द्र विकास निगमों द्वारा सामान्य दर से 25% राहत मिलेगी तथा वर्तमान में उपलब्ध विक्रय कर की अवधि बीतने के बाद भी इन्हें निर्धारित दर का एक चौथाई विक्रयकर देना होगा।

### महिलाओं को रोजगार में प्राथमिकता

नारी निकेतनों की निराश्रित महिलाओं को प्रशासकीय रोजगार में प्राथमिकता दी जायेगी। विधवा, परित्यक्ता एवं तलाकशुदा महिलाओं को आवास आवंटन में प्राथमिकता, अधिकतम आयु में छूट एवं रोजगार उन्मुख प्रशिक्षण में भी सहायता दी जायेगी। कामकाजी महिलाओं के लिये विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में, महिला आवासगृह समूहों का निर्माण किया जायेगा। वर्तमान में मध्यप्रदेश में 6 नारी निकेतन, 2 महिला उद्धार गृह, 1 महिला अनुरक्षण गृह 25 महिला वसति गृह (दो प्रशासकीय) संचालित है।

### प्रचार माध्यमों में भागीदारी

शिक्षा सामग्री, पाठ्य पुस्तकों आदि में महिलाओं से संबंधित मुद्दों एवं समस्याओं पर विशेष सामग्री भी शामिल की जायेगी। प्रचार माध्यमों में महिलाओं के चित्रण का परीक्षण करने एवं उनका गलत चित्रण रोकने की व्यवस्था की जायेगी। इसके लिये एक समिति होगी जिसमें प्रचार माध्यमों के प्रतिनिधियों के साथ-साथ महिलायें भी होंगी।

मध्य प्रदेश सरकार ने महिला कल्याण की दिशा में आगे बढ़कर अन्य राज्यों के लिये अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है।

**1505, नेपियर टाउन, जबलपुर**

# ग्रामीण महिला और विकास की प्रचलित अवधारणा

कृष्णस्वरूप आनन्दी

जून, 1980 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा आयोजित महिला सम्मेलन तब तक उपलब्ध प्रमाणों और आकड़ों के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि दुनियां-भर में काम के कुल घंटों का लगभग दो तिहाई औरतों के हिस्से में पड़ता है, जबकि कुल आमदनी का केवल दसवां भाग ही इन्हें मिल पाता है। ग्रामीण इलाकों में औरतें दुनियां के आहार का लगभग 50 प्रतिशत तक पैदा करती है। जहां तक मिल्कियत का प्रश्न है, सरकारी कागजातों में सिर्फ एक प्रतिशत संपत्ति ही उनके नाम दर्ज की गयी है। विकासशील देशों की अधिसंख्य औरतें घरेलू काश्तकारी क्षेत्र पेट-भर पालने वाली न्यूनतम जीवन निर्वाह की सीमांत अर्थव्यवस्था में रह रही हैं। इनमें ज्यादा तादाद ऐसी औरतों की है, जो या तो अपनी घर-गृहस्थी की मुखिया हैं या एकमात्र सहारा। कुछ विकासशील देशों में तो स्थिति यहां तक है कि चौथाई से ले कर आधे कुटुंबों तक में वास्तविक और स्थायी रूप से औरतें ही सर्वस्व हैं।

एक अध्ययन के अनुसार विकासशील देशों के ग्रामीण इलाकों में 70 से 80 प्रतिशत तक औरतें बुनियादी जीवन निर्वाह कार्य से जुड़ी हुई हैं। कृषि, श्रम शक्ति में उनकी हिस्सेदारी 80 से 90 प्रतिशत तक है और वे कुल आहार का 44 प्रतिशत तक पैदा करती हैं। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में दो तिहाई लोग सीधे खेतीबाड़ी से जुड़े हुए हैं, जबकि भारतीय कृषि उत्पादन में कुल पुरुष श्रम शक्ति का दो तिहाई से भी कम योगदान रहा है। ग्रामीण इलाको में मजदूरिनें ज्यादातर भूमिहीन लोगों, सीमान्त किसानों, अनुसूचित जातियों जैसे सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से विपन्न और दलित वर्गों से आती हैं। ग्रामीण भारत की कामकाजी स्त्रियों की ज्यादा तादाद यानी 87 प्रतिशत तक कृषि उत्पादन कार्य में है, जबकि 2 प्रतिशत से भी कम स्त्रियाँ घरेलू उद्योगों के अलावा अन्य उत्पादन कार्यों यानी गैर कृषि व्यवसायों में काम करती हैं।

जिन परिवारों के पास थोड़ी-बहुत खेती यानी जमीन के कुछेक छोटे-मोटे टुकड़े होते हैं, उनकी औरतें अक्सर दो भूमिकाओं में देखी जा सकती हैं। इन परिवारों के या तो मर्द बाहर मजदूरी पर जाते हैं और औरतें छोटे-छोटे खेतों का कामकाज संभाले रहती हैं, या औरतें और मर्द दोनों मिलकर बाहर मजदूरी पर जाते हैं और बचे-खुचे घंटे या दिन खेतीबाड़ी में लगाते हैं। दोनों ही स्थितियों में घरेलू कामकाज का बोझ औरतों को ही ढोना पड़ता है। जिन परिवारों के पास किसी तरह गुजर-बसर भर करने के लिए जमीन है उन परिवारों की औरतें अधिकतर अपने खेतों पर काम करती हैं और कभी-कभी मजदूरी भी कर लेती हैं। जिन परिवारों के पास जरूरत भर की जमीन है, उन परिवारों की औरतें खेतीबाड़ी के कामों में आवश्यकतानुसार हिस्सा बँटा लेती हैं। हाँ, अपने खेत से बाहर मजदूरी करने के लिए ये कहीं नहीं जातीं हैं। घरेलू कामकाज में उनकी मुख्य जिम्मेदारी मानी जाती है। मध्यम श्रेणी के खेती-किसानी वाले खाते-पीते परिवारों की औरतें गृहस्थी के भीतर परिवारों की सेवा-टहल में लगी रहती हैं। इन सभी सेवाओं और उत्पादक कार्यों को आर्थिक नहीं समझा जाता है और न इनको सामाजिक प्रतिष्ठा ही मिली हुई है। इन परिवारों की औरतों में से कुछ एक को प्रायः अपने खेतों पर भी काम करना पड़ता है।

ग्रामीण इलाकों में एक ही काम के लिए औरतें और मर्दों को दी जाने वाली मजदूरी की दरों में काफी अंतर है। औरतें घर-गृहस्थी, मवेशी, बाल-बच्चों, घर के बुजुर्गों की देखभाल आदि के जंजाल में फंसी होने के बावजूद मजदूरी के लिए बाहर जाती हैं, इसलिए भी उनके काम के घंटे काफी लंबे, थकन और उकताहट भरे होते हैं। कुटुंब में मातहत रहने, हाशिये पर टिके रहने और इस तरह दोयम दरजे की सामाजिक हैसियत के कारण वे हर स्तर पर भेदभाव झेलती रहती हैं।

ग्रामीण इलाकों में देखा गया है कि परिवार का पुरुष सदस्य जो कुछ कमाता है, आम तौर पर वह उसका ज्यादा हिस्सा या तो उत्पादकता बढ़ाने के लिए खर्च कर देता है या व्यक्तिगत पसंद की शौकियां चीजों पर। इस वजह से यह समझना सरासर भूल होगी कि अगर पुरुष की आमदनी बढ़ती है, परिवार का भोजन बेहतर होगा ही। इसके विपरीत औरतें जो थोड़ा-बहुत पैसा कमाती हैं, वह भी परिवार के लिए भोजन जैसी चीजें खरीदने में खर्च किया जाता है। इसके साथ ही वे जो कुछ उगाती हैं, वह परिवार के उपयोग में आ जाता है।

ग्रामीण भारत की गरीब औरतें घर-गृहस्थी के भीतर इतने कार्य करती हैं कि उन्हें सूचीबद्ध करना टेढ़ी खीर होगा। गृहस्थी के कामों में झाड़ू-बुहारी, खरीदारी, कपड़ों की धुलाई, कूटना, पीसना, भोजन संसाधन तैयार करना, परिवार को खिलाना-पिलाना, ईंधन-पानी का इंतजाम करना, बाल-बच्चों की परवरिश, जानवरों की देखरेख, बूढ़ों-बीमारों की तीमारदारी, धुलाई, लिपाई, पुताई, कढ़ाई बुनाई, घर का रखरखाव व मरम्मत आदि सेवायें और उत्पादक कार्रवाइयाँ इतनी अमूल्य हैं कि धन के रूप में इनका मूल्यांकन या वैकल्पिक मूल्य तय करना यानी इन्हें बाजार मूल्यों के रूप में वर्गीकृत करना संभव नहीं दिखता। सच कहा जाये तो यही वे आधार-भित्तियां हैं, जिन पर पारिवारिक आय की छत टिकी हुई है। इस दृष्टि से परिवार में औरतों का योगदान पुरुषों से निश्चय ही कहीं ऊंचा और अधिक है। लेकिन, विकास की पाश्चात्य अवधारणा पारिवारिक और राष्ट्रीय आय में औरतों के इस बहुआयामी योगदान और त्याग को नजरअंदाज कर देती है। जो अर्थशास्त्र ग्रामीण कुटुम्बों के भरण-पोषण के लिए इन उत्पादक कार्रवाइयों को आर्थिक नहीं मानता या घर-परिवार की आमदनी में एक महत्वपूर्ण योगदान या आधारभूत घटक के रूप में नहीं देखता, मात्र इसलिए कि इस मेहनत का मुआवजा नहीं मिलता वह अनर्थशास्त्र है।

भारत में इस दृष्टि से बहुत ही कम अध्ययन हुए हैं, जिनसे विभिन्न ग्रामीण वर्गों की औरतों के दैनिक जीवन के विविध कार्यकलापों की जानकारी यानी यह जानकारी मिल सके कि किस कदर रोजाना घंटों इन्हें ऐसे कामकाज में जूझना पड़ता है जिसकी उत्पादक-श्रम के रूप में अभी तक कोई पहचान नहीं बन पायी है। किसी देश की राष्ट्रीय आय और उत्पादकता को मापना राष्ट्रीय सकल उत्पादन पर आधारित होता है। सकल राष्ट्रीय उत्पादन उन वस्तुओं, सामग्रियों और सेवाओं का मापन नहीं करता, जिनका कोई मौद्रिक मूल्य नहीं है और तीसरी दुनियाँ के देशों में इस्तेमाल किये जाने पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद की पद्धति जीवन निर्वाहक्षम खाद्यान्न उत्पादन की महत्वपूर्ण भूमिका और अनौपचारिक (सच्चे अर्थों में उत्पादक) गतिविधियों की विविधता को पूरी तरह नजर अंदाज कर देती है।

गलत विकास नीतियों के चलते विकास में औरतों की साझेदारी और उनके काम किसी को नजर नहीं आ रहे हैं। औरत के काम की अदृश्यता, उसकी संपत्तिहीनता और सांस्कृतिक पराधीनता, उसकी निज की आमदनी पर उसका खुद का अधिकार न होना, दोषपूर्ण विकास प्रक्रिया में उसका सीमांतीकरण, पुरुष सत्तात्मक सामाज-व्यवस्था की समस्याएं परंपरागत ग्रामीण जीवन की ऐसी समस्याएं हैं, जिन्हें सतही तौर पर ही उठाया जाता रहा है। ग्रामीण विकास की पुरुषमूलक दृष्टि से चलायी जा रही विकास कार्रवाइयों में औरतें गायब हैं। मानव को लक्ष्य मान कर चलने का नजरिया दरअसल पुरुष को ही लक्ष्य मान कर चल रहा है। यही कारण है कि ग्रामीण इलाकों में विकास की अंधी दौड़ तेजी से औरतों को उनकी परंपरागत भूमिका, उत्तरदायित्व और क्रियाशीलता से बेदखल कर रही है।

237, बाघम्बरी हाउसिंग स्कीम,
फिदवई नगर, अल्लापुर,
इलाहाबाद–211006 (उ.प्र.)

# क्या सुधरेगी दशा भारतीय महिलाओं की ?

डा. पद्मावती (पद्मा राय)

देश को आजादी मिले 42 वर्ष हो गये लेकिन महिला वर्ग एक ऐसा वर्ग है जिसमें प्राय: सामाजिक चेतना का अभाव है। महिलाओं में चेतना का भाव प्राय: शहरी क्षेत्रों और पढ़े-लिखे समुदाय तक सीमित पाया जाता है। महिलाओं का अधिकांश वर्ग ग्रामीण क्षेत्रों में है, जहां चेतना और जागरूकता की सर्वथा कमी है। अशिक्षा, चेतना का अभाव तथा देश-समाज में होने वाले परिवर्तनों के बारे में अनभिज्ञता के कारण अधिकांश महिलाओं को अत्याचार सहते हुए पुरुषों के पीछे मजबूर होकर चलना पड़ता है।

भारतीय परम्पराओं के अनुरूप हमारे संविधान में न केवल स्त्री-पुरुष के समान अधिकारों की घोषणा की गई, बल्कि महिलाओं के स्तर को बढ़ाने, उनकी सामाजिक–आर्थिक स्थिति को उन्नत करने के लिए समय-समय पर कई कानून भी बनाये गये हैं। महिलाओं की प्रगति में रुकावट डालने वाली विभिन्न बाधाओं को दूर करने के लिये भी सामाजिक कानून बनाये जा चुके हैं। लेकिन ये कानून ही पर्याप्त नहीं हैं। कानूनी तौर पर स्त्रियों की स्थिति में सुधार लाने के अनेक कार्यक्रम बनाये जाने के बावजूद हमारे देश में ऐसी भी स्त्रियां हैं जो बाल विवाह, पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा, अशिक्षा आदि जैसी सामाजिक बुराइयों का शिकार हो रही हैं। आज के समाज में स्त्रियों की इस दयनीय दशा को देखने से लगता है कि इस धन-लोलुप, अतृप्त समाज में स्त्री के समान अधिकारों की बात तो दूर रही, उनकी सुरक्षा भी शायद सम्भव नहीं।

अधिकांश गरीब परिवारों की महिलायें पारिवारिक आय का बोझ उठाती हैं। उन्हें पारिवारिक उत्तरदायित्वों, सीमित आवागमन और सामाजिक बन्धनों का सामना करना पड़ता है। जहां तक रोजगार का प्रश्न है, प्राय: सभी क्षेत्रों में महिलायें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। पुरुषों द्वारा किये जाने वाले कार्यों का यन्त्रीकरण हो रहा है, लेकिन आज भी महिलायें श्रम प्रधान कार्यों (यथा धान की रोपाई, अनाज साफ करना, फल ओर पत्तियां तोड़ना, हाथ से मूंगफली के छिलके उतारना आदि) में लगी हुई हैं। अपनी योग्यता, कार्यक्षमता एवं निष्ठा के द्वारा महिलाओं ने कई क्षेत्रों में पुरुषों से कहीं अधिक सफलता प्राप्त करके यह सिद्ध कर दिया है कि वे केवल एक कुशल गृहिणी ही नहीं हैं, अपितु बाह्य जगत के सभी कार्यों को समय व आवश्यकता के अनुरूप भली-भांति कर सकती हैं।

उपयुक्त परिस्थिति में हमारी सरकार का यह प्रयत्न रहा है कि महिलाओं को उनकी शिक्षा एवं योग्यता के अनुसार काम मिले, काम को उचित दशा मिले, ताकि महिलाएं अपना सामाजिक-आर्थिक स्तर उठाकर राष्ट्रीय विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये छठी योजना से महिला कल्याण के लिये विशेष कार्यक्रम चालू किये गये। सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रम के तहत आय पैदा करने वाली विभिन्न प्रकार की यूनिटें स्थापित की जा रही हैं जिनमें महिलाओं और अपंग व्यक्तियों को पूर्णकालिक या अंशकालिक रोजगार दिया जाता है। छठी योजना के दौरान 'समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम' को देश के सभी 5092 विकास खण्डों में लागू किया गया। योजना के प्रथम तीन वर्षों की प्रगति को देखने से पता चलता है कि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लाभ महिलाओं को पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहे हैं। अत: महिलाओं की आय बढ़ाने तथा उन्हें आय-उत्पादन क्रिया-कलाप प्रारम्भ करने में समर्थ बनाने के लिए ग्रामीण विकास विभाग ने 'समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम' के एक घटक के रूप में एक नई योजना तैयार की। इसे 'ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं का विकास' कार्यक्रम कहते हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लक्षित वर्ग के परिवारों की महिला सदस्यों पर ध्यान केन्द्रित करना है ताकि उन्हें आय पैदा करने वाली गतिविधियां शुरू करने के लिए सहायता और आवश्यक सेवाएं सुलभ कराई जा सकें।

'समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम' के एक अंग के रूप में ग्रामीण युवक-युवतियों को स्वरोजगार प्रदान करने हेतु प्रशिक्षण देने की एक राष्ट्रीय योजना भी शुरू की गई जिसे 'ट्राइसेम' के नाम से जाना जाता है। 'ट्राइसेम' कार्यक्रम के

अन्तर्गत प्रत्येक विकास खंड से 40 युवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण देने की सुविधा प्रदान की जाती है; जिसमें एक तिहाई महिलाओं को शामिल करने का प्रयास किया जाता है ताकि वे अपना निजी काम धंधा शुरू कर सकें। सातवीं योजना में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लगभग 2 करोड़ लोगों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत उन परिवारों को प्राथमिकता दी जा रही है जिनकी मुखिया महिलायें हों। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत भी महिलाओं को समुचित रोजगार देने पर बल दिया जा रहा है।

सातवीं योजना में रोजगार उत्पन्न करने वाले कार्य-कलापों को बढ़ावा देने के लिये 'महिला विकास निगम' नामक एक योजना तैयार करने का प्रस्ताव महत्वपूर्ण है। इस दिशा में महिला योजना एवं निगरानी कक्ष स्थापित करने का भी प्रावधान है। केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा प्रौढ़ महिलाओं के साक्षरता अभियान को नई शिक्षा नीति में विशेष महत्व दिया गया है। इनके लिये संक्षिप्त पाठ्यक्रम और व्यावसायिक प्रशिक्षण का आयोजन करने के लिये भी अनुदान की व्यवस्था है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जरूरतमंद महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। सातवीं योजना में यह प्रावधान रखा गया है कि जरूरतमंद और बेसहारा महिलाओं के लिये गैर-परम्परागत व्यवसायों में संक्षिप्त पाठ्यक्रम का विस्तार किया जायेगा। कामकाजी महिलाओं के लिये उपयुक्त आवास सुविधा प्रदान करने हेतु तेजी से होस्टलों का निर्माण किया जायेगा। इस ओर सरकार अब ध्यान दे रही है।

महिलाओं के लिये चलाये जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों और कानूनों के बारे में आम नागरिकों को जानकारी नहीं है। अभी तक महिलाओं में अपेक्षित सीमा तक जागरूकता पैदा नहीं हुई, और न ही इनमें परम्परागत रीति-रिवाजों की जकड़ ढीली करने में सफलता मिल पाई है। अतः महिलाओं में आत्म-विश्वास तथा निजी क्षमता, अधिकारों और सुविधाओं के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिये जनसंचार के विभिन्न माध्यमों का व्यापक प्रयोग किया जा रहा है।

समाज कल्याण कार्यक्रम का उद्देश्य उन महिलाओं की विशेष आवश्यकतायें पूरी करना है जो किसी सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक अथवा मानसिक अक्षमता के कारण या परम्परागत रूप से नकारे जाने के कारण समाज द्वारा दी गई सुविधाओं का लाभ उठाने में असमर्थ रही हैं। समाज कल्याण के क्षेत्र में बाल विवाह, दहेज, अशिक्षा और महिलाओं पर अत्याचार जैसी सामाजिक बुराइयों के प्रति जनमत उत्पन्न करने के लिये प्रोत्साहन दिया जा रहा है। महिलाओं को मुफ्त कानूनी सहायता देने की भी व्यवस्था की गई है। पारिवारिक समस्याओं को सुलझाने हेतु स्वयंसेवी संगठनों द्वारा पारिवारिक परामर्श केन्द्र भी चल रहे हैं जिसके लिए समाज कल्याण बोर्ड अनुदान देता है।

भारत सरकार द्वारा घोषित की गई नीति में भी समानता के आधार पर महिलाओं की शिक्षा पर विशेष बल दिया जा रहा है। प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों में महिलाओं के लिये विशेष कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं यथा स्वास्थ्य, पोषाहार, शिशु देखभाल तथा परिवार कल्याण जैसे विषयों में शिक्षा दी जाती है। साथ ही पाठ्यक्रम में सिलाई-कढ़ाई, शिक्षण तथा सामूहिक परिचर्चाओं के माध्यम से जागरूकता पैदा करने, जैसे विषयों को भी शामिल किया गया है। समाज कल्याण मन्त्रालय द्वारा लागू की गई 'व्यस्क महिलाओं की साक्षरता कार्यात्मक योजना के अन्तर्गत महिलाओं को शिक्षित करने का कार्य चालू है।

महिलाओं के सर्वांगीण विकास हेतु सरकारें आवश्यकतानुसार विशेष कार्यक्रमों का आयोजन करती हैं, उनकी कमियों का अध्ययन कर उसमें संशोधन भी करती हैं। फिर भी हमारा समाज महिलाओं के प्रति भेदभाव वाली पुरानी परम्पराओं और धार्मिक मान्यताओं से मुक्त नहीं हो पाया है। जब तक महिलाएं अपने भरण-पोषण के लिए आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर नहीं होंगी, समता की बात करना निरर्थक है। महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक उन्नति के लिए देश के विकास से सम्बन्धित सभी क्षेत्रों में उनके लिये बराबर की भागीदारी का होना अति आवश्यक है। महिलाओं को अंधविश्वास, अशिक्षा जैसी सामाजिक बुराइयों से ऊपर उठना ही होगा, तभी वे विभिन्न क्षेत्रों में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ पायेंगी। महिलाओं के हितार्थ बनाये जाने वाले कानूनों और चलाए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों को लागू कराने हेतु देश में एक बहुत बड़े अभियान की आवश्यकता है।

द्वारा डा. ईश्वरदत्त सिंह
आवास सं. 4
काशी विद्यापीठ, वाराणसी–2

# पर्वतीय क्षेत्र की 'भोटिया' महिलायें

एस. अलमेलू

उत्तर प्रदेश का पर्वतीय क्षेत्र 'भोटिया' आदिवासियों की जीवन लीला केन्द्र है। जिलावार ये लोग अल्मोड़ा, चमौली, पिथौरागढ़ व उत्तरकाशी में निवास करते हैं। इनमें काफी लोग शिक्षित व प्रगतिशील हैं। चमौली जिले में भोटियों की संख्या जोशी मठ विकास क्षेत्र में है। पिथौरागढ़ जिले में भोटिया जनजाति के लोग चार घाटियों-दारमा व्यास, चौदांत तथा जोहार में निवास करते हैं।

आदिकाल से भोटिया की पड़ोसी जनजाति 'राजी' रही है जो अभी भी पिथौरागढ़ की पहाड़ियों और गुफाओं में निवास करती है। भोटिया जनजाति की भौतिक-संरचना तिब्बत के लोगों से ज्यादा मिलती है। विलियम कुर्क (दि ट्राइब्स एंड कास्टस आफ दि नार्थ वेस्ट्रन इण्डिया) के अनुसार भोटिया जनजाति के पूर्वजों के बारे में वाद-विवाद हैं। कुछ लोग इसे मंगोल प्रजाति से सम्बंधित मानते हैं तथा यह तर्क देते हैं कि ये लोग बाहर से आये हैं परन्तु सामाजिक मानवशास्त्री इस मत का खंडन करते हैं तथा इन्हें भारत के मूल निवासी मानते हैं। पिथौरागढ़ के कुछ क्षेत्रों में भोटियों की बोली 'रेनका' या 'रंक' के नाम से जानी जाती है। ये लोग हिन्दी से भली-भांति परिचित हैं।

### वन के वासी—अभ्यस्त जीवन

भोटिया लोग कई छोटे-छोटे गांवों में निवास करते हैं। घने जंगलों के बीच इनका जीवन सरल है। इनके पहनावे तथा खानपान में उत्तरांचल तथा तिब्बत दोनों की सांस्कृतिक विशेषताओं का मिश्रण देखने को मिलता है। भोजन में मांस अधिक प्रयोग होता है। मदिरा का प्रयोग जन्म, विवाह, मृत्यु सभी संस्कारों में होता है। वर्तमान में भी बच्चों के नामकरण के समय लामा को बुलाना इनका रिवाज है।

### आर्थिक जीवन—प्रकृति की देन

भोटिया आदिवासियों का जीवन अत्यंत कठिन है। यद्यपि अब इनका प्रमुख व्यवसाय कृषि तथा बागवानी होता जा रहा है किन्तु परम्परा से उनका मुख्य व्यवसाय व्यापार है। कहा जाता है कि पहले ये तिब्बत से व्यापार करते थे ऋतु परिवर्तन के साथ, गर्मी के दिनों में ये लोग सुदूर पर्वतों में भारत-तिब्बत सीमा स्थित घरों में चले जाते हैं और शीतकाल में पुनः मैदानों में चले आते है। इस प्रकार वर्ष में इनका पूरा परिवार दो बार स्थानान्तरण करता है। व्यापार, पशुपालन तथा खेती के अतिरिक्त ऊनी वस्तुओं का उत्पादन इनकी अर्थव्यवस्था का अभिन्न अंग है। भोटियों का आर्थिक तथा सामाजिक जीवन विशेष रूप से संयुक्त परिवार के अनुकूल रहा है चूंकि व्यापार, खेती तथा ऊनी कपड़े आदि के उत्पादन के लिये संयुक्त परिवार प्रणाली इसके लिये काफी उपयोगी है।

### भोटिया महिलायें - आर्थिक क्षेत्र में

भोटिया ग्रामों के संक्षिप्त सर्वेक्षण से ही यह विदित हो जाता है कि इनकी महिलायें कितनी परिश्रमी हैं। वास्तव में इनकी स्थिति, पड़ोस के इलाकों की स्त्रियों से काफी ऊंची रही है। सामाजिक एवं पारिवारिक मामलों में इन्हें काफी स्वतन्त्रता है। व्यापार के कारण तथा पुरुषों के निरन्तर बाहर रहने के कारण स्त्रियां ही सारे कारोबार को देखती हैं। खेती के अतिरिक्त स्त्रियां गलीचे, चादरें, पश्मीने आदि जैसी ऊनी वस्तुओं के बनाने में अत्यंत निपुण हैं। वर्ष में तीन बार भेड़ों से ऊन काटा जाता है तथा तीसरी बार काटे ऊन से पंखी, च्वेला (बड़ा ऊनी कम्बल), कालीन आदि बनाये जाते हैं।

अल्मोड़ा के ग्राम 'तिमला बागर' की खखोती देवी एक ऐसा उदाहरण है, जिसने परिस्थितियों से जूझते हुये स्वतः रोजगार की ओर कदम उठाया। तीन वर्ष पूर्व खखोती देवी के पति की मृत्यु हो गई थी। परिस्थिति से बिना विचलित हुये, खखोती देवी ने अपने तीन बच्चों का पालन-पोषण खड्डी (loom) पर सूती व ऊनी ओढ़नी, बिछौने आदि बनाकर व उन्हें बेचकर काम आरम्भ किया। इस क्षेत्र में कार्य कर रही एक संस्था ने खखोती देवी को आर्थिक रूप से थोड़ी सहायता की है। खखोती देवी के बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं। वह स्वयं घर संभालती है तथा पास के बाजार से कच्चा माल लेने स्वयं जाती है। माल बुनकर तैयार होने पर 'दानपुर' नामक स्थान से आने वाले फेरी वाले उससे माल खरीद कर ले जाते हैं। इस प्रकार खखोती की महीने की आमदनी करीब तीन सौ रुपये है। इस महिला की इच्छा है कि वह एक समिति का गठन करे जिसमें अन्य भोटिया महिलायें मिलकर खड्डी पर कार्य करें व माल बेचकर, प्राप्त राशि से अन्य विकास के साथ महिलाओं के उत्थान के लिये लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करें।

अल्मोड़ा के कुछ भोटिया ग्रामों में सरकारी योजनायें भी पहुंची हैं, परन्तु इन योजनाओं की लगातार व हित की ओर किसी ने भी कदम उठाने का प्रयास नहीं किया। मार्च से दिसम्बर 1986 तक 14 भोटिया महिलाओं ने ट्राइसेम के अंतर्गत कालीन बनाने का प्रशिक्षण लिया था जिसमें उन्हें 150 रुपये प्रति माह वजीफा भी मिला था, परन्तु दुख का विषय यह है कि इस ट्रेनिंग ने महिलाओं को अपने पैरों पर खड़े होने के लिये किसी प्रकार का पथ-प्रदर्शन नहीं किया। वास्तव में पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं को उनके व्यक्तित्व के विकास के लिये प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। इन भोटिया महिलाओं की निम्नलिखित कठिनाइयां हैं।

– शिक्षा का अभाव तथा सरल तकनीकी प्रशिक्षण का अभाव,
– ग्रामों में जागरूक महिला मंडलों का अभाव,
– ट्रेनिंग प्राप्त महिलाओं के लिये रोजगार के अवसरों का अभाव,
– कालीन बनाने वाली भोटिया स्त्रियों के पास उचित सामग्री न होना तथा पुराने डिजाइनों का प्रयोग व रंगों का मेल भी शहरी बाजारों के अनुकूल न होना।

उक्त विवरण से विदित होता है कि भोटिया महिलायें परम्परानुसार कालीन, चादरें आदि बनाने में निपुण हैं परन्तु निर्धनता के कारण इस कला का विकास भली-भांति नहीं हो पाया है। अतः आवश्यकता न केवल वस्तुओं व भौतिक वातावरण उपलब्ध कराने की है अपितु इन महिलाओं के व्यक्तित्व को उभारने की भी। वास्तव में इन महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक एवं मानसिक विकास के अवसर मिलने चाहिये। प्रश्न यह है कि विकास के कार्यक्रम कैसे बनाये जायें ? इस क्षेत्र के विकास, मुख्यतः महिलाओं के विकास के लिये निम्न कदम उठाये जाने चाहिये :

– इस क्षेत्र का सर्वेक्षण,
– इस के सम्बन्ध में मीटिंग करवाना,
– रोजगार के अवसरों से महिलाओं को अवगत कराना,
– क्षेत्र में जागृति लाना
– महिलाओं के संगठन बनाना, उनके बीच महिला शक्ति तथा उन्हें प्रशिक्षण देना। कच्चे माल खरीदने से लेकर उत्पादन की बिक्री तक के विभिन्न पहलुओं को समझाना आदि,
– बैंक ऋण अथवा अन्य अनुदान के जरिये महिलाओं को खड्डी व अन्य आवश्यक वस्तुयें दिलवाना।

यदि भोटिया महिलाओं के विकास में थोड़ी-सी सहायता की जाये तो निश्चय ही इस क्षेत्र के विकास में इन महिलाओं का योगदान सार्थक सिद्ध होगा।

**एफ. 51 ग्रीन पार्क (मेन)**
**नई दिल्ली–110016**

# ग्रामीण महिलाओं की पीड़ा कुछ तो कम हो

श्रीमती अशोका गुप्ता
अध्यक्षा, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन

यह तो जग जाहिर है कि महिलाओं द्वारा सामाजिक अधिकारों तथा जीवन के सभी पक्षों में समानता प्राप्त करने के प्रयासों और आग्रहों के पश्चात भी विकास के सभी भागों में उनके विरुद्ध भेदभाव बरता जाता है। इसके कई कारण हैं, जो स्पष्ट रूप से हर कहीं देखे जा सकते हैं। एक मूल कारण जिससे कोई आंखें नहीं चुरा सकता है कि महिलाओं को शिक्षा तथा निर्णय लेने की प्रक्रिया से संबद्ध नियुक्तियों और महत्वपूर्ण पदों पर पहुंचने के अवसरों से वंचित रखा जाता है। साथ ही महिलाओं को समाज और यहां तक कि स्वयं अपने परिवार में भी शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना का निशाना बनना पड़ता है।

महिलाओं की योग्यता, बुद्धि तथा पुरुषों के साथ उत्तरदायित्व निभाने के उनके अधिकार के बारे में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने 20 फरवरी 1918 को बंबई में महिलाओं के पुनरुद्धार विषय पर भगिनी समाज को संबोधित करते हुए कहा था : "स्त्री पुरुष की संगिनी है और उसे भी पुरुष जितनी ही बुद्धि भी मिली है। उसे पुरुष के हर छोटे-से-छोटे काम में हाथ बंटाने का अधिकार है और साथ ही उसे पुरुष के समान स्वतंत्रता का भी अधिकार है। उसे अपने काम-काज के क्षेत्र में वही सर्वोच्च स्थान प्राप्त होना चाहिए जो पुरुष के कार्य-क्षेत्र में है। ऐसा स्वयं प्रकृति स्वरूप होना चाहिए न कि केवल लिखने-पढ़ने की योग्यता के कारण। लेकिन दुर्भाग्य से समाज में फैली सामाजिक कुरीति से अज्ञानी से अज्ञानी और बेकार से बेकार पुरुष भी महिलाओं से श्रेष्ठ माने जाते हैं जबकि सच्चाई यह है कि इस श्रेष्ठता पर ऐसे पुरुषों का न तो अधिकार बनता है और न बनना ही चाहिए।"

महिलाओं की स्थिति के बारे में संयुक्त राष्ट्र आयोग ने भी स्वीकार किया है कि हालांकि महिलाएं विश्व जनसंख्या का 50 प्रतिशत हैं और वे कुल कार्य का दो-तिहाई हिस्सा करती हैं लेकिन वे कुल आय का मात्र एक तिहाई हिस्सा ही कमा पाती हैं। महिलाएं किसी भी देश में पैदा होने वाली खाद्य सामग्री का 50 प्रतिशत भाग तैयार करती हैं लेकिन कुल आय में उनका हिस्सा मात्र 10 प्रतिशत होता है। महिलाएं देश की कुल सम्पत्ति के केवल 10 प्रतिशत भाग की स्वामिनी हैं। और तो और शिक्षा जैसे क्षेत्र में महिलाओं की पहुंच इतनी कम है कि भारत में केवल 25 प्रतिशत महिलाएं ही साक्षर हैं।

हममें से अधिकतर ने आशा संजोई थी कि स्वतंत्रता के नए प्रकाश से भारत की ग्रामीण महिलाओं का सदियों से चला आया अंधकारमय जीवन भी जगमगा उठेगा लेकिन अब भी देश में ग्रामीण महिलाओं की दयनीय स्थिति देखकर मन व्याकुल हो उठता है। देश के स्वाधीनता संग्राम में महिलाएं भी तो समान रूप से शामिल थीं फिर उनके साथ यह अन्याय क्यों?

इस बात को कोई झुठला नहीं सकता कि ग्रामीण महिलाएं अपने दैनिक कर्तव्यों – जैसे पानी भरना, मवेशियों के लिए चारे का प्रबंध, खेतों-खलिहानों में फसल और अनाज पैदा करने की प्रक्रिया में भाग लेना आदि को निभाते हुए प्रति दिन 13-14 घण्टे परिश्रम करती हैं। वे दिन भर अपनी गृहस्थी के कामों में खटती रहती हैं – चाहे चूल्हा फूंकना हो या बच्चों की देख-रेख, उन्हें तो बस वही नीरस चक्की पीसनी है। देश के तटीय पहाड़ी इलाकों में – जहां खारे पानी की नदियां बहती हैं – तो महिलाओं की स्थिति और भी दयनीय है क्योंकि उन्हें पीने योग्य पानी का एक मटका लाने के लिए मीलों पैदल चलना पड़ता है। उसके पास इतना समय नहीं बच पाता है कि वे अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दे सकें। उनके जीवन की चक्की एक ऐसी धुरी पर घूमती रहती है जिसको वे बदल नहीं सकतीं क्योंकि उनकी मानसिकता

और परिवार में उनकी स्थिति ऐसी ढल चुकी होती है कि वे चाह कर भी बेबसी की लक्ष्मण-रेखा पार नहीं कर सकतीं।

मैं ग्रामीण महिलाओं की स्थिति और बेबसी को आयु-वर्गों में विभाजित करना चाहूंगी ताकि एक ऐसी स्पष्ट तस्वीर सामने आ सके जिसके आधार पर हम आने वाले वर्षों के दौरान उनकी स्थिति में सुधार के लिए कार्य कर सकें।

**बालिकाएं और युवतियां**

ग्रामीण भारत में लड़कियों को स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में लड़कों के समान अवसर प्राप्त नहीं हो पाते हैं। उन्हें वे गुण भी समान रूप से नहीं प्राप्त हो पाते हैं जो उन्हें वयस्क जीवन में सफल बना सकें – जैसे शिक्षा तथा सन्तान जनने से संबंधित उत्तरदायित्व।

विभिन्न रोजगारों से संबंधित शिक्षा तथा व्यवसायोन्मुखी प्रशिक्षण भी युवतियों को नहीं मिल पाता। स्वरोजगार में लगी युवतियों और लड़कियों को ऐसी कोई सहायता नहीं मिल पाती कि वे सहकारी समितियों और उत्पादन, विपणन तथा प्रबंध तकनीकों में अपनी दक्षता की वृद्धि के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों को चला सकें। अल्पायु माताएं और लड़कियां, जो स्कूली पढ़ाई पूरी करने से पहले ही विभिन्न कारणों से स्कूल छोड़ने को विवश हो जाती हैं, अच्छा रोजगार पाने के योग्य नहीं रह पातीं क्योंकि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिससे ऐसी युवतियों और लड़कियों को अपनी पढ़ाई जारी रखने या नौकरी करते हुए पढ़ाई करते रहने की सुविधा प्रदान की जा सके।

रोजगार के दौरान युवतियों के शोषण को जड़ से मिटाने के लिए उनके सुरक्षित रहने के अधिकार को सुनिश्चित करने से संबंधित प्रावधानों को लागू नहीं किया जाता। ग्रामीण इलाकों में कोई युवती या लड़की अगर कहीं काम कर रही है– चाहे खेत-खलिहान हो या अन्य स्थान-तो कभी भी उसका शारीरिक शोषण किया जा सकता है। ग्रामीण भारत के वातावरण में पली ये अबलाएं परिवार की लाज और सामाजिक कारणों से अपनी व्यथा के कड़वे घूंट पीकर मन मसोस कर रह जाती हैं। महिलाओं की स्थिति में सुधार तथा उनकी विवशता का अनुचित लाभ उठाने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करने से ही युवतियाँ अपने अधिकार जता सकेंगी। नौकरी करने वाली, विशेष कर घरेलू सेवा में लगी महिलाओं के शारीरिक शोषण की वास्तविकता से हम सभी परिचित हैं, लेकिन जब तक ग्रामीण भारत का समाज सक्रिय नहीं हो उठता और हमारे पुरुष वर्ग की आंखें नहीं खुल जातीं तब तक महिलाएं इस प्रकार के अत्याचारों का शिकार होती रहेंगी।

इस सदी के अंत तक 15 से 24 वर्ष की आयु वर्ग की युवतियां देश की ग्रामीण जनसंख्या का 8 प्रतिशत भाग हो जाएंगी। इनमें से अधिकतर तब नौकरी की खोज में होंगी। नौकरी में लगी महिलाओं के जब-तब के शोषण, काम के अधिक घंटों तथा इससे उत्पन्न होने वाले तनाव से उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। समयपूर्व विवाह, पोषण-स्तर में कमी तथा अनियोजित और बार-बार के गर्भधारण से महिलाओं की स्थिति और भी नाजुक हो जाती है। इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि इस दुश्चक्र को कैसे रोका जाए और महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए अगले दशक में गैर सरकारी संस्थाएं क्या भूमिका निभा सकती हैं।

**शोषित महिलाएं**

ग्रामीण इलाकों में युवतियों और लड़कियों के परिवार में अनैतिक शोषण के अलावा अकेली महिलाओं – बच्चों वाली अथवा सन्तानहीन–का भी, बड़ी संख्या में शोषण किया जाता है। क्योंकि इन महिलाओं की रक्षा के लिए कोई पुरुष सदस्य नहीं होता; अतः उनके विरुद्ध हिंसा की घटनाएं होती रहती हैं तथा ऐसी महिलाओं के सम्मान और लाज को भी निरंतर खतरा बना रहता है।

ऐसी हिंसा, बेइज्जती और शोषण की पीड़ित महिलाओं की सहायता करना बड़ा कठिन होता है क्योंकि उनके पास न तो उपयुक्त निवास होता है और न ही पड़ोसियों का सहारा। इसलिए ऐसी महिलाओं को कानूनी तथा अन्य सहायता उपलब्ध करायी जानी चाहिए।

महिलाओं के प्रति हिंसा के बारे में जब तक लोगों की जागरूकता में भारी वृद्धि नहीं हो जाती तथा इस हिंसा के कारणों का सही विश्लेषण करने और उसे पूरी तरह समाप्त करने के लिए जब तक कानूनी और अन्य उपाय नहीं किए जाते, तब तक अकेली ग्रामीण युवतियां समाज में हर समय शोषण का लक्ष्य बनी रहेंगी। अतः इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाने की आवश्यकता है।

अकेली पड़ गई महिलाओं के अलावा भयंकर दरिद्रता में जीवन काट रही महिलाएं और लड़कियां भी समाज विरोधी

तत्वों और दलालों द्वारा शोषित की जाती हैं। हमारे अत्यंत पिछड़े ग्रामीण इलाकों में जनसंख्या की अत्यधिकता के दुष्परिणामस्वरूप महिलाओं और लड़कियों को बेचे जाने की अमानवीय घटनाओं में भी वृद्धि हो रही है। अतः सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आर्थिक विकास की गतिविधियों में बेसहारा और बेबस महिलाओं की विशेष परिस्थितियों और आवश्यकताओं को समुचित प्राथमिकता दी जाए, विशेष रूप से बेघर बेसहारा महिलाओं को आवास उपलब्ध कराया जाए।

**वृद्ध महिलाएं**

और अंत में, ग्रामीण परिवारों में गुजर-बसर करने वाली वृद्ध महिलाओं की दयनीय स्थिति पर भी विचार किया जाना चाहिए। क्योंकि ऐसी महिलाओं को, चाहे वे अविवाहित हों या विधवा, रोजगार मिल पाने की संभावना बहुत कम रहती है तथा साथ ही कोई ऐसा परिवारजन भी नहीं होता जिसका वे सहारा ले सकें। अतः उनकी स्थिति अत्यंत दयनीय होती है। यह बात विशेष रूप से उन वृद्ध महिलाओं पर लागू होती है जो संयुक्त परिवार में रहते हुए या आश्रित होकर अपना जीवन ऐसे घरेलू काम-काज में गंवा देती हैं जिसके लिए न तो उन्हें पारिश्रमिक मिलता है और न ही मान्यता। आय अर्जित करने का उनका कोई स्रोत नहीं होता है। देश में सामाजिक वातावरण की सही पहचान होने के नाते गैर-सरकारी संस्थाओं को वृद्ध महिलाओं को उत्पादक और सृजनात्मक कार्य में रोजगार उपलब्ध कराने तथा क्रेश, बाल-बाड़ियों और भजन मण्डलियों आदि की मनोरंजक गतिविधियों में वृद्ध महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने की संभावनाओं का पता लगाना चाहिए।

महिलाओं सहित वृद्ध लोगों की देखभाल में उनकी पूरी भलाई का ध्यान रखा जाना चाहिए। विशेष रूप से उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा तथा उपयुक्त आवास उपलब्ध कराये जाने के लिए प्रयास किए जाने की आवश्यकता है ताकि वृद्ध महिलाएं स्वयं अपने घर में जब तक संभव हो तब तक सार्थक जीवन बिता सकें, क्योंकि हमारे ग्रामीण भारत में आज भी वृद्ध लोगों के प्रति सम्मान बना हुआ है। हालांकि शहरी क्षेत्रों में वृद्धों के प्रति ऐसा अपनापन अब समाप्त सा हो रहा है क्योंकि छोटे परिवार के सिद्धान्त ने बयोवृद्ध सदस्यों को घरों से बाहर 'वृद्धायु-गृहों' अथवा ऐसी ही अन्य संस्थाओं में पटक दिये जाने की परंपरा शुरू कर दी है।

एक के बाद एक विश्व सम्मेलनों ने यही पाया है कि ग्रामीण इलाकों में महिलाओं की स्थिति में सुधार करने के रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए, "विकास प्रक्रिया में सभी महिलाओं की प्रभावकारी भागीदारी को सुदृढ़ किया जाना चाहिए जिससे वे बुद्धिजीवी, नीति-निर्माण और निर्णयकर्ता, योजना बनाने वाले, योगदान करने और लाभ पाने वाले की भूमिका निभा सकें। इस भागीदारी को विश्व के विभिन्न क्षेत्रों और देशों की महिलाओं की विशिष्ट समस्याओं तथा उन क्षेत्रों या देशों में महिलाओं के विभिन्न वर्गों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सुनिश्चित किया जाना चाहिए। नीतियों, योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं को बनाते तथा लागू किए जाते समय भी यही वचनबद्धता परिलक्षित होनी चाहिए। साथ ही इस बात का भी भान होना चाहिए कि महिलाओं की पूर्ण और प्रभावकारी भागीदारी से विकास की गति और तीव्र होगी तथा सामाजिक विकास में भी तेजी आएगी।"

केवल इन्हीं प्रयासों से ग्रामीण महिलाओं की पीड़ा दूर की जा सकेगी और उनकी स्थिति में सुधार आएगा। लेकिन इसके लिए देश में गैर-सरकारी संस्थाओं और सरकार को ग्रामीण महिलाओं तक पहुंचने के लिए पूर्ण समर्पण से प्रयास करने होंगे।

महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए कुछ नीतियां "महिला विकास के लिए अपनाई जाने वाली नीतियों संबंधी दिशा निर्देश" में दी गई हैं : "क्योंकि विकास का प्रमुख उद्देश्य व्यक्ति और समाज की भलाई में और सुधार करना तथा सभी को विकास के फल बांटना है अतः विकास को केवल वांछित लक्ष्य के रूप में ही नहीं देखा जाना चाहिए बल्कि स्त्री-पुरुष की समानता तथा शांति स्थापित करने के एक उपाय के रूप में भी देखा जाना चाहिए।"

लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि आप लोगों तक कैसे पहुंचेंगे, सरकार और गैर-सरकारी संस्थाएं देश के दूर-दराज इलाकों में भेद-भाव के शिकार लोगों में किस प्रकार समुचित जागरूकता पैदा करें?

जो लोग अहिंसा की शक्ति में विश्वास रखते हैं उन्हें गांधीजी के संदेश में निहित आह्वान का आभास होना चाहिए। महिलाओं के बारे में बापू ने कहा था : "मेरी सबसे बड़ी उम्मीद महिलाओं से है। उन्हें उस कुंए से बाहर

शेष पृष्ठ 26 पर

# ग्रामीण विकास के क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका

ममता

ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी महिलाएं कठोर परिश्रम करती हैं। यद्यपि प्रगति की दौड़ में अब हमारे गांव भी शामिल हो चुके हैं। लेकिन फिर भी जो सुविधाएं शहरों में सुलभ हैं, उन सभी का रिश्ता गांवों से अभी ज्यादा नजदीक का नहीं हुआ है। अतः इस बात पर विशेष ध्यान दिए जाने की जरूरत है कि देहाती इलाकों में जो विकास योजनाएं चल रही हैं उनकी जानकारी ग्रामीण महिलाओं को भी अवश्य होनी चाहिए ताकि उनका पूरा-पूरा लाभ उठाया जा सकें। लेकिन इस दिशा में ग्रामीण महिलाओं की अशिक्षा वाली स्थिति सबसे बड़ी बाधा है।

ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की शिक्षा के लिए केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने संक्षिप्त पाठ्यक्रम योजना चला रखी है, जिससे सत्रह से तीस वर्ष की महिलाओं को दो वर्ष तक गांवों में ही शिक्षा दी जाती है तथा कक्षा दस की परीक्षा की तैयारी करायी जाती है। इस योजना में किताबें, कापियां तथा साथ में 15 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता भी मिलती है। देश भर में यह योजना समाज सेवी संस्थाओं के माध्यम से चलाई जा रही है। अतः ग्रामीण महिलाओं को यह बात स्वयं देखनी होगी कि उनकी बिटिया स्कूल अवश्य जाए और यदि स्कूल की सुविधा गांव से दूर है तो वे उपरोक्त योजना का लाभ उठा सकती हैं।

एक ओर जहां आज महानगरों में नारी-मुक्ति की बातें होती हैं वहीं हमारे देश के गांवों में बसने वाली असंख्य महिलाएं इसका मतलब तक नहीं समझतीं। क्योंकि वे अनपढ़ होने के कारण निराश हैं। जन्म लेने से हाथ पीले किए जाने तक उनकी सारी ताकत घर गृहस्थी के काम धंधे से निपटने में ही चुक जाती है जबकि एक धारणा यह भी है कि गांवों में रहने वाली महिलाओं की स्थिति अब बहुत तेजी से सुधर रही है। खैर यह एक अच्छी बात है। केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही महिला विकास योजनाओं एवं कार्यक्रमों के अलावा बहुत से इलाकों में स्वैच्छिक संगठन भी प्रशंसनीय कार्य कर रहे हैं।

हमारे देश में कुल आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा गांवों में रहता है। लेकिन वहां आज भी अशिक्षा और अज्ञान का अंधकार है। खास कर शिक्षा के मामले में महिलाओं की स्थिति ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी नहीं है। 1981 की जनगणना के आधार पर देश में 33 करोड़ महिलाएं थी जिसमें साक्षरता की दर केवल 14.42 प्रतिशत थी किन्तु गांवों में घर से स्कूल तक की लम्बी दूरी ने शिक्षा की रोशनी को लड़कियों के जीवन से भी दूर कर रखा है। अधिक से अधिक कक्षा पांच या आठ तक पहुंच कर ही उनके लिए शिक्षा का ठहराव आ जाता है क्योंकि लड़कियों को पढ़ने के लिए घर के दूर भेजना आज भी गांवों में अच्छा और उचित नहीं समझा जाता।

अतः गांवों में रहने वाली महिलाओं को विकास की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए भी बहुत कुछ किया जाना शेष है। गांवों के पिछड़ेपन के पूर्णरूप से दूर न होने का एक कारण है — विकास योजनाओं में महिलाओं की पर्याप्त भागीदारी का न होना। यदि परिवार में स्त्रियां शिक्षित और समझदार हों तो बहुत कुछ संभव है कि रहन सहन के स्तर में जल्दी सुधार आ जाए। लेकिन अनपढ़ और अंधविश्वासों के अंधेरे में फंसी गृहिणी से तो घर परिवार के सुख चैन की उम्मीद रखना बेकार है।

बाल-विवाह, सती प्रथा और पर्दा प्रथा के अलावा ज्यादा बच्चों के जन्म से भी अशिक्षा का सीधा सम्बन्ध है क्योंकि शिक्षा का अभाव ही अनेक समस्याओं को जन्म देता है। तरह-तरह की रूढ़ियां, टोने-टोटके और गण्डे-ताबीज

हमारी रोज की जिन्दगी के लिए मीठा जहर हैं। फिर भी उनकी जड़ें गहरे तक जमी हुई हैं। जिस से इस अहसास के भी संकेत मिलते हैं कि गांवों के नारी-संसार में अज्ञान की धुंध छाई हुई है। इसे शिक्षा और ज्ञान का प्रकाश दूर कर सकता है। अकेले सरकारी प्रयासों से ही दूर-दराज के इलाकों में महिलाओं की स्थिति में बदलाव नहीं आ जाएगा। इस दिशा में हमें स्वयं भी कुछ करना होगा।

गांवों की समाजिक-आर्थिक प्रगति के लिए प्रगतिशील विचारों का भी होना आवश्यक है क्योंकि ग्रामीण समाज में फैली कुरीतियां एवं अंधविश्वास भी अंततः विकास की गति को धीमा करते हैं। अतः वैचारिक क्रान्ति की शुरूआत होना भी आवश्यक है क्योंकि तभी हमारे गांवों के पुनर्निमाण का स्वप्न साकार हो सकेगा। दरअसरल हमारे देश के विभिन्न क्षेत्रों में महिला संगठनों ने भी कोई ऐसा रचनात्मक दृष्टिकोण नहीं दिया जिससे प्रेरित होकर अन्दर छिपे हुए भय और अंधविश्वास के विष को किसी हद तक नारी जगत में से बाहर निकाला जा सके।

हमारे सामाजिक ढांचे में भी कुछ बुनियादी खोट हैं। स्त्रियों की हिस्सेदारी उन तमाम मामलों में रहती है जो दैनिक जीवन में सच्चाइयों से ताल-मेल नहीं खाते क्योंकि भारतीय नारी ने अभी तक अपने असल दायित्व को समझने में भी भूल और देरी की हैं।

प्रश्न उठता है कि ग्रामीण नारी सही अर्थों में अपनी भूमिका कब निभा सकती है। हमारे जन मानस के अंधेरे कोने कब आलौकित होंगे तथा गांवों में कब जलेंगे नारी चेतना के दिए? ताकि उस नए प्रकाश से हमारे घर-परिवार और राष्ट्र का नए सिरे से पुनर्निर्माण सम्भव हो सके। इसके लिए हमें सोचना होगा और झूठी शान, ढोंगे और आडम्बर त्याग कर जीवन में नए मूल्यों की सार्थकता सिद्ध करनी होगी। आय के साधनों में वृद्धि और केवल आर्थिक विकास ही पर्याप्त नहीं है। गांवों के सामाजिक विकास की ओर भी ध्यान देना आवश्यक है और उसमें महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती है। ग्रामीण जीवन में वैज्ञानिक उपाय खोजे जाने जरूरी हैं और जो उन्नत विधियां विकसित की गयी हैं उनकी जानकारी ग्रामीण महिलाओं तक पहुंचनी चाहिए ताकि गांवों के समग्र विकास में महिलाओं का योगदान भी सार्थक सिद्ध हो सके।

**एच-88, शास्त्री नगर,**
**मेरठ (उ.प्र.)**

---

पृष्ठ 24 का शेष

निकालने के लिए सहायता सें बढ़ा हाथ चाहिए जिसमें उन्हें अब तक धकेल कर रखा गया है। जरा सी सहायता भी कमाल कर दिखाएगी। महिलाओं के लिए बहुत कम काम किया गया है। उन्हें संगठित होने की प्रतीक्षा हैं। उनमें अहिंसक प्रयास के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली पीड़ा सहने की क्षमता है, और यदि उन्हें रचनात्मक कार्यक्रम की रूपरेखा दी जाए तो वे उसमें पूरी तत्परता से भूमिका निभाएंगी।"

क्या हम इस आशा को पूरा कर पाएंगे? हम लोग जो इस स्थिति में हैं कि देश और विश्व के हित में अपनी बहनों की सहायता कर सकें, हमारे सामने आज यही प्रश्न खड़ा है।

**अनुवाद : कमल कान्त पन्त**
**14/192 मालवीय नगर**
**नई दिल्ली-110017**

# कृषि में महिलाओं का योगदान

डॉ. राम शरण गौड़

कृषि प्रधान देश होने के कारण भारत की अर्थव्यवस्था काफी हद तक कृषि के विकास पर आधारित है। देश में खासकर गांवों में, रोजगार का सबसे बड़ा साधन भी खेतीबाड़ी ही है। इसलिये कृषि उत्पादन में वृद्धि को आर्थिक विकास का अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू माना जा रहा है और सरकार तथा वैज्ञानिक नये-नये तरीके अपनाकर उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के प्रयास कर रहे हैं। इन सारे प्रयासों का केन्द्र बिंदु है—किसान, जिसकी मेहनत और सूझबूझ के बिना सरकार और वैज्ञानिकों के सारे प्रयत्न विफल हो सकते हैं।

परंतु किसानों के योगदान का मूल्यांकन करते हुए अपने परंपरावादी और रूढ़ दृष्टिकोण के कारण हम कृषि के विकास के प्रयासों में मानव संसाधनों की 50 प्रतिशत पूंजी की लगभग अनदेखी कर देते हैं। यह आधी पूंजी है हमारे देश की किसान महिलायें। संयुक्त राष्ट्र के ताजा अध्ययनों के अनुसार विश्व में अनाज का 50 प्रतिशत से भी अधिक उत्पादन महिलायें करती हैं। हमारे देश में भी 60 प्रतिशत से अधिक औरतें गांवों में किसी न किसी रूप में कृषि कार्यों से संबंधित रोजगार में लगी हुई हैं। आम धारणा यह है कि केवल शहरी औरतें ही नौकरी आदि करके परिवार को चलाने में सहायक हैं, लेकिन सचाई यह है कि देश में कामकाजी महिलाओं में 86 प्रतिशत ग्रामीण और केवल 14 प्रतिशत शहरी हैं। इन 86 प्रतिशत ग्रामीण महिलाओं में से अधिकतर औरतें छोटे किसान या खेतिहर मजदूर के रूप में काम करती हैं। इनके अलावा ऐसी भी असंख्य महिलायें हैं जो परोक्ष रूप से कृषि उत्पादन में सहायक हैं। ये महिलायें पशुपालन करके, अनाज रखने के अस्थायी भंडार बनाकर, खाद के लिये गोबर इकट्ठा करके तथा खेतों में अपने किसान पति, पिता या भाई की सहायता करके कृषि उत्पादन में योग देती हैं। सच तो यह है कि खेतीबाड़ी में महिलाओं के योगदान का इतिहास उतना ही पुराना है जितना स्वयं कृषि के विकास का इतिहास।

### विषमता

यदि ग्रामीण महिलाओं के एक दिन के श्रम घंटों की गणना की जाये तो पुरुषों के श्रम घंटों से ये कहीं अधिक बैठते हैं। महिलायें आर्थिक महत्व की गतिविधियों में भाग लेने के साथ-साथ गृहिणी के रूप में भी अपने विविध दायित्व निभाती हैं। किंतु इसके बावजूद उन्हें 'घर की शोभा' और कमज़ोर कहते हुए उनके श्रम को मान्यता नहीं दी जाती। इसका सबसे बड़ा कारण तो यह है कि हमारी सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियां और पारिवारिक संस्कार ही इस प्रकार के हैं कि पुरुष स्वयं को शासक और स्त्री को शासित समझता है। प्रारम्भ से ही लड़के को यही एहसास कराया जाता है कि वह बड़ा होकर घर का स्वामी बनेगा और लड़की को यही बताया जाता है कि वह पराया धन है, उसका एकमात्र उद्देश्य विवाह करके किसी पुरुष का घर बसाना है। उसके आत्म सम्मान और आत्म गौरव को कोई मान्यता नहीं दी जाती और उसे अपनी योग्यताओं व व्यक्तित्व के विकास का अवसर नहीं दिया जाता। बच्चों के पालन-पोषण की दृष्टि और शैली का यह अंतर लड़की के मन में हीन भावना पैदा कर देता है और फिर जो लड़कियां घरों में या खेतों में काम करती भी हैं, उनको भी हल्के तथा महत्वहीन काम करने को दिये जाते हैं और महत्वपूर्ण कार्य लड़कों को सौंपे जाते हैं। महिलाओं को किसान न मानकर मजदूर समझा जाता है। इसलिये उन्हें धान की रोपाई, बिजाई, खेतों में निराई, पशुपालन, दूध दोहना, अन्न की कुटाई, औसाई आदि काम दिये जाते हैं और हल चलाना, फसल काटना तथा दूसरे महत्वपूर्ण काम पुरुष अपने हाथ में रखता है। इसका परिणाम यह होता है कि अधिक मेहनत और ज्यादा समय देने के बावजूद महिलाओं को अपेक्षित महत्व नहीं मिल पाता। उसे बराबर का भागीदार नहीं माना जाता और कृषि संबंधी निर्णय लेने में उससे कोई सलाह नहीं ली जाती।

### नयी टेक्नोलाजी

पिछले दो दशकों में कृषि को यांत्रिक रूप देने में बड़ी

तेजी से प्रगति हुई है। कृषि के हर क्षेत्र में मशीनों का इस्तेमाल होने लगा है। किंतु यह विडंबना ही है कि जो कार्य महिलायें करती हैं, उनमें नयी टेक्नोलॉजी लागू नहीं की जा रही है। पुरुष खेतिहर जहां आधुनिक यंत्रों तथा नयी तकनीकों को अपनाकर कम श्रम से अधिक परिणाम ले रहे हैं वहीं महिला किसान तथा मजदूर आज भी स्थानीय तरीकों तथा परंपरागत औजारों का इस्तेमाल करती है, जो न केवल उन्हें थका देते हैं, बल्कि इससे उनकी कार्यक्षमता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यही नहीं जो नये उपकरण तैयार किये जाते हैं उनके डिजाइन बनाते हुए महिलाओं की विशेष जरूरतों को ध्यान में नहीं रखा जाता। शारीरिक संरचना अलग होने के कारण उपकरणों के इस्तेमाल का महिलाओं का तरीका अलग होता है। इसके अलावा उन्हें बच्चों को भी साथ लेकर काम करना होता है। राजधानी में कृषि में महिलाओं की भूमिका के बारे में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने भी इस बात पर दुख प्रकट किया कि टेक्नोलाजी विशेषज्ञ महिलाओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर नये उपकरणों तथा विधियों का विकास नहीं करते। इसी कारण कृषि में नई टेक्नोलाजी के अधिकाधिक उपयोग का एक दुखद परिणाम यह हो रहा है कि खेतीबाड़ी में काम करने वाली महिलाओं की संख्या घटती जा रही है। किसान महिलाओं का प्रतिशत घट रहा है और महिला मजदूरों का प्रतिशत बढ़ रहा है। उदाहरण के लिये 1951 में महिला किसानों की संख्या 1.84 करोड़ (45.42 प्रतिशत) थी, जो 1981 में घटकर 1:52 करोड़ (33.03 प्रतिशत) हो गयी। इसके विपरीत महिला मजदूरों की संख्या 1.27 करोड़ से बढ़कर 1981 में 2.59 करोड़ तक पहुंच गयी।

हमारे देश में एक और प्रवृत्ति देखने में आयी है। जैसे-जैसे किसान संपन्न होते जाते हैं, महिलाओं को कृषि कार्य से हटा लिया जाता है। इसके पीछे भी धारणा यही है कि औरत घर की इज्जत है। रोजगार के मामले में स्त्री की अपनी कोई इच्छा नहीं है। यही कारण है कि हिमाचल प्रदेश में हर सौ पुरुषों की तुलना में 100.71 खेतिहर औरतें हैं, जबकि देश के सबसे समृद्ध राज्य पंजाब में 100 पुरुषों के पीछे केवल 34.04 औरतें खेती करती हैं।

**मालिकाना हक**

व्यावहारिक धरातल पर अधिक श्रम करने के बावजूद कृषि विकास में महिलाओं के योगदान के महत्वहीन रहने का एक प्रमुख कारण यह है कि ज़मीन तथा पशुओं आदि पर मालिकाना हक केवल पुरुषों का रहता है। महिलाओं को इस अधिकार के योग्य माना ही नहीं गया। इसका परिणाम यह होता है कि स्त्री वही कर सकती है, जो उसे करने को कहा जाता है और यदि कोई कल्पनाशील महिला नयी योजना अथवा कार्यक्रम बना कर कृषि उत्पादन या उत्पादकता बढ़ाने की क्षमता रखती है तो पराश्रित होने के कारण अपनी योजना को लागू नहीं कर पाती। सच तो यह है कि सरकारी तंत्र, सहकारी संस्थायें और पुरुष किसान व जमींदार आदि सभी खेती बाड़ी के मामले में स्त्रियों के सुझावों और विचारों को गंभीरता से लेते ही नहीं हैं। जिन औरतों में पहल करने या नयी बात रखने की योग्यता होती भी है, उन्हें निरुत्साहित किया जाता है और खुद मालिक न होने कारण वे बेबस रहती हैं। इसलिये यह सुझाव दिया गया है कि भवेशियों का मालिकाना हक स्त्रियों को देने के साथ-साथ ज़मीन के पट्टे भी उनके नाम किये जाने चाहिये। कृषि में महिलाओं की भूमिका से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने भी इसी पहलू की ओर प्रशासकों का ध्यान दिलाते हुए कहा कि महिला किसानों को ज़मीन के पट्टे देना अत्यंत आवश्यक हैं।

20 दिसम्बर 1988 को राज्यों के राजस्व मंत्रियों के सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कृषि मंत्री श्री भजन लाल ने कहा कि सरकार का प्रस्ताव है कि भविष्य में सरकारी भूमि तथा अतिरिक्त घोषित ज़मीन के चालीस प्रतिशत पट्टे पति तथा पत्नी के नाम संयुक्त रूप से किये जायें। उन्होंने तो यहां तक कहा है कि जो पट्टे पहले से दिये जा चुके हैं, उन्हें भी भूमि रिकार्डों में परिवर्तन करके संयुक्त पट्टों में बदला जा सकता है। महिलाओं के लिये तैयार की गयी व्यापक राष्ट्रीय योजना में भी खेतिहर महिलाओं को ज़मीन के मालिकाना अधिकार दिलाने की दिशा में प्रयास करने का संकल्प प्रकट किया गया है।

सरकार महिलाओं को ग्रामीण जीवन में समान महत्व का स्थान दिलाने के लिये प्रयत्नशील है, जिससे उनमें आत्म सम्मान तथा आत्म गौरव बढ़ेगा और वे कृषि उत्पादन में वृद्धि करने में अधिक योग दे सकेंगी। हाल में पंचायती राज संस्थाओं में 30 प्रतिशत स्थान महिलाओं के लिये आरक्षित करने की घोषणा की गई। यह अत्यंत क्रांतिकारी कदम होगा। इससे निर्णय लेने की प्रक्रिया में औरतों की भूमिका

अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगी तथा समाज में उनका दर्जा निश्चय ही ऊंचा हो जाएगा। किसान के रूप में उनके प्रयासों का सही आकलन होने लगेगा और सरकारी योजनाएं तैयार करने में महिलाओं के विचार भी उपलब्ध हो सकेंगे। नवघोषित जवाहर रोजगार योजना का लाभ पहुंचाने में भी महिलाओं पर समुचित ध्यान देने का ऐलान किया गया है।

इसके अतिरिक्त ग्राम विकास के अनेक कार्यक्रमों तथा भूमिहीन लोगों की सहायता के कार्यक्रमों में महिला लाभार्थियों का प्रतिशत निश्चित कर दिए जाने से इस उपेक्षित वर्ग के उत्थान तथा उन्हें कृषि कार्यों में बराबर का हिस्सेदार बनाने में सहायता मिलेगी। 'ट्राइसेम' कार्यक्रम के अंतर्गत यह प्रावधान है कि प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों में एक तिहाई संख्या महिलाओं की होनी चाहिए। गांवों में महिलाओं तथा बच्चों के विकास का एक विशेष कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें 15 महिलाओं का ग्रुप बनाकर उन्हें 5,000 रुपये की सहायता दी जाती है, जिससे ये महिलाएं छोटा-मोटा काम चलाकर परिवार की आय बढ़ा सकती हैं। किसान महिलाएं खेती-बाड़ी से बचे समय का उपयोग इसमें करके अपना तथा बच्चों का जीवन-स्तर ऊंचा उठा सकती हैं। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम में महिलाओं को जमीन के पट्टे भी जारी किए जा रहे हैं। परन्तु महिलाओं की उपेक्षा का आयाम इतना व्यापक है कि उनमें आत्मविश्वास तथा समानता का भाव जगाने के लिए अभी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है।

## शिक्षा और जागृति

खेतिहर महिलाओं के उपेक्षित रहने का एक और प्रमुख कारण है उनमें साक्षरता की कमी। यों तो शहरों और गांवों को मिलाकर सारे देश में साक्षर महिलाओं की संख्या पुरुषों के मुकाबले कम हैं, किंतु गांवों में यह अंतर और भी अधिक है। यद्यपि स्त्री शिक्षा पर जोर दिये जाने और बड़ी संख्या में गांवों में स्कूल खोले जाने के कारण साक्षर महिलाओं की संख्या बढ़ी है, किंतु जनसंख्या में वृद्धि होते रहने से उनके प्रतिशत तथा पुरुषों के मुकाबले उनके अनुपात में अधिक अंतर नहीं आया। गांवों में लड़कियों की शिक्षा का अत्यंत निराशाजनक पहलू यह है कि उन्हें बीच में ही स्कूलों से उठा लिया जाता है और प्राथमिक शिक्षा के बाद मिडिल स्कूलों में दाखिला लेने वाली लड़कियों की संख्या बहुत घट जाती है। उदाहरण के लिये 1984-85 में प्राथमिक स्कूलों में लगभग तीन करोड़ 32 लाख लड़कियां दाखिल हुईं, किंतु उस साल छठी कक्षा में केवल 91 लाख छात्राओं ने दाखिला लिया। अनुपात के हिसाब से यह 76.7 से गिर कर 36.7 रह गया। अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों में लड़कियों की शिक्षा की स्थिति और भी चिंतनीय है। उनके लिये अनेक विशेष सुविधाओं की व्यवस्था के बावजूद प्राइमरी स्कूलों में दो लड़कों के मुकाबले एक लड़की दाखिल होती है और इन में से बहुत कम आगे पढ़ पाती हैं।

एक तो सामाजिक बंधन, ऊपर से साक्षरता का अभाव, महिलायें किस तरह पुरुषों की बराबरी कर सकती हैं। इसलिये जब तक स्त्री शिक्षा पर सम्यक ध्यान नहीं दिया जाता तब तक कृषि उत्पादन तथा ग्रामीण विकास में देश की आधी आबादी की क्षमताओं का पूरा लाभ नहीं उठाया जा सकता। शिक्षित होने पर ही लड़कियां समाज में अपनी सही भूमिका को पहचान पायेंगी और उन्हें अपने प्रति हो रहे भेदभाव तथा अन्याय का एहसास होगा। जागृति आने पर ही वे उन तत्वों पर ध्यान दे पायेंगी, जिनके चलते वे पिछड़ी हुई हैं। यह अच्छी बात है कि नयी शिक्षा नीति में लड़कियों की शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है और महिलाओं की व्यापक राष्ट्रीय योजना में भी महिलाओं को साक्षर बनाने के अनेक कार्यक्रम सुझाये गये हैं। किंतु सरकारी प्रयासों के साथ-साथ स्वयंसेवी संगठन, विशेषकर महिला संगठन इस दिशा में काफी सहायक हो सकते हैं। यदि महिला स्वयंसेवी संगठन अपनी गतिविधियां शहरों तक सीमित न रखकर ग्रामीण महिलाओं को शिक्षित-प्रशिक्षित और जागरूक करने पर ध्यान केंद्रित करें तो केवल महिलाओं के ही नहीं बल्कि पूरे देश के विकास और उत्थान के काम को बल मिलेगा।

खेतिहर महिलाओं के रूप में इतने विपुल मानव संसाधनों के विकास की उपेक्षा भारत जैसे विकासशील देश के लिये बहुत अहितकर है। सरकार तथा योजनाकारों का ध्यान अब इस ओर गया है और आवश्यक उपायों के क्रियान्वयन से कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका को और कारगर तथा लाभप्रद बनाया जा सकेगा। हम जितनी तेजी से इस दिशा में आगे बढ़ेंगे, उतनी ही जल्दी देश में समृद्धि, समानता और विकास के नये युग का सूत्रपात होगा।

**6/203, यमुना विहार,**
**दिल्ली**

# भाभी के कंगन

संजय कुमार पंजियार

इधर कई महीनों से उसे यह शहर अच्छा नहीं लग रहा था। बार-बार गाँव कि याद सता रही थी। भैया भाभी कीं छवि रह-रहकर मानसपटल पर छा जाती थी। बार-बार आँखे तर हो आतीं। दिल भर आता था। कई वर्ष हो गए उसे अपने गाँव छोड़े। शहर कि चकोचौंध ने उसे अपने गाँव से शहर ला पटका था। तब से वह शहर की चकाचौंध में भटकता रहा। इस चकाचौंध ने उसे अंधा कर दिया था। और इस अंधकार में अब उसे केवल अपना गाँव और अपने भैया कि याद सता रही थी। इनसे परे उनसे जीवन में एक बहुत बड़ी भूल हुई थी। "भाभी के कंगन" जो भाभी के हाथों से वह गाँव से शहर ले आया था। और वे कंगन लाला के यहाँ आज गिरवी हैं। उसकी आँखों में वर्षों पहले का यह दृश्य नाच उठता था।

"भैया! मैंने जो कह दिया सो कह दिया। मैं अब यहाँ नहीं ठहर सकता।" भिन्नाते हुए वह उठ खड़ा हुआ।

"सुनो, ऐसा हट नहीं करते। आखिर तुम्हें इस गाँव में और हमारे साथ रहते हुए क्या कमी महसूस होती है, जो तू शहर जाना चाहता है", भैया ने समझाने के लहजे में कहा।

किन्तु उसे शहर का भूत सवार था। लोगों के मुँह से उसने शहर के विषय में बहुत सुन रखा था। अगर तरक्की करनी है, तो शहर जाओ। जिन्दगी को तेज रफ्तार देना है, तो शहर जाओ। इस गाँव में क्या रखा है। जहाँ न ठीक ढंग से सड़क है, न बिजली है, न खाने के अफरात न पहनने का। भुखमरी ही भुखमरी है। शहर को देखो-बड़ी और चौड़ी-चौड़ी सड़कें, गाड़ियों के रेले, बाग-बगीचे, बड़ी-बड़ी इमारतें, सिनेमाघर, थियेटर, क्लब, होटल क्या नहीं है, जो इस शहर में नहीं है। सच ही तो था। जब उनके ही गाँव के हम उम्र जो कई वर्ष हुये गांव छोड़ चुके थे। यदा-कदा भूले भटके जब गाँव आते तो क्या धाक होती थी उनकी। क्या पहनावे थे, उनके, जैसे कोई बड़ा अफसर हो। और यह गाँव जहाँ दो हाथ कि धोती नीचे, ऊपर एक गंजी और कंधे पर एक गमछा। मानो यह गाँव का यूनिफार्म हो। उज्जड़-गंवार शहर जाकर कितने बदल जाते हैं। नहीं-नहीं वह भी शहर जाएगा। उसने तय कर लिया।

भैया ने काफी प्रतिरोध किया। भाभी ने प्यार से समझाया। किन्तु वह अपने फैसले पर अडिग था। शहर जाने से पहले उसने भैया से उस जमीन का आधा हिस्सा माँगा था, जिसमें दोनों भाई कड़ी परिश्रम के बाद वर्ष भर का अनाज उपज कर लेते थे। यही एक मात्र सम्पति थी उनके पास। आज उसे अपने भैया के स्नेह की कोई परवाह न थी। भाभी के प्यार की कोई कीमत न थी। बच्चों की ममता भी उसे शहर जाने से न बाँध सकी।

भैया के आँखों की नींद कोसों दूर थी। वह जानते थे छोटे की जिद के आगे उनका कोई प्रतिरोध न चल पाएगा। माँ को दिया वचन आज टूटता जान पड़ रहा था। पिता द्वारा दी गई विरासत में छोटा भूखण्ड भी खण्डित-सा जान पड़ रहा था। जमीन आधे बँटने के बाद थोड़ी बचेगी। खेती से ही तो वर्ष भर सुबह शाम मुश्किल से रोटी नसीब होती है। बँट जाने के बाद भूखों मर जाने कि नौबत आ जाएगी। रुपये तो उनके पास हैं नहीं। क्या वह जमीन बाँट देंगे। छोटा तो कल ही इसे किसी के हाथ दे शहर भाग जाएगा। छोटे को शहर जाने से नहीं रोका जा सकता तो कम से कम अपने पूर्वजों की विरासत को खण्डित होने से बचाया जा सकता है। किन्तु क्या छोटे मानेगा। बिना रुपये लिए वह जाएगा। इन्हीं चिन्ताओं में घिरे वे करवटें बदलते रहे।

"सुनो"! पास से ही भाभी कि आवाज आई। "अरे तुम जगी हो।" भैया ने अचकचाते पूछा।

"देवरजी तो कल रुकेंगे नहीं। उन्हें जमीन या रुपया

चाहिए। ये रुपये कैसे इकट्ठे होंगे।" भाभी ने फुसफुसाते हुए कहा।

"मैं भी तो इसी सोच में डूबा हूँ।" भैया ने चिन्तित भाव से कहा।

"देखिये! आपने जो बैल खरीदने के लिए रुपये जमा किए हैं उसे और मे...रे हा...थ के... कं...ग...न से देवरजी का काम तो निकल जाएगा न?" भाभी ने टूटती आवाज में समझाया।

"तुम्हारे कं..ग..न! नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं जमीन ही बाँट कर उसे दे दूँगा। किन्तु तुम्हारी अमानत की नहीं। तुम्हारे पास तो यही एक सम्पत्ति मात्र है। जो तुम्हारी माँ कि अंतिम निशानी है।" भैया बड़बड़ाए। "क्या मेरे ये कंगन वर्ष भर हमारा पेट भर देंगे? क्या यह कंगन रख लेने से पूर्वजों की विरासत विलगित होने से बच जाएगी? नहीं—नहीं हमें अपने खेत की रक्षा करनी है। जो हम सबों का निर्वाहकर्ता है।" स्पष्ट शब्दों में भाभी ने कहा।

सुबह वह जा रहा था। हाथ में एक ट्रंक जिसमें उनके कपड़े थे। जाते समय भैया ने कुछ नोट और भाभी के हाथ से उतारे कंगन उसके हाथों में रख दिए।

कंगन देख वह एक पल के लिए सिहर गया। किन्तु सिर पर शहर का भूत सवार था। दिल कड़ा कर घर से बाहर निकल गया। भाभी की आँखों से दो बूँद पानी निकल जमीन पर गिर गए। भैया स्तब्ध खड़े थे। उनकी मुट्ठियाँ तन गईं। जबड़े कस गए। किन्तु आँखों में दर्द का समुद्र था। भाई के बिछोह का दर्द था। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनके दिल को किसी ने चाकू से दो टुकड़े कर दिए हों। जाते वक्त किसी ने प्रतिरोध नहीं किया। क्योंकि उन्हें मालूम था छोटे की जिद कितनी अड़िग होती है। भैया-भाभी ने सिर्फ मौन आशीर्वाद ही दिए ताकि उसे शहर में सफलता ही मिले।

आज उसे अपने किए पर काफी पश्चाताप हो रहा था। रुपये तो शहर आते-आते खर्च हो गए थे। भाभी के कंगन को लाला के यहाँ गिरवी रख उसने एक छोटी-सी दुकान खोल ली थी। जो न चलने के कारण जल्द ही बंद हो गई। और उसने तब से फैक्ट्री में मजदूरी करना शुरू कर दिया। काफी अरसा बीत गया। वह अभी तक इसी फैक्ट्री में काम करता आ रहा है। उसकी जिन्दगी मशीन की तरह हो गयी है। सुबह क्या हुई दौड़े फैक्ट्री, फिर शाम को ही लौटे। शहर की तेज दौड़ में वह पीछे पड़ गया था। अब उसे शहर से नफरत होने लगी थी। भीड़ देखकर उसे डर लगने लगा है। उसे अब शहर कि जिन्दगी सस्ती मालूम दे रही थी जहां आदमी की कोई कीमत नहीं। यहाँ साम्राज्य है-पैसे और परिश्रम का। भावना और मानवता के कोई शब्द हैं ही नहीं। अब उसे शहर कि चकाचौंध से वितृष्णा होने लगी थी। "तो क्या अब वह शहर छोड़ अपने गाँव लौटेगा?" मन में यह सवाल बार-बार उठ रहे थे। किन्तु हिम्मत जवाब दे जाती थी। किन्तु बार-बार अन्तर्द्वन्द में गाँव की जीत हुई। और उसने तय कर लिया कि इन इमारतों कि दुनियां को छोड़ वह अपने गाँव की खुली हवा में साँस लेगा। लेकिन गाँव जाने से पहले उसे एक ऋण चुकाना था। वह ऋण था लाला का। भाभी के कंगन छुड़ाने का। भाभी के स्नेह का तो वह बचपन से ही ऋणी था ही उस पर उससे अनजाने में ही एक बड़ा अपराध हो गया था। वह अपराध था—भाभी के कंगन ले आने का। जिन्हें पुनः भाभी को दे वह उऋण होना चाहता था, ताकि भाभी के स्नेह का बादल उस पर सदा बरसता रहे।

लाला के यहाँ से कंगन छुड़ाने के लिए उसे जी जान की ताकत लगानी पड़ी। महीनों की मजदूरी, दो-दो शिफ्टों का काम तथा पेट काट कर उसने उस महंगे ब्याज और असल का रुपया भी चुकता कर दिया। कंगन हाथ में आते ही उसे ऐसा महसूस हुआ कि जिन्दगी में आज पहली बार उसने कुछ हासिल किया है।

आज वह शहर के सारे रिश्ते-नाते तोड़कर गाँव लौट रहा था। जैसे वह एक दिन गाँव से रिश्ते-नाते तोड़ आया था। शहर के उसी स्टेशन पर जहाँ गांव से आने के बाद पहला कदम रखा था आज उसके पैर काँप रहे थे। हिम्मत जवाब दे रही थी। "क्या मैं सचमुच गाँव लौट सकता हूँ?' लेकिन गाँव वाले के ताने याद आ जाते "बड़ा आया था शहर जाने वाला भैया से लड़कर — भाभी के कंगन छिनकर बच्चे की ममता को तोड़कर-और भैया! जिसे मैंने अकेला छोड़ दिया। माँ के अंतिम वचनों का पालन न किया। मुझे धिक्कार है। मुझ पर लानत है।" उसके अंदर अपराध-बोध जोर पकड़ता गया। और वह अंदर ही अंदर टूटने लगा। एक बार फिर मन में आया कि वह फिर से शहर की भीड़ में खो जाए। किन्तु उनके पास कंगन थे। एक ऋण था। जिसे चुकाने भाभी के पास गाँव जाना ही था। भले ही भैया दुत्कार दें। गाँव वाले क्यों न फटकार दें। किन्तु वह भाभी के पास जाएगा। कंगन

वापस कर जैसा चाहेगा वैसा करेगा। यह विचार आते ही अन्तर्द्वन्द का जाल नष्ट हो गया। और उसने पुनः शहर लौटने का विचार त्याग दिया।

गाँव की पगडंडियों में उसके पाँव उड़ते चले जा रहे थे। मिली जुली खुशी थी। अपने गाँव लौट आने की, भैया और भाभी से मिलने की। उनके बच्चों से मिलने की। दूर से ही वह भैया को पहचान गया था। चैत की कड़ी धूप में भी वे हल चला रहे थे। सारा शरीर पसीने से तर-बतर था। वह दौड़कर अपने भैया से लिपट गया। भैया ने छोटे को देख अन्दर-ही-अन्दर काफी हर्ष का अनुभव किया। किन्तु दिखाने के लिए उलाहने भरे शब्द कह डाले—"अरे! हटो भी मेरे पसीने से तुम्हारे कपड़े खराब हो जाएँगे।"

भैया की बात उसे तीर की तरह चुभ गयी। उसने भैया के पैर पकड़ लिए। और बिलखते हुए कहा-"भैया! जो कहना है, सो कहो। किन्तु मुझे माफ कर दो।" उसी समय भाभी भैया के लिए खाना लिए हुई आ पहुँचीं। दोनों भाइयों को देख काफी आन्दोलित हो उठी। देवर भाभी को आते देख भैया के पाँव छोड़ भाभी के चरणों से लिपट गया। और बिलखते हुए कहा —"भाभी! भैया तो शायद माफ नहीं करेंगे। क्या तुम भी मुझे माफ नहीं करोगी।" और फूट-फूट कर रोने लगा। भाभी ने उसे दोनों हाथों से उठा कर गले से लगा लिया। भाभी के आँखों में भी आंसू आ गए। भैया की आँखों में भी नमी के बादल जगमगा रहे थे।

रात्रि भोजन के उपरान्त भाभी ने देवर को छेड़ने हेतु कहा—"देवरजी! मेरे लिए शहर से क्या लाए हो।" उसका दिल एक बार मुँह को हो आया। आँखे भर उठीं। किन्तु अपने को सहेजते हुए जेब से कंगन निकाले और भाभी की तरफ बढ़ाते हुए कहा -"भाभी तुम्हारे वे कंगन जो तुमने मुझे दिए थे। शहर से तो कुछ न ला सका। किन्तु तुम्हारी अमानत लौटा लाया हूँ।"

भाभी ने काँपते हाथों से कंगनों को देखा। ये वही कंगन थे। जो उसने दिए थे। भैया काफी हतप्रभ थे।

उसने फिर भाभी से विनती भरे स्वरों में कहा -"भाभी मुझसे जो गलती हो गई थी, उसका तुमसे क्षमादान चाहता हूँ। भैया ने तो पूर्वजों की साख रख ली। किन्तु मैं तो अपनी कुल मर्यादा को ही खो रहा था। भाभी वह मर्यादा जो मैं अपने गाँव की ड्योढ़ि से शहर ले गया था फिर लौटा लाया हूँ। इसे स्वीकार कर लो।"

भाभी की हिचकियाँ बँधी जा रही थीं। उसे अपने देवर पर नाज हो रहा था। आज पुनः वह कितना अच्छा लगने लगा था। भैया का दिल बल्लियों उछल रहा था। आज माँ के वचन टूटने से बच रहा था। कितनी खुशी हो रही थी उसे। शहर की एक छोटी ठोकर ने उस छोटे को कितना बड़ा बना दिया था। उसने आगे बढ़कर छोटे को सीने से लगा कर कहा — "गँवरू! गाँव से जाते वक्त तेरी अक्ल कहाँ मारी गई थी।"

वह भैया के सीने से और चिपकता हुआ सिसकते हुए बोला — "हाँ भैया मेरी अक्ल ही मारी गई थी। किन्तु अब मैं लौट आया हूँ। भैया मुझे अपना लो। मै अब आपके ही पद चिन्हों पर चलूंगा।"

आँसुओं ने वर्षों के शिकवे-गिले को सबके दिलो से बाहर कर दिया। अब किसी को किसी से शिकायत न थी। अब आँखों मे केवल कल के सुनहरे स्वप्न थे। जहाँ दो भाई जुदा होने के बाद फिर से मिलकर गाँव में अपनी खेती में एक जुट हो गए थे।

**सुभाष नगर कसबा, पूर्णिया, बिहार**

## लेखकों के लिए

**रचना और अन्य प्रकाशनार्थ सामग्री भेजने वालों से अनुरोध है कि रचना भेजते समय वे कृपया इन बातों का ध्यान रखें:—**

**रचना संक्षिप्त एवं उसकी प्रस्तुति रोचक होनी चाहिए। इसमें उपलब्ध करायी गयी जानकारी अप्रकाशित और प्रमाणित होनी चाहिए।**

**रचना दो प्रतियों में डबल स्पेस में टाइप की हुई हो जो सात-आठ पृष्ठों से अधिक की नहीं होनी चाहिए। विषय प्रतिपादन में उपशीर्षकों का प्रयोग किया जाना चाहिए।**

**रचना के साथ ब्लेक एंड व्हाइट फोटो भी आमंत्रित हैं।**

# चित्तौड़गढ़ जिले में नारी कल्याण और चेतना के लिए मुहिम

अशोक कुमार यादव

यदि परिवार की महिला पढ़ी-लिखी हो तो वह पूरा परिवार ही पढ़-लिख जाता है। इस बात से भी मना नहीं किया जा सकता है कि विश्व की आधी से ज्यादा आबादी महिलाओं की है। यदि इस आधी आबादी में चेतना एवं जागृति नहीं है तो विश्व चेतना शून्य है।

आजादी के बाद पंचवर्षीय कार्यक्रमों में नारी कल्याण एवं चेतना के लिए चित्तौड़गढ़ जिले में उठाये गये कदमों के फलस्वरूप महिलाओं की सामाजिक स्थिति तथा जीवन यापन की स्थितियों में सुधार हो रहा है। इस दिशा में समाज कल्याण, शिक्षा, बाल दिवस कार्यक्रम, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, कृषि ज्ञान केन्द्र तथा नेहरू युवा केन्द्र के माध्यम से उल्लेखनीय कार्य हो रहा है। इनके अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से महिलाओं को लाभ पहुंचाने और उनकी दशा सुधारने के लिए मुहिम चलायी जा रही है।

महिलाओं में शिक्षा को प्रोत्साहित करने के फलस्वरूप, चित्तौड़गढ़ जिले में महिला साक्षरता जो 1951 में 1.9 प्रतिशत थी, 1981 में बढ़कर 9.35 प्रतिशत हो गयी। आजादी के समय स्कूलों में प्रवेश लेने वाली छात्राओं की संख्या जहां नगण्य थी वहां वर्ष 1988 में स्कूलों में 47 हजार 163 छात्राएं अध्ययनरत थीं। यही नहीं अब तो चित्तौड़गढ़, निम्बोहेड़ा एवं प्रतापगढ़ स्थित राजकीय महाविद्यालयों में अनेक छात्राएं अध्ययनरत हैं। जिले में अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं के लिए सालमगढ़ एवं प्रतापगढ़ में एक-एक छात्रावास तथा धोलापानी में एक आश्रम छात्रावास संचालित हैं। सालमगढ़ में 25 तथा प्रतापगढ़ में 25 जनजाति छात्राओं को छात्रावासों में आवास, भोजन, वस्त्र, पाठ्य पुस्तकें आदि सुविधाएं सुलभ कराके पिछड़े वर्ग में शिक्षा के प्रति जागृति लाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी तरह से धोलापानी के आश्रम विद्यालय में भी जनजातियों की 100 छात्राओं को भी अध्ययन के साथ ऐसी ही सुविधाएं उपलब्ध करायी जा रही हैं।

जिले में लड़कियों के लिए ही वर्तमान में 42 प्राथमिक, 35 उच्च प्राथमिक, 12 सैकेण्ड्री एवं हायर सैकेण्ड्री स्कूल संचालित हैं। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों एवं राजकीय सहायता से चलने वाले अनेक बालक विद्यालयों में भी छात्राएं अध्ययन करती हैं। कक्षा एक से उच्चतर कक्षाओं तक में अध्ययन करने वालीं अनुसूचित जाति, जनजाति तथा विकलांग बालिकाओं को समाज कल्याण एवं शिक्षा विभाग के माध्यम से छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

ऐसी महिलाएं जो किसी कारणवश पढ़ नहीं पाई हैं या ऐसी बालिकाएं जो सामाजिक बंधनों के कारण स्कूल जाने में असमर्थ हैं, उनके लिए जिले में प्रौढ़ शिक्षा एवं अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों में साक्षरता का प्रबन्ध किया जा रहा है। प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों में साक्षरता के साथ-साथ महिलाओं को स्वास्थ्य परिवार कल्याण, कृषि, पशु पालन, घरेलू उद्योग, सिलाई, सामाजिक बुराइयों, अल्प बचत आदि के बारे में गोष्ठियों, प्रदर्शनियों, शिविरों आदि का आयोजन कर जानकारी दी जाती है। महिला प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों पर सिलाई-मशीनें भी उपलब्ध कराई गयी हैं जिनके माध्यम से प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों पर आने वाली महिलाओं को सिलाई-बुनाई संबंधी कार्य भी सिखाया जाता है। उल्लेखनीय है कि जिले में फिलहाल 172 महिला प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र चल रहे हैं और 5 हजार 848 अनपढ़ प्रौढ़ महिलाएं प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम से लाभान्वित हो रही हैं।

अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से सामाजिक एवं आर्थिक कारणों से विद्यालय नहीं जा सकने वाली बालिकाओं

को दो वर्ष का प्राथमिक शिक्षा स्तर का पाठ्यक्रम पढ़ाकर चेतना जागृत करने का कार्य किया जा रहा है। इसके लिए बालिकाओं की रुचि एवं उनकी आवश्यकता के अनुरूप खेलकूद, मनोरंजन एवं कार्यात्मक शिक्षा सुविधा इन अनौपचारक शिक्षा केन्द्रों पर प्रदान की जा रही है। जिले में फिलहाल 100 बालिका अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र संचालित हैं और अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों पर 5 हजार 69 बालिकाओं को लाभान्वित किया जा रहा है।

अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्यारहवीं इकाई तक की शिक्षा पूर्ण कर लेने वाली बालिकाओं को छठी कक्षा में प्रवेश दिलवाने हेतु परीक्षा आयोजित करायी जाती है। इस योजना में इस वर्ष उत्तीर्ण हुई 141 छात्राओं ने कक्षा 6 में प्रवेश लिया है। भविष्य में 100-100 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र प्रत्येक पंचायत समिति क्षेत्र में और खोलने की योजना है।

जिले में महिला एवं बाल कल्याणपौषाहार के अन्तर्गत पौषाहार कार्यक्रमों में प्रतापगढ़, अरनोद, छोटीसादड़ी, बड़ोसादड़ी तथा वेगू पंचायत समिति क्षेत्रों में 4 परियोजनाएं संचालित हैं। इनके अन्तर्गत 403 आंगनवाड़ी केन्द्र कार्यरत है। इस प्रकार प्रत्येक आंगनवाड़ी केन्द्र में 100 महिलाओं एवं बच्चों को इनकी गतिविधियों से लाभान्वित किया जा रहा है। इनमें गर्भवती महिलाओं व दूध पिलाती माताओं को पौषाहार, प्रतिरक्षण एवं अनौपचारिक शिक्षा के अतिरिक्त उन्हें स्वावलम्बी जीवन के लिए लघु एवं कुटीर उद्योगों के प्रशिक्षण के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

नेहरू युवा केन्द्र के अधीन भी जिले में 60 महिला मण्डल चलाये जा रहे हैं जिनके माध्यम से महिलाओं में चेतना जगाने के लिए सांस्कृतिक, साहित्यिक एवं व्यवसायिक कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। इस वर्ष महिला केन्द्रों को आत्म निर्भर बनाने की दृष्टि से 3 महिलाओं को दस दिवसीय प्रशिक्षण के लिए नेहरू युवा केन्द्र ने पश्चिम बंगाल भेजा। खेरोट तथा चितौड़गढ़ में सात-सात दिन के महिला व्यवसायिक प्रशिक्षिण शिविर लगाकर 64 महिलाओं को सिलाई, बुनाई, प्लास्टिक, साज सज्जा, निर्धूम चूल्हा, पाक विद्या, साबुन बनाने, फल एवं सब्जियों के परीरक्षण का ज्ञान करवाया गया। इसके अलावा फिलहाल नेहरू युवा केन्द्र द्वारा 10 सिलाई केन्द्र व एक बुनाई केन्द्र जिले में चलाये जा रहे हैं जहां 340 महिलाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। भदेसर, डूंगला तथा वड़ीसादड़ी समितियों में 100 महिला प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों को संचालित कर तीन हजार अनपढ़ प्रौढ़ महिलाओं को साक्षर बनाने का कार्य भी नेहरू युवा ने अपने हाथ में लिया है। इसके साथ ही महिलाओं में चेतना जगाने के लिए नेहरू युवा केन्द्र ने व्यापक योजना तैयार की है। जिसकी क्रियान्विति शुरू कर दी गयी है। इसका उद्देश्य महिलाओं को स्वावलंबी बनाना तथा राष्ट्रीय विकास योजनाओं से उन्हें अवगत कराना है।

राजस्थान कृषि विश्व विद्यालय के अधीन चितौड़गढ़ में चलने वाले कृषि ज्ञान केन्द्र के माध्यम से भी ग्रामीण महिलाओं में चेतना जगाने के लिए अनेक कार्य किये जा रहें हैं। इस केन्द्र के माध्यम से जहां ग्रामीण महिलाओं को कृषि की जानकारी दी जाती है वहीं इन्हें घरेलू बातों का भी प्रशिक्षण दिया जाता है। समाज कल्याण विभाग के माध्यम से गत वर्ष स्वरोजगार के लिए जिले में चार अपंग महिलाओं को सिलाई मशीनें दी गयीं है वहीं राजस्थान अनुसूचित जाति विकास सहकारी निगम के सहयोग से शहरी क्षेत्रों की महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराया जा रहा है।

जिले में विधवाओं तथा वृद्ध महिलाओं को पेंशन की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा भी गरीबी की सीमा रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं को जीवन यापन करने हेतु संसाधन उपलब्ध कराने के प्रयास किये जाते हैं। पिछले चार वर्षों में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम से 3 हजार 518 महिलाओं को जीवन स्तर में सुधार हेतु संसाधन मुहैया कराके लाभान्वित कराया गया है। इनमें से सर्वाधिक 2 हजार 720 महिलाएं वर्ष 1987-88 में लाभान्वित लाभान्वित की गयीं हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले निर्धनतम परिवारों की महिलाओं को ट्राइसेम योजना के तहत विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण की सुविधाएं भी उपलब्ध करायी जा रही हैं ताकि वे स्वावलम्बी बन सकें।

**सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी**
**चितौड़गढ़**

# ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सतत् प्रयास

देश में औरत की आयु बढ़कर 58 वर्ष से अधिक हो गई है जबकि 1947 में यह 32 वर्ष थी। यह तथ्य देश के दुर्गम पहाड़ी, आदिवासी और पिछड़े इलाकों सहित देश के कोने-कोने में पहुंचे राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों और स्वास्थ्य देखभाल की कार्यक्रमों की सफलता का द्योतक है। यह बात स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की वर्ष 1988-89 की वार्षिक रिपोर्ट में कही गई है।

वर्ष के दौरान स्वास्थ्य देखभाल और परिवार कल्याण सेवाओं के कार्यक्षेत्र का विस्तार करने, लोगों, विशेषकर माँ और बच्चों के स्वास्थ्य स्तर को बेहतर बनाने तथा स्वेच्छा से छोटे परिवार के आदर्श को अपनाने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि करने के उद्देश्य से इन सेवाओं का विस्तार करने और उन्हें सुदृढ़ बनाने के लिए सतत् प्रयास किए गए। विशेषकर ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य के आधारभूत ढांचे का उल्लेखनीय विस्तार हुआ है। इन क्षेत्रों में कार्यरत उप-केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या बढ़कर क्रमशः 112103, 16954 और 1469 हो गई है।

विभिन्न संचारी और गैर-संचारी रोगों के नियंत्रण के लिए चलाए गए कार्यक्रमों को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए सतत् प्रयास किए जा रहे हैं। संशोधित कार्य योजना लागू किए जाने के बाद देश में मलेरिया के मामलों में उत्तरोत्तर कमी आई है। जहां 1976 में मलेरिया के रोगियों की संख्या 64 लाख 70 हजार थी, वह 1987 में घटकर 16 लाख 60 हजार हो गई। 11 वर्ष की अवधि में मलेरिया के मामलों में 74.3 प्रतिशत की कमी हुई।

### अन्धता नियंत्रण

राष्ट्रीय अन्धता नियंत्रण कार्यक्रम के तहत चालू योजना के चार वर्षों में जनवरी, 1989 तक मोतियाबिन्द के 47 लाख आपरेशन किये गये जबकि छठी पंचवर्षीय योजना में मोतियाबिन्द के 36 लाख 54 हजार आपरेशन किये गये थे। लगभग 42000 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में नेत्र चिकित्सा कक्षों की व्यवस्था कर उन्हें सुदृढ़ किया गया। चालू योजना के चार वर्षों में गांवों के लोगों को अति आवश्यक नेत्र चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिए 120 जिला चल इकाइयां भी खोली गईं।

### कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम

राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत पहली बार कुष्ठ रोग के मामलों में कमी देखने को मिल रही है। वर्ष 1987-88 में 5 लाख 70 हजार कुष्ठ रोगियों को उपचार के बाद घर भेज दिया गया। यह संख्या इस अवधि में पता चले 5 लाख 19 हजार नये मामलों की संख्या से अधिक है। इस कार्यक्रम के तहत पिछले चार वर्षों में 336 कुष्ठ नियंत्रण इकाइयां/परिवर्तित नियंत्रण इकाइयां, 278 शहरी कुष्ठ केन्द्र और 38 नमूना सर्वेक्षण इकाइयां स्थापित की गई। बहु औषध उपचार का 40 और जिलों में विस्तार किया जा रहा है। इस समय 75 जिलों में लागू यह योजना कुष्ठ रोग को ठीक करने के मामले में काफी सफल सिद्ध हुई है।

### तपेदिक नियंत्रण

तपेदिक के मामलों का पता लगाने के लिए आवश्यक सुविधाओं का विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के माध्यम से काफी विस्तार हुआ है। तपेदिक के रोगियों का मुफ्त इलाज किया जा रहा है। तपेदिक के गंभीर रोगियों के लिए लगभग 46 हजार बिस्तर उपलब्ध हैं।

तपेदिक के उपचार के लिए बहुत ही कारगर दवाइयों सहित केमियो चिकित्सा औषध पथ्य के अल्पावधि के उपचार की योजना को और ज्यादा क्षेत्रों में लागू किया गया है। इस पद्धति में उपचार की अवधि 18-24 महीने से कम

होकर 6-8 महीने रह गई है। तपेदिक केन्द्रों को तपेदिक निवारक दवाइयों की आपूर्ति बढ़ाई जा रही है।

### नये कार्यक्रम

वर्तमान योजना में मानसिक स्वास्थ्य के लिए नया राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य मानसिक रोगियों को एक न्यूनतम स्तर पर विशेषज्ञ सेवाएं उलपब्ध कराना है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल प्रबंध प्रणाली को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से चालू योजना में राष्ट्रीय मधुमेह नियंत्रण कार्यक्रम और दंत स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम शुरू किए गए हैं।

### नशीली दवाओं की व्यसन को छुड़ाने संबंधी कार्यक्रम

नशीली दवाओं के सेवन और व्यसन की निरन्तर बढ़ती समस्या का सामना करने के लिए इनके व्यसन को छुड़ाने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत बड़े शहरों के प्रमुख अस्पतालों में नशीली दवाइयों की लत को छुड़ाने के लिए केन्द्र स्थापित करने की व्यवस्था की जाती है। दिल्ली, चंडीगढ़ और पांडिचेरी के सात अस्पतालों में नशीली दवाओं की लत छुड़ाने वाले 30 बिस्तर वाले केन्द्र स्थापित करने की स्वीकृति मिल गई है। इसके अतिरिक्त दिल्ली, वेल्लोर, लुधियाना, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता के प्रमुख गैर-सरकारी अस्पतालों में बाहरी रोगी विभाग (ओ.पी.डी) की सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

### मातृ और शिशु स्वास्थ्य परिचर्या सेवा

रक्त अल्पता की रोकथाम के कार्यक्रम तथा विटामिन 'ए' की कमी के कारण दृष्टिहीनता को रोकने के कार्यक्रम तथा अतिसार नियंत्रण के लिए मौखिक पुनर्जलीकरण चिकित्सा कार्यक्रम सहित मातृ और शिशु स्वास्थ्य परिचर्या सेवा कार्यक्रम के अन्तर्गत बहुत सी गर्भवती महिलाएं और बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं।

व्यापक रोग प्रतिरक्षण जो विश्व में अकेला ऐसा सबसे बड़ा कार्यक्रम है, वर्ष 1985 में शुरू किया गया था। संभवत: यह सबसे किफायती सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों में से एक है। वर्ष 1987-88 के दौरान इसके अन्तर्गत 1.461 करोड़ गर्भवती महिलाओं को टैटनेस से, 1.652 करोड़ बच्चों को बी.सी.जी. से प्रतिरक्षण प्रदान किया गया।

### परिवार कल्याण

परिवार कल्याण कार्यक्रम ने छोटा परिवार अपनाने के प्रति व्यापक जागरूकता पैदा की है। कठिनाइयों के बावजूद यह कार्यक्रम सफल रहा है और इस कार्यक्रम के अन्तर्गत परिवार नियोजन के तरीके अपनाने वालों की संख्या वर्ष 1984-85 में 1.644 करोड़ से बढ़कर वर्ष 1987-88 में 2.269 करोड़ हो गई। यह कार्यक्रम शुरू होने से किसी भी एक वर्ष में यह उच्चतम संख्या है। वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान (1988-89) जनवरी, 1989 तक उपलब्ध आंशिक आंकड़ों के अनुसार 1.842 करोड़ लोगों ने परिवार नियोजन के तरीकों को अपनाया। यह संख्या पिछले वर्ष की इसी अवधि की अपेक्षा 23 लाख अधिक है।□

## ग्राम-महिला

**मोहन चन्द्र मन्टन**

गांव की श्री ग्राम महिला, सिद्धि जिसके हाथ,
सार्थकी है साधना-चलती सफलता साथ।
योगदानी कला श्रम की-सुबह ले शाम
क्षणिक भी रुकती नहीं गति-काम बिन आराम।

कृषक की सहगामिनी, सहभागिनी का रूप
प्रकृति के अंचल पली ढल प्रकृति का अनुरूप।
खेत में जाती-बंटाती हाथ, पति के काम
दोपहर खाना खिलाती है दे उसे विश्राम।

घर रही आंगन बुहारे, सजा देहरी-द्वार
थापती है ऊपले-कंडे लगा अम्बार।
इधर शिशु निज पालती है उधर सोचे ढाल
काम सारे घर बसाती सुखी घर परिवार,
ग्राम-महिला ही बनाती गांव का संसार
ग्राम श्री वह ग्राम शोभा ग्राम का श्रृंगार।

ए-बी–904, सरोजिनी नगर
नई दिल्ली-110023

देश से बेकारी दूर करने के लिए

# विशाल जवाहर रोजगार योजना की घोषणा

प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने 28 अप्रैल, 1989 को संसद में देश के सबसे विशाल ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की घोषणा की। श्री राजीव गांधी ने कहा कि देश के सामने बेरोजगारी और अपूर्ण रोजगार से बढ़कर और कोई विकट समस्या नहीं है। हमारी जनता का कोई तबका ग्रामीण गरीब परिवारों की महिलाओं, विशेषकर भूमिहीन महिलाओं से ज्यादा जरूरतमन्द नहीं है।

श्री गांधी ने कहा कि पं. जवाहरलाल नेहरू जी से हमने यह बात सीखी थी कि गरीबी दूर करने के लिए काम करना हमारा पहला राष्ट्रीय कर्तव्य है। पं. जवाहरलाल नेहरू जी से हमने सीखा कि ग्रामीण भारत की बेरोजगार और कम रोजगार प्राप्त जनता की परेशानियों को कम करना सबसे बड़ा राष्ट्रीय प्रयास है। इसलिए हमारे आधुनिक राष्ट्र के निर्माता के प्रति इससे बड़ी श्रद्धांजलि और नहीं हो सकती कि उनके जन्म-शताब्दी समारोहों को ग्रामीण भारत के गरीबों को बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध कराने के कार्यक्रम के प्रति समर्पित करें।

उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य देशभर में ग्राम पंचायतों के हाथों में पर्याप्त धनराशि देना है, जिससे वे भारी संख्या में ग्रामीण गरीबों के हित में, जो ग्रामीण भारत का एक बड़ा भाग है, स्वयं अपनी ग्रामीण रोजगार योजनायें चला सकें। यह अनुमान लगाया गया है कि पिछले सात वर्षों के दौरान ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम देश भर की 55 प्रतिशत ग्राम-पंचायतों तक ही पहुंचे हैं। जवाहर रोजगार योजना का लक्ष्य प्रत्येक पंचायत तक पहुंचाना है।

### केन्द्रीय सहायता

प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना का 80 प्रतिशत केन्द्र की वित्तीय सहायता से चलाया जाएगा। इसके संचालन के प्रथम वर्ष अर्थात् चालू वित्तीय वर्ष में ही इस कार्यक्रम के लिये 2700 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि हम इस प्रकार का वित्तीय ढांचा बना रहे हैं, जिससे राज्यों को गरीबी की रेखा से नीचे की जनसंख्या के अनुपात में धनराशि आबंटित की जाएगी। यह धनराशि आगे जिलों को सौंपी जाएगी, जिसका निर्धारण पिछड़ेपन के मापदण्ड के अनुसार किया जाएगा, जैसे जिले की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का हिस्सा, कुल मजदूरों की तुलना में कृषि मजदूरों का अनुपात और कृषि उत्पादकता का स्तर। प्रधानमंत्री ने कहा कि भौगोलिक रूप से विशिष्ट क्षेत्रों जैसे पहाड़ी, मरूस्थली तथा द्वीप समूह की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशेष ध्यान दिया जाएगा।

### प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को रोजगार

संसद की करतलध्वनि के बीच प्रधानमंत्री ने विश्वास दिलाया कि तीन से चार हजार तक की आबादी वाली एक ग्राम पंचायत को जवाहर रोजगार योजना के लिए प्रतिवर्ष 80,000/- रुपये से लेकर एक लाख रुपये प्राप्त होंगे। प्रत्येक निर्धन ग्रामीण परिवार के कम से कम एक सदस्य को उसके घर के नजदीक कार्यस्थल पर प्रतिवर्ष पचास से लेकर सौ दिनों तक का रोजगार मिल सकेगा। उन्होंने कहा हम आशा करते हैं कि खानाबदोश जनजातियों को रोजगार उपलब्ध कराने की योजनाओं को इस कार्यक्रम में शामिल किया जायेगा। इस योजना की बहुत खास बात यह है कि इससे जितना रोजगार पैदा होगा उसका 30 प्रतिशत महिलाओं को दिया जायेगा।

श्री गांधी ने कहा कि हमें आशा है कि कार्यक्रम ग्राम पंचायतों को सौंपे जाने से, लोगों को पहले की अपेक्षा इसके कहीं अधिक लाभ सीधे तौर पर प्राप्त होंगे। अब तक, ऐसे कार्यक्रमों के लिए काफी बड़ी रकम ठेकेदारों और बिचौलियों पर खर्च हुई है। अन्य तरह से भी काफी अपव्यय हुआ है। पंचायतों को वित्त-व्यवस्था और कार्यक्रम को चलाने की जिम्मेदारी सौंपने से, हम आशा करते हैं कि पहले से कहीं ज्यादा बड़ी रकम कार्यक्रम पर ही खर्च की जायेगी।

प्रधानमंत्री ने आह्वान किया कि इस कार्यक्रम का अमल इतना अधिक खुला और साफ-सुथरा होगा जितना पहले कभी नहीं हुआ। हर ग्रामवासी को यह मालूम होगा कि कार्यक्रम के लिए कितना पैसा दिया गया है और कौन-कौन सी योजनाओं पर खर्च किया जाएगा। उसे यह जानकारी होगी कि इन योजनाओं में उसके गांव वाले कौन-कौन लोग काम कर रहे हैं। रोजगार हासिल करने वाले हर व्यक्ति को यह मालूम होगा कि वह कितना पारिश्रमिक ले रहा है और अन्य लोग कितना ले रहे हैं। उसे यह मालूम होगा कि उसे और अन्य लोगों को कितने-कितने दिनों का काम दिया जा रहा है। जिन लोगों को धोखा दिया जाता है या वंचित रखा जाता है, वे न केवल उसकी तत्काल क्षतिपूर्ति के लिए मांग कर सकेंगे बल्कि उनके हाथ में मत का वह हथियार भी होगा जिससे वे उस पंच या सरपंच को उसके पद से हटा भी सकें, जो उसे सौंपी गई शक्तियों और जिम्मेदारियों का दुरूपयोग करता है।

प्रधानमंत्री ने पं. नेहरू के इस कथन को दोहराया कि "पंचायतों एवं ग्राम समुदायों को अपने प्रस्ताव तैयार करने चाहिए। हम अब केवल शीर्षस्तर से ही कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि हमको अपने लाखों लोगों को मिलकर संगठित करना है और इन महान कार्यों में उन लोगों को हिस्सेदार एवं साझीदार बनाना है।"

"हम जो भी योजना तैयार करें, उसकी सफलता की कसौटी यह होगी कि हमारे लाखों देशवासियों, जो मात्र अपनी जीविका पूरी कर पाते हैं, को उससे कितनी राहत मिलती है यानि हमारे अधिकांश देशवासियों की भलाई और प्रगति होती है। अन्य सभी इस मुख्य दृष्टिकोण के अधीन होने चाहिए।"

"बड़े पैमाने पर बेरोजगारी से अनेक नवयुवकों का जीवन नष्ट हो जाता है और यह हमारी एक प्रमुख समस्या है। हम इसे किसी जादू से दूर नहीं कर सकते। परन्तु हम हरेक ऐसे व्यक्ति को रोजगार एवं कार्य की गारंटी दे सकें जो मेहनत करने के लिए तैयार हैं और मैं हाथ से काम करने को बुरा नहीं समझता।"

### चार करोड़ चालीस लाख परिवारों को लाभ

श्री राजीव गांधी ने कहा कि फिलहाल, हम वह सब कुछ कर रहे हैं जो काम हम अपने संसाधनों से कर सकते हैं।

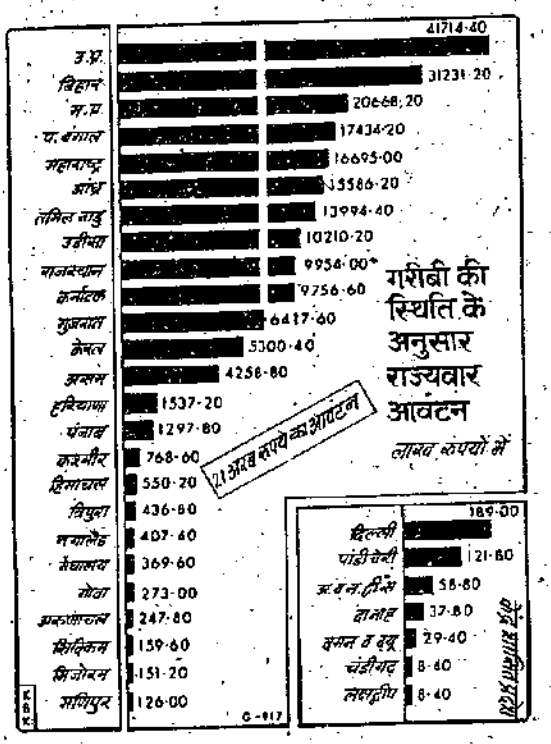


सभी मौजूदा ग्रामीण मजदूरी रोजगार कार्यक्रम जवाहर रोजगार योजना में शामिल कर लिये गये हैं। यह योजना गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले ग्रामीण भारत में 4 करोड़ 40 लाख परिवारों तक देश के कोने-कोने में पहुंचेगी। हमारा उद्देश्य है कि प्रत्येक परिवार इसका लाभ उठाए। हमारा उद्देश्य इन परिवारों की कठिनाइयों में कुछ कमी लाने का है। खासकर हमारा लक्ष्य इन परिवारों की महिलाओं की कठिनाइयों में कमी लाने का है, जिन्होंने सदियों से अपने असीम साहस और सहनशीलता से उनका सामना किया है। हमारा लक्ष्य इन महान उद्देश्यों को पंचायतों की उत्तम संस्थाओं के माध्यम से प्राप्त करने का है।

अन्त में प्रधानमंत्री ने कहा कि पं. जवाहरलाल नेहरू जी, जो एक महान स्वतंत्रता सेनानी एवं आधुनिक भारत के निर्माता थे, के नाम पर हम अपने आपको बेरोजगारी का अभिशाप मिटाने, गरीबी का कलंक हटाने, महिलाओं के प्रति भेद-भाव समाप्त करने और अपने देशवासियों को पूर्ण समृद्धि, जीवन निर्वाह करने में सुअवसर और सहायता सुनिश्चित करने के लिए पुनः समर्पित करते हैं।

**प्रस्तुति : शशि बाला**

# बेसहारों का सहारा

**बी.पी.शर्मा**

मध्यप्रदेश के पूर्वी उत्तरांचल में आदिवासी समुदाय बहुल जिला सरगुजा अपनी वनश्री की अलौकिक तथा अप्रतिम सौंदर्य-छठा के कारण प्रसिद्ध रहा है परन्तु आवागमन के साधनों की कमी आज भी विकास मार्ग में इस क्षेत्र की सबसे बड़ी बाधा बनी हुई है। सरगुजा जिले की उर्वरक धरती में आलू, कटहल, अरहर, और जटंगी प्रचुर मात्रा में पैदा होती है, यहां का अदरक भी प्रसिद्ध है।

अम्बिकापुर जिला मुख्यालय से 5 कि.मी. दूरस्थ ग्राम सकालो में वर्ष 1983 से संचालित रेशम केन्द्र को देखने के बाद ऐसा प्रतीत होता है, मानो जिले में 'सरगुजा सिल्क' की कल्पना करने वाले शीघ्र ही इस जिले की धरती पर एक और स्वप्न को साकार होते देख सकेंगे। प्रशासन की ग्राम विकास में सक्रिय साझीदारी के कारण प्रशासन प्रवर्तित जनकल्याणकारी कार्यक्रमों से आदिवासी बहुल सरगुजा जिले के देहातों में निवास करने वाले आदिवासी जन भी बड़ी संख्या में लाभान्वित हो रहे हैं। विकास की सुनहरी किरणें अब सुदूर ग्रामांचलों के घर-आंगन को आलोकित कर रही हैं। इसी तारतम्य में ऐसे लोगों की प्रगति कहानियां लिपिबद्ध की गई हैं:—

एक वर्ष पहले तक दो समय के भोजन की बड़ी मुश्किल से व्यवस्था कर पाने वाली सावित्री बाई, सकालो रेशम केन्द्र में मजदूरी करती थी, जहां उसने दो माह तक रेशम कृमि पालन का प्रशिक्षण भी लिया। उसने महसूस किया कि इस योजना में लाभ ही लाभ है, तो उसने रेशम केन्द्र प्रभारी से इस उद्योग को अपनाने की इच्छा जाहिर की, तुरन्त कार्यवाही के फलस्वरूप उसकी एक एकड़ भूमि पर रेशम विभाग ने शहतूत के पौधों का निःशुल्क रोपण कर दिया। अपने श्रम सीकर से सिंचित शहतूत की पत्तियां खेत में 'हरे सोने' के रूप में देख कर सावित्री मन ही मन बेहद खुश होती। रेशम केन्द्र सकालो में 15 दिनों तक पालन किये गये कृमि उसे निःशुल्क प्रदान किये गये और शेष 45 दिनों में उसने स्वयं कृमियों का पालन किया जिसके फलस्वरूप उसे 39 कि.ग्रा. शहतूत कोया प्राप्त हुआ। इस कोया को उसने रेशम केन्द्र में बेच कर 1365 रुपये प्राप्त किये। इससे न केवल उसे उत्साह मिला वरन् उसके पति किशन राम ने अब दूने उत्साह से उसी वर्ष दूसरी और तीसरी फसल ले डाली जिसमें उन्होंने 40 कि.ग्रा. शहतूती कोया प्राप्त कर 1400 रुपये में बेचा।

सावित्री और उसके पति किशन राम ने इस प्रकार अपने अदम्य उत्साह और श्रम साधना से प्रथम वर्ष में ही 2275 रुपये अर्जित कर लिये। इन रुपयों से इस दम्पति ने बैलजोड़ी ली है और अपने मकान का जीर्णोद्धार भी करा लिया है। उनकी गृहस्थी अब सुख से चलने लगी है।

बचपन से निर्धनता में जकड़ी आदिवासी महिला चंदर बाई ने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि कभी उसके सूखे ओठों पर भी मुस्कान आयेगी। अपने गांव के आसपास रोजगार उपलब्ध न होने के कारण पाई-पाई को मोहताज चंदर बाई को उस समक्ष क्षणिक सहारा मिला जब सकालो गांव में ही वर्ष 1983 में सरकारी रेशम केन्द्र में उसे श्रमिक के रूप में रोजगार मिल गया।

ऊंची महात्वाकांक्षा की धनी चंदर बाई ने काम करते करते यह अनुभव किया कि यदि इस उद्योग को वह स्वतः अपनाये तो सोया भाग्य जाग सकता है। इसलिए उसने केन्द्र में ही 2 माह रेशम कृषि पालन विधि का प्रशिक्षण लिया। रेशम विभाग से निवेदन करने पर त्वरित कार्यवाही के फलस्वरूप उसके 1 एकड़ बंजर खेत में विभाग द्वारा निःशुल्क शहतूत-पौधों का रोपण किया गया। पन्द्रह दिनों तक कृषि पालन करने पर उसकी खुशियों का सामना 'सफेद रेशम के कोयों' में दिखाई देने लगा। उत्साहित होकर उसने दूसरी फसल भी ली। इस प्रकार 86-87 में ही दो फसलें लेकर उसने 58 कि.ग्रा. सफेद कोया प्राप्त किया जिसे रेशम केन्द्र में 2030 रुपये नगद भुगतान कराके खरीद लिया। जीवन में इतनी बड़ी राशि एक मुश्त पाकर चंदर बाई ठगी सी रह गई और अपने वर्षों पुरानी गहने पहनने की इच्छा उसे साकार नजर आई। उसने इन पैसों से चांदी के कुछ गहने और गृहस्थी का जरूरी सामान खरीद लिया है। चंदर बाई अब बेहद खुश है।

**क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी**
**बिलासपुर**

# जनसंचार विषयों पर हिन्दी में मौलिक लेखन के लिए भारतेन्दु हरिश्चन्द्र पुरस्कार

नयी दिल्ली गत 23 अप्रैल को राजधानी में आयोजित एक समारोह में केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री श्री हरकिशन लाल भगत ने जन संचार विषयों पर हिन्दी में मौलिक लेखन के लिए लेखकों और पत्रकारों को "भारतेन्दु हरिश्चन्द्र पुरस्कार" से सम्मानित किया। समारोह का आयोजन सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग की ओर से किया गया था।

पहला पुरस्कार 10 हजार रुपये नकद दिल्ली के डा. सुधीश पचौरी को उनकी पाण्डुलिपि "दूरदर्शन – दशा और दिशा" के लिए, दूसरा पुरस्कार 7 हजार रुपये नकद राजस्थान के डा. रमेश कुमार जैन को उनकी पुस्तक "हिन्दी पत्रकारिता का आलोचनात्मक इतिहास" के लिए और तीसरा पुरस्कार 5 हजार रुपये उदयपुर निवासी डा. मुरली मनोहर मंजुल को उनकी पुस्तक "आंखों देखा हाल" के लिए प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त डा. सरित कुमार मुखर्जी को उनकी पुस्तक "क्षेत्रीय प्रचार – जनसंचार का सशक्त माध्यम" – के लिए 5 हजार रुपये का सांत्वना पुरस्कार भी प्रदान किया गया।

इस अवसर पर श्री भगत ने पुरस्कार विजेताओं को बधाई देते हुए घोषणा की कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अगले वर्ष को पुरस्कार राशि बढ़ाने का फैसला किया है। दस हजार रुपये के प्रथम पुरस्कार की राशि बढ़ाकर 15 हजार रुपये और दूसरा पुरस्कार 10 हजार कर दिया गया है, परन्तु तीसरे पुरस्कार की राशि 5 हजार रुपये ही रहेगी।

श्री भगत ने प्रकाशन विभाग के कार्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इस विभाग ने हाल के वर्षों में न केवल पुस्तकों और पत्रिकाओं के प्रकाशन में प्रगति की है बल्कि उनकी बिक्री में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में संयुक्त सचिव श्री के.एस. वैदवान ने पुरस्कार विजेताओं को बधाई देते हुए आशा प्रकट की कि इस दिशा में और अधिक लेखक, हिन्दी में मौलिक पुस्तकों का सृजन कर अपना योगदान देंगे।

प्रकाशन विभाग के निदेशक डा. श्याम सिंह शशि ने अपने स्वागत भाषण में कहा कि पुस्तकों और पत्रिकाओं के प्रकाशन तथा वितरण के क्षेत्र में यह विभाग पहले से अब कहीं आगे बढ़ गया है। विभाग ने लोकप्रिय सीरिज "हम सब की पुस्तक माला" शुरू की है जिसमें केवल 3 से 5 रुपये की कीमत पर किताबें होती हैं और इन्हें कोई भी खरीद सकता है। दूरदराज के क्षेत्रों में किताबों का प्रचार-प्रसार करने और बिक्री बढ़ाने के लिए विभाग ने एक मोटरगाड़ी में चलता-फिरता बाजार भी शुरू किया है।

समारोह में संगीत और नाटक प्रभाग के कलाकारों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया।■

## गाँव की बहनों

आशा शुक्ला

गाँव की बहनों जरा सुन लो।
बस वही होता सुखी जग में
जो समय के साथ चलता है,
रूढ़ियों में जो फँसा रहता
दुःख उसको सतत छलता है।

बात यदि सच्ची लगे गुन लो।
अब घरों में कैद रह कर के
मत समय अपना गँवाओ तुम,
खेत, दफ्तर या कि सीमा पर
बुद्धि के करतब दिखाओ तुम।

हर कठिन कार्य को चुन लो।
किसी से भी किसी माने में
अब तुम्हें पीछे नहीं रहना,
काम ऐसे कर दिखाओ सब
छोड़ दें अबला तुम्हें कहना।
कीर्ति का सेहरा नया बुन लो।

गंजमुरादाबाद,
उन्नाव (उ.प्र.) 241502

# मेरठ के गांव में उद्योगों की धूम

अभिलाषा कुलश्रेष्ठ

देश की अर्थव्यवस्था हो, सामाजिक जीवन हो, या आतताइयों से संघर्ष-मेरठ की जुझारू, कर्मठ और साहसी जनता ने सदैव ही प्रथम पंक्ति में रह कर देश को दिशा दी है। आज जब केवल कृषि उत्पादन पर निर्भर रह कर जनता की समस्त आवश्यकतायें पूरी नहीं की जा सकतीं और भारी उद्योग हर स्थान पर लगाये नहीं जा सकते। मेरठ की ग्रामीण जनता ने घर-घर में उद्योग धन्धे स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त किया है।

मेरठ शहर से लगभग पच्चीस कि.मी. दूर सरधना विकास खण्ड के ग्राम अलीपुर में घर-घर होते चमड़े के काम को देखकर बरबस ही जापान की अर्थव्यवस्था मनोमस्तिष्क में कौंध जाती है। हर आयु के लोग काम में लगे हुए हैं। अधिकांशतः घरों में बाहरी कमरों में काम होता है। यहां हैण्डपम्प के वाशर और बिस्तर बंदों की बैल्टें मुख्य रूप से बनायी जाती हैं। कुछ परिवार शान भी बनाते हैं जो साइकिल की रिम आदि की घिसाई के काम आती हैं।

बी.ए. होने के बावजूद वाशर बनाने के काम में लगे हुए श्री धर्मपाल बताते हैं कि पहले चमड़ा खरीदकर उसे गोल आकार में काटा जाता है। फिर पत्थर पर पीट-पीट कर उसे आकार देते हैं। डार्ट पर सैट करने के बाद इसे मोम में पकाते हैं। फिर फिनिशिंग करते हैं। फिनिशिंग का कार्य बिजली की सहायता से होता है। एक चमड़े में 20 दर्जन वाशर बनते हैं। एक वाशर का मूल्य एक रुपये होता है। औसतन आदमी एक दिन में 7 से 8 दर्जन वाशर बनाता है और इस पर 70 पैसे लागत आती है। धर्मपाल के पिता ने यह धंधा शुरू किया है, वे अब भी निरुद्वेष अपने काम में लगे हुए हैं। हां, उनकी पत्नी जरूर पुराने दिनों की याद करते हुए बताती है कि पहले इस खेत से उस खेत में मजदूरी करनी पड़ती थी। अब तो सरकार के यहां से कर्जा मिल जाता है। धर्मपाल के परिवार ने पहले 5000 रु. ऋण सरधना ब्लाक कार्यालय से लिया था। ब्लाक के सहायक विकास अधिकारी हमारे साथ ही थे। वे बताने लगे कि धर्मपाल ने यह पैसा वापिस कर दिया है। सन् 1988 में उन्होंने दोबारा ऋण लिया है जिसकी लगभग 130 रुपये की मासिक किस्त बंधी है।

धर्मपाल के साथ ही एक और उत्साही नवयुवक बैठे थे। वह स्वयं बी.ए. पास हैं परन्तु उनके परिवार में भी वाशर बनाने का काम होता है। वाशर बनाने से बची हुई चमड़े की कतरनें कई स्थानों पर ढेर की ढेर रखी थीं। इसका क्या होता है, पूछने पर, एक वृद्ध सज्जन ने बताया कि ये लैदर बुड बनाने के लिए खतौली या आगरा भेज दी जाती हैं।

इतनी औद्योगिक चेतना होते हुए भी ग्रामवासियों की आर्थिक दशा बहुत संतोषजनक नहीं कही जा सकती। उनका कहना था कि इस कार्य के लिए मिलने वाले ऋण की सीमा बढ़ाई जाये। 5000 रुपये बहुत कम है। लागत मूल्य, शासन की सीमाओं और उन उत्साही उद्यमियों की मांगों के बीच कुछ संतुलन बनाने का काम शासन को करना ही होगा। बिजली की कटौती भी कई बार उनके कार्य में व्यवधान डालती है। एक बड़ी दुखदायी शिकायत ग्रामीणों ने की कि जब वे कच्चा माल लाते हैं अथवा तैयार माल बेचने जाते हैं तो उनसे चुंगी चौकी पर बिक्री कर की मांग की जाती है। उनका कहना है ऐसा नहीं होना चाहिए।

2560 जनसंख्या वाले ग्राम में बहुत से परिवार चमड़े के काम में लगे हैं। आज भी उनके परिवार में यह काम हो रहा है। श्री अमरीक सिंह के परिवार में पीढ़ियों से यह कार्य हो रहा है। उनके यहां 6 आदमी काम करते हैं और 100 बैल्ट रोज बनाते हैं। एक मजदूर को चार सौ से पांच सौ रुपये महीना वेतन देना पड़ता है। बैल्टें अधिकतर दिल्ली या मेरठ के बाजार में लगभग 160 रु. दर्जन के हिसाब से बेची जाती हैं। अमरीक सिंह के परिवार में 21 सदस्य हैं। उनकी पत्नी सरूपी बताती है कि इस कार्य में महिलाओं का कोई योगदान नहीं होता। वे केवल घर का काम करती हैं। उनके पास ही खड़ी एक दूसरी औरत कहती है "जनानियों के लिए भी कुछ काम खुलवाओ, बहन जी, कम से कम 20 रुपये की रोज की मजदूरी मिले।" स्त्रियों की जागरुकता और काम के प्रति ललक देख कर खुशी होती है। ज्ञातव्य है कि 2560 जनसंख्या वाले इस ग्राम में 1166 महिलायें हैं।

डायरेक्टर आफ इन्फोरमेशन
उत्तर प्रदेश
चन्द्रलोक बिल्डिंग
जनपथ, नई दिल्ली–1

# ग्राम नौधा में विकास की दस्तक

चन्द्र किशोर सिसोदिया

जिला मुख्यालय भिण्ड से करीब 45 किलो मीटर दूर स्थित रौन विकास खण्ड का ग्राम नौधा अब अपने अतीत को भूलकर शनैं-शनैं विकास की ओर अग्रसर है। शासन द्वारा ग्रामीण अंचलों में बुनियादी सुविधाओं व कमजोर वर्ग के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिये किये जा रहे प्रयासों के सुपरिणाम ग्राम नौधा में स्पष्ट परिलक्षित होने लगे हैं। बीहड़ी ग्राम नौधा को भिण्ड-लहार मार्ग पर चिरखड़ी से जोड़ने के लिये करीब आठ किलो मीटर लम्बी पक्की सड़क का निर्माण किया गया है। इससे अलग-थलग महसूस करने वाला यह ग्राम मुख्य सड़क द्वारा जिला व तहसील मुख्यालय से सीधे जुड़ गया है।

करीब दो हजार की आबादी वाले इस ग्राम में मिडिल स्कूल, उप-स्वास्थ्य केन्द्र, डाक घर आदि की सुविधायें उपलब्ध हैं। विकास खण्ड रौन द्वारा विगत कुछ वर्षों में पंचायत भवन, खरंजा, पुलिया, कुआं मरम्मत आदि कार्य कराये गये हैं। ग्राम में पीने के पानी की कोई समस्या नहीं है। ग्राम के आवासहीन परिवारों के लिये आवास उपलब्ध कराने के लिये इन्दिरा आवास योजना के तहत इस वर्ष 25 आवासों का निर्माण कराया जायेगा। इसके लिये स्थल का चयन कर लिया गया है। इस ग्राम में शाला भवन पुराना है तथा दो अतिरिक्त कमरों के निर्माण की जरूरत है। साथ ही कुछ गलियों में खरंजा-निर्माण की आवश्यकता है।

इस ग्राम में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के सर्वेक्षण में 278 परिवार गरीबी रेखा से नीचे पाये गये। इसके बाद से इस सूची के हितग्राहियों को समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत अपना स्वयं का व्यवसाय प्रारंभ करने के लिये वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

जिला कलेक्टर श्री डी.पी. दुबे ने भी इस ग्राम का दौरा किया है। वहां उन्होंने विकास कार्यों का अवलोकन किया तथा समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम ट्राइसेम, जीवनधारा आदि कार्यक्रमों से लाभान्वित हितग्राहियों से चर्चा की और हितग्राहियों के घर जाकर उनके जीवन में आये बदलाव को देखा।

श्रीमती मुन्नी देवी ने रौन में छः माह तक ट्राइसेम योजना के तहत सिलाई प्रशिक्षण प्राप्त किया। बाद में उन्हें समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत सिलाई व रेडीमेड कपड़े बनाने के लिये तीन हजार रुपये का ऋण उपलब्ध कराया गया। इससे उन्होंने मशीन व कपड़ा खरीद कर अपना स्वयं का कारोबार प्रारंभ किया। अब उनका काम भली प्रकार चल रहा है और अब अपने परिवार के सुचारू संचालन में आर्थिक रूप से भी सहयोगी बन गई हैं।

इसी प्रकार अनवर खां को साईकिल मरम्मत, हरीराम को भैंस पालन, कल्लू खां को किराने की दुकान, शंभू दयाल को सिलाई मशीन व रेडीमेड कपड़े आदि के लिये ऋण व अनुदान उपलब्ध कराया गया है और वे अपना स्वयं का व्यवसाय प्रारंभ कर आर्थिक रूप से सबल हुये। सभी के जीवन में परिवर्तन व खुशी की चमक दृष्टिगोचर हो रही है। सहायक विकास विस्तार अधिकारी श्री के.डी. खन्ना ने ग्राम में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत लगन व मेहनत से कार्य किया है। कलेक्टर श्री दुबे ने श्री खन्ना की प्रशंसा कर उन्हें प्रोत्साहित किया।

कलेक्टर श्री डी.पी. दुबे ने ग्राम में स्कूल के लिये दो अतिरिक्त कमरे व गली में खरंजा-निर्माण के प्रस्ताव तुरन्त प्रस्तुत करने के लिये विकास खण्ड अधिकारी को निर्देशित किया। ग्राम में उप स्वास्थ्य केन्द्र अभी पंचायत भवन के एक कमरे में लग रहा है। इसके लिये भी अलग भवन की आवश्यकता है। इस प्रकार अतीत में विकास से उपेक्षित ग्राम नौधा में अब शासन द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ पहुंचा है और नौधा ग्राम विकास की नई करवट ले रहा है।

**सहायक संचालक**
**जिला जन सम्पर्क कार्यालय, भिण्ड**

# "बायोगैस हमहिं सुख दीन्हा"

बी.पी. शर्मा

साहेब, पच्चीस झन परिवार के सूखी-गीली लकड़ी ला पकाय मा हमन के आंख लाल-लाल होत रहिस। चुल्हुआ बारे के दुखा ला हमन बहुत भाग डारे हन। दे गोबर-गैस लगावाए के पाछू अब हमन अड़बड़ सुखा पायन, अऊ लकड़ी चुल्हुआ ला हमन तोड़-फोड़ के बाहिर कति फेंक दीन। हमन के मन हवै कि आपमन एखर बारे में गांव-गांव के रहिइया मन ला जरूर बतावा, जोन खातिर माई लोग वा मन कुछु सुख मिले..."

उक्त उद्गार ग्राम-परसदावेद के पटेल परिवार की श्रीमती सुलोचनाबाई और रामकुंवर बाई अधरिया ने व्यक्त किए जिन्होंने वि.खं. कृषि विस्तार अधिकारी, मस्तूरी की प्रेरणा से अपने घर के प्रांगण में म.एग्रो इण्डस्ट्रीज, बिलासपुर (म.प्र.) से तकनीकी परामर्श लेकर 10 घनमीटर का बायोगैस संयंत्र सन् 86 में स्थापित कराया था।

वि.खं. मस्तूरी के अंतर्गत मस्तूरी–मलहार मार्ग पर एक गाँव है-परसदावेद। यह गाँव कृषि उत्पादन में बिलासपुर जिले के मानचित्र पर अपनी पृथक पहचान बना चुका है। इसी ग्राम के 85 वर्षीय श्री परसराम पटेल क्षेत्र के प्रगतिशील एवं संपन्न कृषक हैं। इनके 4 पुत्र हैं, पूरे परिवार में छोटे-बड़े 25 सदस्य हैं।

श्री पटेल बताते हैं कि जंगलों का उत्तरोत्तर विनाश होने से जलाऊ लकड़ी की बेहद कमी होती जा रही है। उनका कहना है कि पूरे परिवार का भोजन पकाने के लिए उन्हें 60 से 70 रु. प्रति क्विंटल की दर से लगभग 10 क्विंटल लकड़ी हर माह खरीदनी पड़ती थी। इस प्रकार वर्षभर में 8000 रु. करीब जलाऊ लकड़ी पर ही खर्च हो जाते थे। घर की महिलाएं भी लकड़ी चूल्हे में सुबह-शाम 3-3, 4-4 घंटे मेहनत करके भोजन पकाती थीं। बरसात के दिनों में गीली लकड़ी जलाने से उनकी आंखें भी खराब होने लगती थीं तथा खांसी भी शुरू हो जाती थी। बर्तन जलने और काले पड़ने का अलग ही कष्ट रहता था। अब बायोगैस संयंत्र के लगने से लाभ ही लाभ है। श्री पटेल बताते हैं कि संयंत्र लगवाने में उन्हें कुल 17,000 रुपये व्यय करने पड़े जिसमें से 85% अनुदान शासन ने दिया।

श्री पटेल ने जानकारी दी कि इस बायोगैस संयंत्र में लगभग ढाई क्विंटल गोबर रोजाना डालना पड़ता है, जिसकी मात्र 12 दिनों में खाद तैयार हो जाती है। वे उन्नत किस्म की इस गोबर खाद का उपयोग खेतों में डालकर कृषि-उपज बढ़ाने के लिए कर रहे हैं।

इस प्रकार श्री पटेल बायोगैस से दोहरा लाभ उठाते हैं। उन्हीं की प्रेरणा पर इस क्षेत्र के गांव सरगवां और मुड़पार में भी लोगों ने बायोगैस संयंत्र लगवा लिए हैं।

क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी
बिलासपुर

बायो गैस संयंत्र

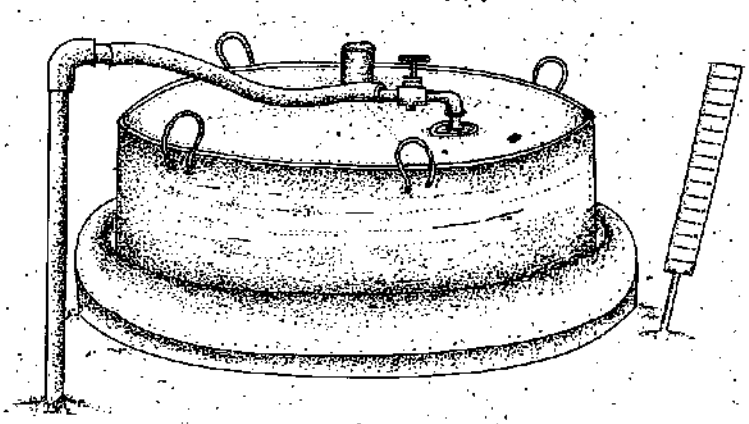

# अदरक

सुनीता

आर्द्रक का आसान नाम है अदरक। आर्द्र का अर्थ है गीला या नम। इसलिये नमीदार रहने तक यह अदरक कहलाता है और सूखने-सुखाने के बाद यह सोंठ बन जाता है। इसका रस चाहे जलतत्व का है मगर इस जल में आग भरी हुई है। अदरक को इसी गुण के कारण 'उष्ण' कहा जाता है। लेकिन रूखा होने पर भी यह सबका हितैषी है। दवा और टॉनिक के तौर पर इसकी महिमा जान लेने के बाद ही अदरक को शास्त्रों में 'महौषध', 'विश्वौषध' आदि नामों से अलंकृत किया है।

अदरक घबराहट, प्यास और थकान दूर करने के साथ-साथ शरीर को ताजगी और ठंडक भी देता है। कुदरत ने अदरक को पकी पकाई शाक-भाजी के तौर पर तभी पैदा कर दिया था जब आदि मानव ने अभी आग जलाना भी नहीं सीखा था। इसी गुण के कारण अदरक को 'अपाक शाक' भी कहते हैं। अदरक के सेवन से रूखा-सूखा भी शरीर को लगता है और वायु-कफ जैसे रोग पास नहीं फटकते। पिंडलियों में पीड़ा हो, हाथ-पैर टूट रहे हों, गर्दन अकड़ गई हो या जांघे दुःख रही हों, घबराहट और बैचनी हो तो अदरक का सेवन कीजिये। चुटकियों में तनाव और ऐंठन जाती रहेगी। कड़ाके की सर्दी में लोग अदरक की चाय पीते हैं तो कड़कती गर्मी में गन्ने के रस में अदरक का रस मिलने से रस वात विकार को टॉनिक में बदल देता है।

अदरक बेसुरी आवाज को सुरीला बनाता है। शरीर को उष्मा देता है जो संजीवनी शक्ति बनकर शरीर को कर्मशाली बनाता है। अदरक का सेवन करके बूढ़े भी जवान हो जाते हैं क्योंकि अदरक का रस श्वास नली, आंख, कान, नाक, दिमाग, दिल, पेट, टांगों और पैरों तक खून को गर्माए रखता है। अतः जिसका खून गर्म रहेगा उसके बूढ़ा होने का सवाल ही नहीं उठता। स्मरण-शक्ति बढ़ाने में भी अदरक राम-बाण है। कफ के कारण सांस दुर्गन्धित हो जाती है, अदरक का सेवन करते ही कफ भाग खड़ा होता है। आंखों का मल, नस-नाड़ियों की मैल इस तरह बह जाते हैं जैसे खुरचकर निकाले गये हों। लकवा मार जाये, अधरंग हो जाये, पेट खराब हो, दमा, खांसी या बलगम हो या गठिया हो, तो अदरक इन सब रोगों से मनुष्य को बचाये रखता है।

शरीर का जहीराला तत्व निकालने में अदरक अमृत का काम करता है। अदरक अजीर्ण नामक बदबूदार रोग से मुक्ति दिलाता है। अदरक की गांठ कूट-पीसकर नींबू-रस की दस बूंदे मिलाकर, थोड़ा-सा नमक डालकर इसका सेवन कीजिये पेट ठीक हो जाता है। दस्त और जुलाब हो जाने पर भी अदरक का कहवा पीना चाहिये। कब्ज हो जाने पर भी अदरक की पतली-पतली फांके काटें और गुड़ के साथ सुबह शाम चबायें, बहुत ही लाभ पहुंचायेगा।

अदरक शोथ और शूल मिटाने वाला है। मीठी-मीठी आंच देकर यह कुचली गई त्वचा और टूटी-फूटी शिराओं की मरम्मत कर देता है। अदरक कमर-दर्द से भी मानव को मुक्ति दिलाता है। जिन्हें बोझ उठाने और रोजाना के घरेलू श्रम से कमर दर्द रहता है, उन्हें अदरक या सोंठ का सेवन बराबर करते रहना चाहिये। महिलाओं और वृद्धों में यह शिकायत आमतौर पर पाई जाती है, उन्हें सोंठ का चूर्ण पीसकर तेल में भूनकर कमर की मालिश करनी चाहिये। इससे मेरुदण्ड को ताकत मिलती है। कानों में दर्द होने पर या कम सुनाई देने की अवस्था में अदरक का रस निकाल कर डालने से कान का दर्द जाता रहेगा और स्पष्ट सुनाई देना शुरू हो जायेगा? खांसी आने और जुकाम हो जाने की अवस्था में भी अदरक का रस शहद के साथ मिलाकर चाटने से गले को बहुत राहत मिलती है। अदरक का रेशा-रेशा मनुष्यता की सेवा में समर्पित रहता है। काट लो, कूट लो, पीस लो, निचोड़ लो, अदरक हर प्रकार से दूसरों का भला ही करेगा।

द्वारा श्री ज्ञान चन्द गाबा
मकान नं. 292 ब्लाक-9
रड़ी मौहल्ला, नीम वाला चौक
लुधियाना (पंजाब)

डाक-तार पंजीकरण संख्या : डी (डी एन) 98
पूर्व भुगतान के बिना एन.डी.पी.एस.ओ., नई दिल्ली में डाक में डालने की अनुमति (लाइसेंस) : यू (डी एन)-55

P & T Regd. No. D (DN) 98
Licenced under U (DN)-55
to post without pre-payment at NDPSO, New Delhi

डा. श्याम सिंह शशि, निदेशक, प्रकाशन विभाग, पटियाला हाऊस, नई दिल्ली-110001 द्वारा प्रकाशित और
वीरेन्द्रा प्रिंटर्स, हरध्यान सिंह रोड, करोल बाग
नई दिल्ली-110005 द्वारा मुद्रित